वार्षिक प्रतिवेदन 2009-10

भारत –यू एन डी पी परियोजना का शुभआरंभ

14 वी प्राधिकरण बैठक

जनसमूह का जैव विविधता पंजी की तैयारी

राज्य जैव विविधता बोर्डों की चौथा राष्ट्रीय बैठक।

2010

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण

संरक्षण | संपोषित प्रयोग | हितलाभ सहभागिता समान

सत्यमेव जयते

वार्षिक प्रतिवेदन
2009–10

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण

भारत सरकार
टॉयसेल बायो पार्क
5 वीं मंजिल, तरमणि
चेन्नै – 600 113.

द्वारा प्रकाशित

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण
भारत सरकार
टॉयसेल बायो पार्क
5 वीं मंजिल, तरमणि
चेन्नै - 600 113. तमिलनाडु, भारत
दूरभाष : +91-44-2254 1075/2254 2777
फैक्स : +91-44-2254 1200
ई–मेल : secretary@nbaindia.in
वेबसाइट : www.nbaindia.org

Printed at
Aparna Graphic Arts, Chintadripet, Chennai - 600 002.

सत्यमेव जयते

डॉ.पी.एल. गौतम
अध्यक्ष,
राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण
चेन्नै

प्रस्तावना

जैव विविधता का पृथ्वी ग्रह पर व्यापक जाल है। यह प्रजातियों के अनुवांशिक और पारिस्थितिकी तंत्र के स्तर का प्रकट करता है। जैव विविधता जीवित नेटवर्क के संपोषण और प्रणालियों का बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है जो हमें स्वास्थ्य, धन, भोजन, ईंधन और अन्य महत्वपूर्ण सेवाएँ जिन पर हमारा जीवन निर्भर है उपलब्ध कराता है।

मनुष्य प्रकृति की समृद्ध विविधता का एक हिस्सा है और विकास के पिरामिड में सर्वोपरि है। जैव विविधता के तीव्र गति से नुकसान के लिए मानव की तीव्र गतिविधियाँ है। इस घाटे की भरपाई नहीं हो सकती यह हमें कंगाल बना रहा है। जैव विविधता का संरक्षण हमारे जीवन के लिए बुनियादी और जरूरी है। यह हमारी मुख्य चिन्ता और परम कर्त्तव्य है कि जिससे इसे हम अपने बच्चों और पोतों को दे सकें।

भारत का पुरातन अतीत प्रकृति पर महान श्रद्धा का रहा है। प्रकृति संसाधनों का संरक्षण और सतत उपयोग हमारा संस्कृति में गहराई से विद्यमान है। इसलिए भारत जैव विविधता की रक्षा करने का भारत का दृढ विश्वास एवं महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्राथमिकता है क्योंकि यह इस देश के लाखों लोगों की जीविका से जुड़ा है, भारत ने जैव विविधता के संरक्षण के लिए कई अग्रगामी पहल की है। जैव विविधता के प्रयोग को बनाए रखने में पारिस्थितिक और आर्थिक महत्व दोनों हैं।

जैव विविधता अधिनियम 2002 के कार्यान्वयन के लिए जैव विविधता प्रबंधन समितियों (जै.प्र.स.) राज्य जैव विविधता बोर्डों (रा.जै.बो.) और जैव विविधता प्राधिकरण के माध्यम से गतिविधियों का नियमन विकेन्द्रीकरण आकर्षक है। तदनुसार राष्ट्रीय राज्य और क्षेत्रिय स्तर पर संचालन एक तेहरी प्रणाली के रूप में है।

मैं राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, राज्य जैव विविधता बोर्ड और जैव विविधता प्रबंधन समितियों के विभिन्न प्रकार के कार्यो, गतिविधियों एवं कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने हेतु प्राधिकरण के सम्मानित सदस्यों द्वारा ईमानदारी एवं समर्पित भाव से जो समर्थन एवं मार्गदर्शन मिला, मैं उसकी तहे दिल से सराहना एवं आभार व्यक्त करता हूँ, साथ ही मैं राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के कर्मचारियों को बधाई देना चाहूँगा जिनके प्रयास से यह वर्ष 2009-10 की रिपोर्ट आज प्राप्त हुई है।

मैं यह आशा करता हूँ कि प्रकाशन विभाग वर्ष 2009-10 की विभिन्न गतिविधियों की झाँकियाँ उपलब्ध कराएगा। रिपोर्ट में और सुधार लाने हेतु मैं मूल्यवान सुझावों का स्वागत करता हूँ।

पी.एल. गौतम

सी अचलेन्दर रेड्डी, आई.एफ.एस
सचिव
राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, चेन्नै

आभार

मैं, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की ओर से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके सानिध्य एवं मार्ग दर्शन से यह 2009-10 रिपोर्ट पूर्ण हो सकी। मैं प्राधिकरण के सदस्यों का भी आभारी हूँ जिनके प्रयाम से ही यह वार्षिक रिपोर्ट तैयार हुई।

मैं राज्य जैव विविधता बोर्डों एवं जैव विविधता प्रबंधन समितियों का बहुत आभारी हूँ कि उनके बहुमूल्य योगदान से यह वार्षिक रिपोर्ट बनकर तैयार हुई।

मैं, प्रधान निर्देशक लेखा परिक्षा (वैज्ञानिक लेखा परीक्षा) कार्यालय द्वारा समय पर लेखा परीक्षा प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया गया इसके लिए अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहूँगा।

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने में प्रचुर सहयोग एवं समर्थन दिया, मैं उनकी सराहना करता हूँ।

हमारे अध्यक्ष डॉ. पी .एल. गौतम जी की बहुमूल्य सलाह एवं सतत अभिप्रेरणा से ही यह 2009-10 की वार्षिक रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत की जा रही है इसके लिए मैं उनका कृतज्ञता एवं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ।

सी. अचलेन्दर रेड्डी

विषय सूची

अध्याय		पृष्ट संख्या
1	कार्यपालक सार	9
2	प्रस्तावना	11
3	प्राधिकरण का संविधान	19
4	प्राधिकरण की बैठकें	21
5	विशेषज्ञ समितियाँ	23
6	जैव विविधता का संपोषण और संरक्षण	25
7	अभिवृद्धि एवं हितलाभ सह्भागिता	29
8	भारत – यू.एन.डी.पी. परियोजना	33
9	विनियम एवं अधिसूचनाएँ	39
10	प्राधिकरण का वित्त एवं लेखा विवरण	41
11	वार्षिक योजना 2010-11	43
12	राज्य जैव विविधता बोर्डों के कार्यक्रम एवं क्रियाकलाप	45

परिशिष्ट

1	राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के सदस्य	61
2	राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का संगठन चार्ट	63
3	राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्टाफ संख्या	64
4	राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के महत्वपूर्ण प्रकाशन	66
5	प्रशिक्षण/संगोष्टी/कार्यशालाओं इत्यादी के लिए सहयोग दिया	68
6	राष्ट्रीय जैव प्राधिकरण नागरिकों का चार्ट	69
7	लेखापरीक्षा रिपोर्ट	70

1 कार्यपालक सार

जैव विविधता अधिनियम 2002 (जै.वि.अ.) और जैव विविधता नियम 2004 के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा 2003 में चेन्नै में जैव विविधिता प्राधिकरण की स्थापना की गई।

भारतीय जैव विविधता एवं इसके संरक्षण एवं दुर्विनियोग के विरुद्ध लक्षण, संवृद्धि एवं जैव विविधता के धारणीय प्रयोग तथा सहज्ञान के विनियमन हेतु संप्रभु अधिकारों की स्थापना के लिए जैव विविधता प्राधिकरण एक न्यायिक तन्त्र प्राप्त करता है।

जय विविधता प्रबंधन समितियाँ (जै.प्र.स.) राज्य जैव विविधता बोर्ड (रा.जै.बो.) और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण प्रत्येक अपने सुपरिभाषित कृत्यों को संबंधित क्षेत्राधिकार के अंतर्गत राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम 2002 के माध्यम से कार्यकलापों के विनियम के लिए विकेन्द्रीकृत कार्यान्वयन हो रहा है। तदनुसार यह राष्ट्रीय, राज्यीय और क्षेत्रीय स्तर पर एक तीहरी प्रणाली के रूप में संचालित है।

यह विश्वास किया जाता है कि विभिन्न पणधारियों के समर्थन, सहयोग और सहभागिता से अधिनियम के कार्यान्वयन में एक सार्थक उन्नति हुई है और कार्यान्वयन की प्रक्रिया नए शिखर पर पहुँच जाएगी। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों की प्राप्ति के लिए एक निजी छाता है जो देश की बहुमूर्तिदेर्शी जैव विविधता, विभिन्न संबंधित अधिनियमों /प्रपत्रों के साथ अन्तर्मुखी है और ये सब सार्वजनिक, निजी और गैरसरकारी संगठनों के विभिन्न पणधारक हैं।

यह रिपोर्ट राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की वर्ष 2009-10 की प्रगति को दर्शाती है। वर्ष 2009-10 में हुई तीन बैठकों में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय इस सरिपोर्ट में दर्ज है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने पांच विशेषज्ञ समितियों की स्थापना की है जैसे रा.जै.प्रा. में प्राप्त आवेदन पत्रों की प्रक्रिया के लिए समान हित लाभ सहभागिता के निर्धारण के लिए विशेषज्ञ समिति, जैव विविधता धरोहर स्थलों के संरक्षण और प्रबंधन के नियम तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति (जै.ध.स्थ.) संगठन संरचना, प्रशासन चलनाने और लेखा तैयार करने और जैव विविधता प्रबंधन समितियों के अन्य मामले के बारे में मार्गदर्शन तैयार करने के लिए कार्यदल (विशेषज्ञ समिति), जैव विविधता अधिनियम 2002 के विभिन्न प्रावधानों के कार्यन्वयन के लिए अधिकारियों और विभिन्न पणधारकों को न्यायिक, सामाजिक और तकनीकी पहलुओं पर प्रशिक्षण के मापदण्ड तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति और "भारतीय जैव विविधता सूचना प्रणाली" (भा.जै.वि.सू.प्र.) पर परियोजनाओं की स्थापना के लिए विशेषज्ञ समिति। कृषि जैव विविधता पर भी एक विशेषज्ञ समिति पुर्नगठित की गई है।

इस अवधि के दौरान जैव संसाधनों की अभिवृद्धि के लिए अनुसंधान, वाणिज्यिक प्रयोग, अनुसंधान परिणामों के हस्तांतरण, बौद्धिक संपदा अधिकार और अन्य पक्ष हस्तांतरण के 142 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। कुल मिलाकर 13 अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए गए। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा 11 आवेदन पत्रों पर पेटैंट /एकस्व दिए गए हैं। इस प्रकार अनुबंधकिए गए आवदेकों से अब तक रूपया 37.89 लाख की राशि रोयलटी के रूप में प्राप्त हो चुकी है।

इस वर्ष के दौरान "जैव विविधता अधिनियमन के कार्यन्वयन के लिए संस्थागत संगठन की मजबूती" नामक विशेष प्रयोजना का प्रारंभ किया गया। यह भारत यू.एन.डी.पी. परियोजना मध्य प्रदेश और झारखंड़ राज्य में प्रचालन में है। इस परियोजना के कार्यन्वयन के लिए मध्य प्रदेश के होसंगाबाद, रेवा और बालाघाट

जिले और झारखंड के हज़ारिबाग और लांतेहर जिले चिन्हित किए गए हैं। इस परियोजना की सभी मुख्य गतिविधियाँ इस रिपोर्ट में प्रस्तुत की गई है।

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने दिनांक 19 अगस्त 2009 में अपना कार्यालय निलागरै से टॉयसल, बायो पार्क, तरमणी के नए परिसर में स्थानातन्तरित किया। वन और पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार के महामहिम मंत्री श्री जयराम रमेश ने नए कार्यालय का उदघाटन किया। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के संपर्क कार्य की स्थापना राष्ट्रीय बीज निगम पूसा नई दिल्ली में की गई जो अप्रैल 2009 से कार्यरत है।

वर्ष 2010 अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष के रूप में मनाया गया।

अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष मनाने के लिए नारा दिया गया "जैव विविधता हमारा जीवन है, जैव विविधता हमारा जीवन है।" "यानि जैव विविधता के जीवन में ही हमारा जीवन है।" वर्ष 2010 में पूरे विश्व में वर्ष भर जैव विविधता और पृथवी पर इसका महत्व के रूप में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष (अ.जै.व.) मनाया गया। वर्ष 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 61 वें सत्र में वर्ष 2010 को संयोग से अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष घोषित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष ने पूरे विश्व में जैव विविधता के महत्व के प्रति जागृति बढ़ाने में मदद की। जैव विविधता की रक्षा करना सभी का कर्तव्य है। विभिन्न देशों में कार्यकलापों और कार्यक्रमों द्वारा जैव विविधता के भविष्य के संपोषण की सूनिश्चिता वैश्विक समुदाय द्वारा मिलकर काम करने में ही है। इस रिपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष मनाने की 31 मार्च तक की गतिविधिया शामिल हैं।

इस रिपोर्ट में वर्ष 2009-10 का वार्षिक लेखा और वर्ष 2010-11 की वार्षिक योजना शामिल है।

राज्य जैव विविधता बोर्डों द्वारा कार्यशालाएँ/प्रदर्शनियाँ/सम्मेलनों/प्रशिक्षण/जागृति कार्यक्रमों का आयोजन, जैव विविधता दिवस मनाया गया। राज्या जैव विविधता बोर्डों ने अन्य अभिकरणों के सहयोग से जैव विविधता धरोहर स्थलों की पहचान में समर्थन/सहयोग, व्यैक्तिक जैव विविधता पंजीकरणों को तैयार करना, जैव विविधता प्रबंधक समितियों का संविधान, स्वयं स्थान और पूर्व स्थान में विलुप्त होने वाली प्रजातियों का संरक्षण इसमें शामिल है। इस प्रकार 24 राज्य जैव विविधता बोर्डों, 31542 जैव विविधता प्रबंधन समितियों का गठन विभिन्न राज्यों में किया गया और संबंधित राज्य जैव विविधता बोर्डों / जैव विविधता प्रबंधन समितियों द्वारा 370 व्यैक्तिक जैव विविधता पंजीकरण तैयार किए गए। दिनांक 10-11 सितंबर 2009 में कोलकत्ता में राज्य जैव विविधता बोर्डों के सदस्य सचिवों की राष्ट्रीय स्तरों की चतुर्थ बैठक आयोजित की गई।

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने नीति निर्माताओं, वैज्ञानिको, जनता एवं स्कूल एवं कॉलेज के विद्यार्थियों के विभिन्न सम्मेलनों, कार्यशालों, संरक्षण मेलें, परिसंवाद, राष्ट्रीय संगोष्ठियों, नीति वार्ताओं और राष्ट्रीय परामर्शों में भाग लिया। एवं आयोजन भी किया। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने यू.एन.डी.पी., जी.बी.आई.एफ., यू.एन.ई.पी./जी.ई.एफ. इत्यादि जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ परामर्श दाता बैठकें और कार्यशालाएँ आयोजित करने के लिए सहयोग किया।

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2009-10 के जैव विविधता पर एक टेबल और दीवार कलैण्डर, आक्रामक एलियनों की प्रजाति पर लघु फ़िल्म "खतरनाक पड़ोसी" नाम से एक अंग्रेजी फ़िल्म बनाई, दो विमान चालक और प्रकाशन निकाले।

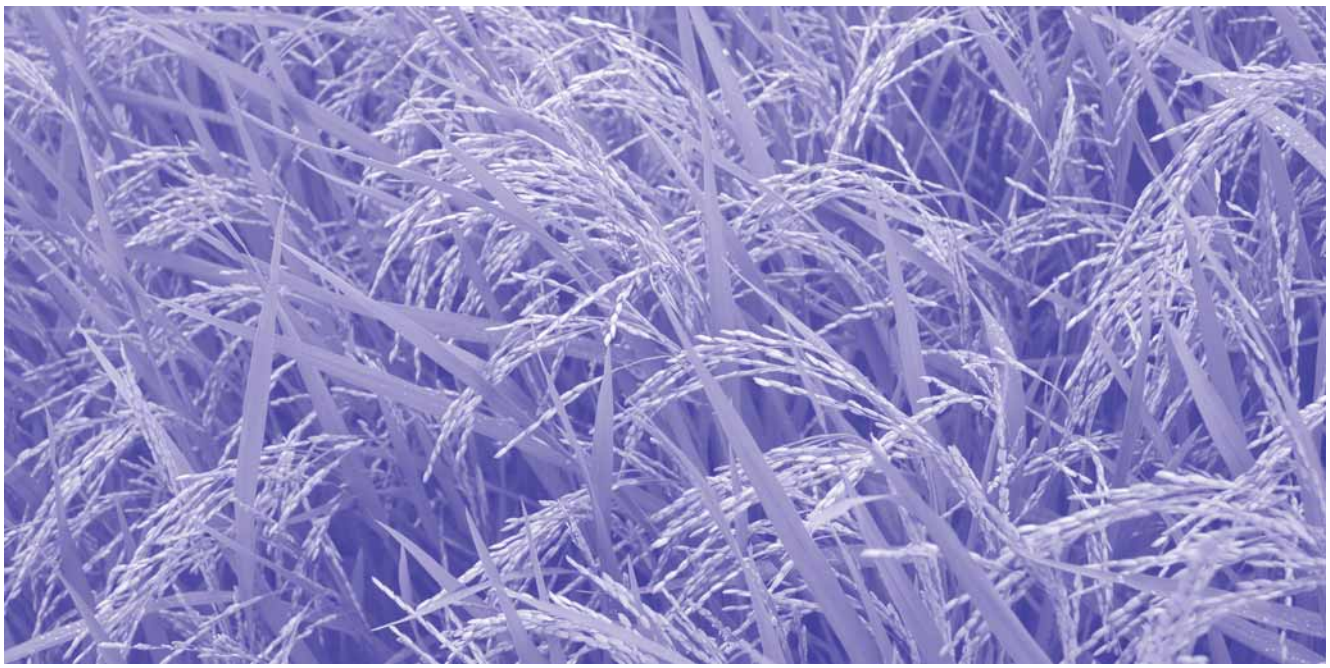

2 प्रस्तावना

भारत अपनी महान जैव विविधता की धरोहर के रूप में जाना जाता है। भारत विश्व में महाभिन्न देश के रूप में पहचाना जाता है। 329 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र के साथ भारत विश्व का सातवां बड़ा देश है। विभिन्न मौसमी स्थानाकृति दशाओं के प्रणाम स्वरूप विस्तृत क्षेत्र की प्रस्थिति की प्रणाली और प्राकृति वास जैसे वन, घास के मैदान, प्रतिभूमि, तटिय एवं समुंदरिय पारिस्थितिकिय प्रणाली और रेगिस्तान होने के कारण विशाल जैविक विविधता जैसे पौधों, जानवरों और सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजातियाँ पाई जाती हैं। हमारे जीवन के अस्तित्व और संपोषण के लिए जैव विविधता का संरक्षण करना भारतीय संस्कृति और जीवन पद्धति का एक भाग है। राष्ट्रीय विकास और गरीबी उनमूलन में जैव विविधता और पारिस्थिति प्रणाली सेवाएँ विशेष योगदान देती हैं।

भारत एक विशाल विविधता वाला देश है जिसका 2.4% भूस्थल और 4% स्वच्छ जल भाग है जिसमें विश्व की दर्ज की गई 7.8% किस्में पाई जाती हैं। अबतक 45,968 पौधों की किस्में और 91,364 पशुओं की किस्मों का ही प्रलेख है। अनुमानित 3.75 अरब जीव प्रजातियों में से वैश्विक स्तर पर 2,78,900 किस्मों की सूक्ष्म संरचना का उल्लेख किया गया है।

पृथ्वी के जैविक संसाधन मानव अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के परिणामस्वरूप जैविक विविधता हमारी वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय जैसा प्रजातियों का संकट और पारिस्थितिकी प्रणाली के लिए कभी नहीं रहा जितना आज है। मानव की गतिविधियाँ ही प्रजातियों के विलोपन के कारण की घंटी है। दिनांक 5 जून 1992 को संयुक्त राष्ट्र नें पृथ्वी सम्मेलन का जैव विविधता का रूढ़ीवादी तरीका अपनाया। यह जैव विविधता के संरक्षण के लिए सबसे व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है।

रूढ़ीगत जैव विविधता उद्देश्य जैविक विविधता का संरक्षण, इसके घटकों का संभाल कर प्रयोग करना और जैविक संसाधनों के प्रयोग में स्वच्छ और समान वितरण, आनुवांशिक संसाधनों उपयुक्त अभिवृद्धि, संसाधनों और तकनीकी के सभी अधिकारों को शामिल करने हुए और उपयुक्त अनुदान देना है। भारत रूढ़ीगत जैव विविधता के उद्देश्यों की प्राप्ति में योगदान के लिए वचनबद्ध है। रूढ़ीगत जैव विविधता के प्रावधानों के अनुसार विश्व के 193 देश इसकी पार्टियाँ है। एक रूढ़ीगत पार्टी के रूप में भारत का यह दायित्व है कि वह जैव विविधता अधिनियम 2002 और जैव विविधता नियम 2004 का कार्यन्वयन करें।

मानव पर्यावरण और विकास पर स्टॉहोम में 1972 में जब से सम्मेलन हुआ है तब से ही भारत पर्यावरण मामलों में अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों में भाग लेने लगा है। देश ने पर्यावरण मामलों सहित रूढ़ीगत जैव विविधता पर बहुपक्षीय समझौतों का अनुसर्मथन करने में योगदान दिया है। रूढ़ीगत जैव विविधता के अनुसार निम्नलिखित विस्तृत परामर्श की प्रक्रिया है। जैव विविधता से संबंधित वर्तमान रणनीति और कार्यक्रमों को बढ़ावा और समेकित करने के लिए जैव विविधता पर 1999 में एक राष्ट्रीय नीति और वृहत स्तर पर कार्य की रणनीति विकसित की गई। भारत में जैव विविधता अधिनियम 2002 बनाया जो 1994 में शुरू की गई कार्रवाई और प्रक्रिया का ही

परिणाम है। भारत इस तरह का अधिनियम बनाने वाला देश है जो कुछ देशों में शामिल है। इस अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य जैव विविधता के समवहन की व्यवस्था करना, जैव विविधता की अभिवृद्धि और इससे संबंधित परंपरागत ज्ञान के नियंत्रण सहित उनके प्रयोग के संबंध में हित लाभों का समान वितरण सुनिश्चित किया जा सके।

परंपरागत जैव विविधता के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए जैव संसाधनों के दबाव के व्यापक दबाव के साथ सौदा करने के लिए भारत सरकार ने जैव विविधता अधिनियम 2002 और जैव विविधता नियम 2004 अधिनियमित किए। तदनुसार अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय, राज्य और क्षेत्रीय स्तर पर तंत्र का निर्माण किया गया। अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत चेन्नै तमिलनाडु में अक्तूबर 2003 में भारत सरकार ने जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना की। राज्य सरकारों द्वारा जैव विविधता बोर्डों की स्थापना तथा क्षेत्रीय निकायों द्वारा जैव विविधता प्रबंधन समितियों की स्थापना की गई। भारत सरकार ने 2008 में जैव विविधता कार्ययोजना विकसित की।

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के कृत्य निम्न है :-

- जैव विविधता से संबंधित गतिविधियों, जैविक संसधानों के प्रयोग में सभी घटकों की साम्ययुक्त सहभागिता, संपोषण के बारे में भारत सरकार को सलाह देना।
- जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 3, 4 और 6 के अनुसार जैविक संसाधनों की अभिवृद्धि के बारे में मार्गदर्शन, कृत्यों को नियंत्रित करना और हितलाभ सहभागिता की सम्यक और सही व्याख्या करना। जैविक संसाधनों को प्राप्त करने या संबंधित ज्ञान के प्रयोग के लिए ऐसे व्यक्तियों/राष्ट्रों/संगठनों आदि को राष्ट्रीय जैव प्राधिकरण का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना है।
- देश की जैव विविधता के संरक्षण के लिए जरूरी उपाय करना इसके साथ ही देश से बाहर जैविक संसाधन जो अन्य देशों को भारत से प्राप्त होते हैं, या इन जैविक संसाधनों से संबधित ज्ञान जो भारत में प्रकट हुआ है उसे बौद्धिक संपदा के अधिकार देने का विरोध करना और आवश्यक उपाय करना शामिल है।
- धरोहर स्थलों को अधिसूचित करने के लिए जैव विविधता के महत्व के क्षेत्रों का चयन एवं उसके प्रबंधन के उपायों का चयन राज्य सरकार को देना।
- जाति जैव विविधता पंजीकरण (जा.जै.प.) के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण और राज्य जैव विविधता बोर्ड, जैव विविधता प्रबंधन समितियों को मार्गदर्शन और तकनीकि सहयोग देना।
- इस अधिनियम को लागू करने के लिए अन्य आवश्यक क्रिया कलापों का भी निर्वाह करना।

जैव विविधता अधिनियम की धारा 22 के अनुसार राज्य सरकारों ने सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के अनुसार राज्य जैव विविधता बोर्डों की स्थापना की है। 7 संधशासित क्षेत्रों में जैव विविधता प्राधिकरण या अन्य प्राधिकरत निकाय राज्य जैव विविधता बोर्ड की शक्तियों और कृत्यों का निर्वहन करता है।

राज्य जैव विविधता बोर्ड राज्य सरकारों द्वारा स्थापित किए गए हैं जिसके एक अध्यक्ष और संबंधित विभागों का प्रतिनिधित्व करने वाले 5 सदस्य होंगे और जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित मामले जो कि संसाधनों का संपोषण व जैविक संसाधनों के प्रयोग से संबंधित साम्य हित लाभ सहभागिता के लिए विशेषज्ञों में से 5 सदस्य नियुक्त किए जाएंगे।

राज्य जैव विविधता बोर्ड के कृत्य निम्न है:-

- जैव विविधता संरक्षण, जैविक संसाधनों के संपोषण और जैविक संसाधनों के प्रयोग से संबंधित साम्य हितलाभ सहभागिता से संबंधित मामलों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शिका के विषय में राज्य सरकार को सलाह देना।
- भारतीयों द्वारा जैविक संसाधनों के वाणिजिक प्रयोग या जैविक सर्वक्षण और जैविक प्रयोग के लिए निवेदन या अनुमोदन देने को नियंत्रित करना।
- इस अधिनियम को लागू करने के लिए या राज्य सरकार द्वारा आदेशित अन्य कृत्यों का निर्वहन करना।

जैव विविधता से संबंधित सूक्ष्म जीव संरचना के ज्ञान को लिपिबद्ध करना, घरेलू पशुधन और जानवरों की नस्लों, लोक किस्मों और कृषक भू प्रजातियों का संरक्षण, प्राकृतिक आवासों के संरक्षण सहित जैव विविधता का प्रलेखन और संपोषण, संरक्षण बढ़ाने के उद्देश्य के लिए अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत धार 41 के अनुसार क्षेत्रीय निकायों ने जैव विविधता प्रबंधन समितियों का गठन किया है। जैव विविधता अधिनियम के नियम (22.1) के अनुसार जैव विविधता प्रबंधन समितियों का गठन किया गया है। यह एक अध्यक्ष एवं क्षेत्रीय निकायों द्वारा नामित 6 व्यक्तियों द्वारा बनी है। जिसमें एक तिहाई महिला और 18% अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं।

जैव विविधता प्रबंधन समितियों के कृत्य निम्न है :-

- क्षेत्रीय लोगों से सलाह करके जाति जैव विविधता पंजीयन को अभिपुष्ट करके तैयार और रखरखाव करना। जैव विविधता प्रबंध समिति एक रजिस्टर का रखरखाव करती है जिसमें जैव विविधता अभिवृद्धि के विविरण के बारे में सूचनाएं और परंपरागत ज्ञान दिया होता है। वसूले गए शुल्क का विवरण और प्राप्त लाभ तथा सहभागिता के तरीके का विवरण दिया जाता है।

- क्षेत्रीय वैद्यों और प्रयोगकर्ताओं द्वारा जैविक संसाधनों के प्रयोग के आंकडे रखने संबंधी जो मामले राज्य जैव विविधता बोर्ड / प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन प्राप्त करने के लिए विचारार्थ भेजे जाते हैं उस पर सलाह देना।

हिंतलाभ दावेदारों के लिए रास्ता बनाना, जैविक संसाधनों की उन्नति और संरक्षण या इन क्षेत्रों के सामाजिक आर्थिक विकास और संबंधत ज्ञान के लिए अधिनियम की धारा 27.32 और 43 के अंतर्गत क्रमशः राष्ट्रीय राज्य और क्षेत्रीय स्तर पर जैव विविधता निधि की स्थापना की गई है।

केन्द्र और राज्य सरकारों की महत्वपूर्ण भूमिका निम्नलिखित है:-

- राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, राज्य जैव विविधता बोर्ड और जैव विविधता प्रबंधन समितियों की स्थापना करना।

- जैव विविधता के प्रयोग के संपोषण और उन्नति एवं संरक्षण के लिए रणनीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों का विकास करना।

- जैव विविधता के संकटापन्न, धनी प्राकृतिक आवासों के संरक्षण के अधिप्रयोग, दुरूपयोग या उपेक्षा को रोकने के लिए तत्काल सुधारक कदम उठाने के लिए संबंधित राज्य सरकार को निदेश जारी करना।

- जैविक विविधता के प्रयोग और विकास में अंतर्क्षेत्रीय योजना या संबंधित क्षेत्र के कार्यक्रम और नीतियों का समाकलन करना। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा संस्तुत क्षेत्रीय लोगों के जैव विविधता से संबंधित ज्ञान का आदार और संरक्षण का प्रयत्न करना।

- पर्यावरण और जैव विविधता, जैव विविधता के संपोषण और मानव स्वास्थ्य पर या जीवों की शरीर रचना पर प्रयोग के प्रतिकूल प्रभाव या संकट को नियमित या प्रबंधन करने संबंधी परियोजनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन करना।

- राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण से विचार विमर्श करके केन्द्र सरकार यदि चाहे तो (अ) संकटापन्न किस्मों को अधिसूचित करना और उनके एकत्रीकरण को नियंत्रित और निषेधित करना, पुनर्वास और संरक्षण करना, (ब) विभिन्न प्रकार के जैविक संसाधनों के लिए संस्थानों को भंडार के रूप में नामित करना और (स) पण्यों के सामान्य व्यापार के लिए कुछ जैविक संसाधनों को छूट देना।

- राज्य सरकार क्षेत्रीय निकायों से विचार विमर्श करके जैव विविधता के धरोहर स्थलों को अधिसूचित करना, (केन्द्रीय सरकार से विचार विमर्श करके) धरोहर स्थलों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए नियम बनाना और, प्रभावित लोगों का पुनर्वास/प्रतिपूर्ति के लिए योजनाएँ शुरु करना।

टॉयसेल बायो पार्क में स्थानांतरित:-

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने अपना कार्यालय 19 अगस्त, 2009 को नीलांगरै से टॉयसेल बायो पार्क में स्थानांतरित कर दिया है। माननीय वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री जयराम रमेश ने रिब्बन काटकर नए कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रो.एम.एस. स्वामीनाथन, अध्यक्ष, एम.एस.एस.आर.एफ. चेन्नै, तमिलनाडु, वन विभाग के प्रधान महावन संरक्षण एवं मुख्य वन जीव वार्डन श्री सुन्दरराजु, आई.एफ.एस., संयुक्त सचिव पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली श्री ए.के. गोयल, आई.एफ.एस., जैव विविधता प्राधिकरण के सचिव श्री सी. अचलेन्दर रेड्डी और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

दिल्ली में संपर्क कार्यालय

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का दिल्ली में स्थित विभिन्न विभागों/मंत्रालयों/संगठनों इत्यादि से संपर्क करने की आवश्यकता पर प्राधिकरण की विभिन्न बैठकों में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का संपर्क कार्यालय स्थापित करने पर जोर दिया गया। राष्ट्रीय बीज निगम ने कार्यालय के लिए स्थान का प्रस्ताव दिया और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने स्टॉफ के लिए दो टाईप –i क्वाटर अतिथि कक्ष के लिए उपलब्ध किए। तदनुसार राष्ट्रीय बीज निगम (भारत सरकार का उपक्रम) के परिसर में अप्रेल 2009 में संपर्क कार्यालय स्थापित किया गया।

स्थापना दिवस, 2009

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने टॉयसेल बायो पार्क में अपने नए परिसर में 1 अक्तूबर, 2009 को सातवाँ स्थापना दिवस मनाया। यह एक सादा समारोह था। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के पूर्व निर्देशक प्रो.टी.एन. अनंतकृष्णन ने मुख्य अतिथि के रूप में स्थापना दिवस पर वक्तव्य दिया। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के सचिव श्री सी. अचलेन्दर रेड्डी ने सभा का अभिनन्दन किया। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ पी.एल. गौतम ने

भारत की जैव विविधता और इससे संबंधित मामलों पर बातचीत की और मुख्य अतिथि को बधाई दी। श्री सी. अचलेन्दर रेड्डी ने स्वागत भाषण दिया और मुख्य सलाहकार डॉ. के. वेंकटरामन ने राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के संस्मरण प्रस्तुत किए। पारिस्थितिकी प्राधिकरण (पी.एंड.पी.सी.) की हानि, अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति, सेवा निवृत न्यायधीश, तमिलनाडु सरकार के पर्यावरण विभाग के निदेश श्री टी.एस.श्रीनिवासमूर्ति, आई.एफ.एस., डॉ. ए.जी.पोन्नय्या, निदेशक सीबा, डॉ. कासिम, प्रभारी वैज्ञानिक सी.एम.एफ.आर.आई, डॉ.जि. तिरुमलै, प्रभारी अधिकारी, एस.आर.एस., डॉ. रमादेवी भारतीय प्राणि सर्वेक्षण एम.बी.एस. के प्रभारी अधिकारी और विभिन्न वैज्ञानिक विभागों/संस्थाओं के अधिकारियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की प्रशासनिक अधिकारी श्रीमती एस. पद्मावती ने सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया।

वर्ष 2010 का अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष के रूप में आयोजन।

"जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष" पूरे साल भर जैव विविधता और इसका पृथ्वी पर जीवन के लिए महत्व, 2010 में पूरे विश्व में मनाया गया। वर्ष 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 61 वे सत्र में संयोग से अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष घोषित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष ने पूरे विश्व में जैव विविधता के महत्व के प्रति जाग्रति बढ़ाने में मदद की। जव विविधता की रक्षा करना सभी का कर्त्तव्य है। विभिन्न देशों में क्रियाकलापों और कार्यक्रमों द्वारा जैव विविधता के भविष्य के संपोषण की सुनिश्चिता वैश्विक समुदाय द्वारा मिलकर काम करने में ही है।

मुख्य लक्ष्य :-

पृथ्वी पर संपोषण के लिए जैव विविधता की मुख्य भूमिका जीवन के पारिस्थितिकी प्रणाली सेवाओं का समर्थन और इसका मानव कल्याण व गरीबी उन्मूलन के लिए महत्व के बारे में जन–जागृति पैदा करने का महत्वपूर्ण अवसर है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष का आयोजन करना। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष 2010 के मुख्य लक्ष्य निम्त्र है:

- जैव विविधता के संरक्षण का महत्व और जैव विविधता का आधारिक संकट के बारे में जन–जागृति में वृधि करना।
- जैव विविधता की रक्षा के कौशल में वृद्धि करना जो समाज और सरकार द्वारा पहले से ही अनुभूत है, जन–जागृति बढ़ाना।
- जैव विविधता के संकट को कम करने के लिए नवाचार समाधानों को बढ़ावा देना।
- जैव विविधता के नुकसान रोकने के लिए सरकारों, संगठनों और व्यक्तियों को तत्काल कदम उठाने के लिए बढ़ावा देना, और
- वर्ष 2010 के बाद क्या कदम उठाने है इसके पण्यधारकों के मध्य बातचीत शुरू करना।

अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष मनाने के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार ने भी एक कार्यनीति का विकास किया है। वन और पर्यावरण मंत्रालय की कार्य नीति के मार्गदर्शन के अन्तर्गत वर्ष 2010 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष मनाने के लिए कार्य नीति बनाने के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के अध्यक्ष के नेतृत्व में एक कार्यपालक समिति का गठन किया गया है। इस अवधि के दौरान दो बैठकें आयोजन की जा चुकी है और विभिन्न क्रियाकलाप किए जा चुके हैं। मुख्य विषय निम्न है।

तिरुवनन्तपुरम, केरला में दिनांक 7 जनवरी, 2010 को भारतीय विज्ञान कांग्रेस के दौरान पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और केरला विश्वविद्यालय के आथित्य से जैव विविधता और संपोषण विकास पर एक पूर्ण सत्र आयोजित किया। जिसमें सरकारी विभागों, शैक्षिक संस्थाएँ, वैज्ञानिक संस्थाएँ और गैर सरकारी संगठनों के लगभग 2000 प्रतिभागियों ने भाग लिया। डॉ. पी.एल. गौतम ने प्रतिभागियों का स्वागत किया और प्रतिभागियों को सत्र की विषय वस्तु का परिचय दिया। श्री. जी. माधवन नायर, आई.एस.आर.ओ. के महाअध्यक्ष ने उद्घाटन वक्तव्य दिया और जैव विविधता अधिनियम नियमों और अधिसूचनाओं का सार–संग्रह का विमोचन किया। भारत सरकार के डी.ए.आर.ई. के सचिव एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पूर्व महानिदेशक डॉ.आर.एस. परोढ़ा ने अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष मनाने की प्रक्रिया में जैव विविधता अधिनियम की संवर्धक सामग्री का विमोचन किया। यह भी सूचित किया गया कि 4 जानवरी, 2010 के लिए भारतीय आयोजन के लिए जैव विविधता संसाधन सामग्री का लोकार्पण किया। उद्घाटन सत्र के बाद डॉ.आर.एस. परोढ़ा की अध्यक्षता और प्रो. जना, सेवामुक्त प्रोफेसर कनाडा की सह–अध्यक्षता में तकनीकि सत्र शुरू हुआ। इस सत्र में जैव विविधता एवं इसके संपोष के विकास से संबंधित विषयों पर विभिन्न सरकारी संगठनों, गैर–सरकारी संगठनों तथा शैक्षिक संस्थाओं द्वारा 12 लेख प्रस्तुत किए गए। विषय का यू.एन.डी.पी. द्वारा समर्थन किया गया।

जैव विविधता के संवर्धन और संरक्षण के महत्व के बारे में आविष्कारकों, विद्यार्थियों, वैज्ञानिकों और जन–सामान्य में जागृति पैदा करने के लिए जैव विविधता प्राधिकरण और वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा भी विभिन्न विषयों पर जैसे संगोष्ठियों, प्रदर्शनी, अभियान, सम्मेलनों, परामर्शों, प्रतियोगिताओं, जैव विविधता संरक्षकों के लिए यांत्रिकी संस्थापना आदि का आयोजन किया गया।

यू.एन.डी.पी. जैसी एजेंसियों के साथ मिलकर वन एवं पर्यावरण मंत्रालय एवं राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष 2010 मनाने के लिए भी उत्प्रेरक समर्थन दिया। गुजरात राज्य जैव विविधता बोर्ड ने दिनांक 23 से 27 मार्च 2010 तक जागृति कार्यशाला और एक शिविर का आयोजन अन्तर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष के सिलसिले में किया। ये जैव विविधता संरक्षण, जैव विविधता अधिनियम और जैव विविधता प्रबंधन के बारे में जागृति पैदा करने के प्रयास थे। ये कार्यक्रम राजप्पिला (नर्मदा जिला), एस.पी.आई.पी.ए., अहमदाबाद (अहमदाबाद जिला) उमरपाड़ा (सूरत जिला), विजय नगर साबरकंटा जिला, जूनागढ़ (जूनागढ़ जिला) में आयोजित किए गए।

झारखंड राज्य जैव विविधता बोर्ड ने 24 जनवरी, 2010 को जालिमा गाँव, हजारीबाग में जैव विविधता संरक्षण पर एक जन जागृति कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में विभिन्न गतिविधियों जैसे पौधो के लिए रक्षाबंधनम (रक्षा का सूत्र) विद्यार्थियों के लिए क्वीज प्रतियोगिता,बैनर और मूर्तियों का प्रदर्शन, फिल्मांकन गाँव वालों एवं क्षेत्रीय विशेषज्ञों के भाषण और जैव विविधता संरक्षण के विषय पर क्षेत्रीय गानों और कविताओं का सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया। एक गैर सरकारी संगठन द्वारा प्रतियोगी विषयों के विजेताओं को पुरस्कार दिए गए।

दिनांक 13 फरवरी, 2010 को जैव विविधता और संरक्षण के बारे में जागृति पैदा करने के जैव विविधता अभियान चलाया। प्राकृतिक व्याख्या केन्द्र बेतला और लातेहर में प्रारंभ किए। इस अभियान के दौरान सामान्य जैव विविधता और जिले की जैव विविधता विषय पर प्रस्तुतिकरण के साथ विशेष सत्र आयोजित किया। जाति जैव विविधता पंजीयन और जैव विविधता अधिनियम पर विचार विमर्श किया गया। प्रश्नोत्तर सत्र का एक खुला मंच आयोजित किया गया जिसमें भाग लेने वाले प्राध्यापकों और विशेषज्ञों द्वारा जिज्ञासाओं का समाधान एवं सुझाव दिए गए।

मार्च 20, 2010 को हजारीबाग जिले के राजदेवरा में जाति जैव विविधता पर जागृति पैदा करने के लिए प्रशिक्षण दिया गया। इस कार्यक्रम में चार गाँवों होरिया, दोनैकला, लोटवा, केले के इ.डी.सी. सदस्यों, वन अधिकारियों और गाँव वाले ने भाग लिया। जैव विविधता अधिनियम और इसका महत्व, संपोषण योग्य प्रयोग, जैव विविधता का संरक्षण और हितलाभ सहभागिता और जाति जैव विविधता पंजीयन आदि विषयों पर विचार विमर्श हुआ।

26 मार्च, 2010 को लातेहर जिले में जाति जैव विविधता पंजीयन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम और जागृति पैदा की गई। प्रशिक्षण कार्यक्रम जंगली नर्सरी, केचकी लातेहर में आयोजित किया गया। भाग लेने वाले सदस्यों में केचकी पूर्व और केचकी पश्चिम गाँव के ई.डी.सी. सदस्यों और गाँववालों शामिल है। जैव विविधता पर सामान्य जानकारी, जैव विविधता अधिनियम और इसका महत्व, संपोषण योग्य प्रयोग, जैव विविधता का संरक्षण और हितलाभ सहभागिता और जाति जैव विविधता पंजीयन आदि विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया।

अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष का महत्व प्रकट करने के लिए मध्यप्रदेश जैव विविधता बोर्ड ने विद्यार्थियों और जैव विविधता संरक्षकों के लिए 5 जनवरी, 2010 (अ.जै.वर्ष 2010) को विशेष जागृति संवर्धन और पूर्वाभिमुखी कार्यक्रम का आयोजन किया। पूंजी परियोजना प्रशासन (पू.यो.प्र.) के सहयोग से यह कार्यक्रम आयोजित किया। विद्यालय के बच्चों, जैव विविधता संरक्षकों, सरकारी कर्मचारियों और पूंजी परियोजना प्रशासन के स्टॉफ ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। 10 जनवरी, 2010 को "चलती रहे जिन्दगी" नामक रेडियो कार्यक्रम प्रसारित किया गया। 11 जनवरी, 2010 पर एक संगोष्ठी की गई, और होशंगाबाद की जैव विविधता एवं इसके संरक्षण की आवश्यकता

को चित्रित करती हुई एक चल झांकी होशंगाबाद जिले के स्टेडियम में गणतंत्र दिवस परेड पर दिखाई गई। इस झांकी को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ।

अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष 2010 मनाने के सिलसिले में 25 जनवरी 2010 को मणिपुर राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे गए तथा राज्य में और अधिक जैव विविधता प्रबंधन समितियों के गठन के बारे में चर्चा की गई। राज्य में औषधीय पौधों पर आधारित जीविका के अवसर बढ़ाने के लिए जैव संसाधन और संपोषण विकास संस्थान के संयोजन से मणिपुर राज्य जैव विविधता बोर्ड ने इम्फाल में 22 व 23 फरवरी 2010 को क्रेता–विक्रेता सभा आयोजित की। इस बैठक में बड़ी संख्या में आयुश निर्माताओं के प्रतिनिधि, औषधीय पौधों के उत्पादक और क्षेत्रीय उद्मियों ने भाग लिया। कुछ प्रसिद्ध कंपनियों जैसे फार्माक्ससिल, डाबर, हिमालयास, नेचुरल रेमेडीस, सेंचुरी प्रोडक्टस, श्री धनवंतरी हरबल्स, हर्बल रिसर्च कॉन्सोनियम, नंदन बायोमेडिक्स, एलेन लेब्रोटरीस लिमिटेड इत्यादि ने भाग लिया। मणिपुर में औषधीय और अरोमा पौधों के प्राथमिक प्रकमण की आवश्यकता पर बैठक में जोर दिया गया और प्राथमिक प्रकमण में लगे उद्यमियों और किसानों क्षमता–निर्माण की मजबूती की आवश्यकता पर जोर दिया गया। इससे इनके महत्व में वृद्धि और दवाईयों के प्रभाव और सुरक्षा सुतर में सुधार होगा।

मिजोरम जैव विविधता बौर्ड ने 25 जनवरी, 2010 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष मनाने का प्रमाचन कियाद्य। वन और पर्यावरण, मिजोरम के प्रधान महावन संरक्षक और सचिव डॉ. एस.एस. गरब्याल की आई.एण्ड.पी.आर. एजवाल के सभाकक्ष में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मिजोरम के वन एवं पर्यावरण मंत्री एवं राज्य जैव विविधता बोर्ड के अध्यक्ष इस समारोह के मुख्य अतिथि थे। पर्यावरण के गैर सरकारी संगठन और राज्य और जैव विविधता बौर्ड के सदस्य इस सभा में आमंत्रित थे।

वर्ष 2009-2010 के लिए व विविधता अधिनियम, 2002 के कार्यान्वयन की प्रगति का जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा आगामी अध्यायो में वर्णन किया जाएगा।

3 प्राधिकरण का संविधान

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के एक अध्यक्ष हैं, जो एक प्रख्यात व्यक्ति हैं जिसे जैव विविधता के संपोषित करने का ज्ञान और अनुभव हो तथा भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी हैं। इसके दस पदेन सदस्य हैं जो भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित हैं और पाँच गैर सरकार सदस्य हैं जो जैव विविधता प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं के विशेषज्ञ हैं।

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का गठन जैव विविधता अधिनियम 2002 के द्वारा किया गया है तब से प्रारंभ इस प्रकार है:-

अध्यक्ष

क्र. सं.	नाम	अवधि	
		से	तक
1.	श्री. विश्वनाथ आनन्द	01.10.2003	14.07.2004
2.	डॉ. एस.कन्नियन	20.05.2005	19.05.2008
3.	श्री. जी.के. प्रसाद*	20.05.2008	30.09.2008
4.	श्री. पी.आर. मोहन्ती*	01.10.2008	31.12.2008
5.	डॉ. पी.एल. गौतम	31.12.2008	Till date

*Additional charge

सदस्य :

धारा 8 की उपधारा 4 के उपबंध (ब) के अधीन पदेन सदस्यों की नियुक्ति की गई :-

1. भारत सरकार के अनुसूचित जानजाति मंत्रालय के संयुक्त सचिव या उसके समकक्ष अधिकारी
2. भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अपर महानिदेशक (वन)
3. भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में इस विषय को देखने वाले संयुक्त सचिव।

धारा 8 की उपधारा 4 के उपबंध (I) के अधीन गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति की गई :-

4. भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, में कृषि अनुसंधान और शिक्षा विषय को देखने वाले संयुक्त सचिव या इसके समकक्ष स्तर के अधिकारी
5. भारत सरकार के जीव तकनीकी विभाग में इस विषय को देखने वाले संयुक्त सचिव या इसके समकक्ष अधिकारी।

6. भारत सरकार के समुद्र विकास विभाग में इस विषय को देखने वाले संयुक्त सचिव या इसके समकक्ष अधिकारी।
7. भारत सरकार के कृषि एवं सहकारिता विभाग में इस विषय को देखने वाले संयुक्त सचिव या इसके समकक्ष अधिकारी।
8. भारत सरकार के भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग में इस विषय को देखने वाले संयुक्त सचिव या इसके समकक्ष अधिकारी।
9. भारत सरकार विज्ञान और तकलीकि विभाग में इस विषय को देखने वाले संयुक्त सचिव या समकक्ष अधिकारी।
10. भारत सरकार के विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान विभाग में इस विषय को देखने वाले संयुक्त सचिव या इसके समकक्ष अधिकारी।

धारा 8 की उपधारा 4 के उपबंध (द) के अधीन गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति की गई :-

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के गैर सरकारी सदस्यों के कार्यकाल का निबंधन तीन वर्ष का होगा जो अधिसूचना की तारीख से लागू होगा। दिनांक 22.02.2010 से प्रभावी नामित नए सदस्यों की सूची दिनांक 15 फरवरी, 2010 की राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस.ओ. 389 (इ) के द्वारा अधिसूचित की गई है। पहले और वर्तमान के गैर सरकारी सदस्य निम्त्र हैं:–

क्र सं.	नाम	अवधि	
		से	तक
1	डॉ. ए.के. घोष, निदेशक पर्यावरण विकास केन्द्र, कोलकत्ता	22.02.2007	21.02.2010
2	प्रो. राघवेन्द्र गडगकर, पारिथितिकीय विभान केन्द्र भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलूर - 560 012	22.02.2007	21.02.2010
3	प्रो. के. कदिरेशन, समुद्री जीव विज्ञान उच्च अध्ययन केन्द्र, अण्णामलै विश्वविद्यालय, तमिलनाडु	22.02.2007	21.02.2010
4	प्रो. अनिल गुप्ता, भारतीय प्रबंधन संस्थान, वस्त्रपुर, अहमदाबाद	22.02.2007	21.02.2010
5	डॉ. एस. सुब्रमणियम, 54 वी.जी.पी. गोल्डन सी.क्यू., पार्ट -ii, 2 रा मेन रोड, 5 वी क्रास स्ट्रीट, पालवाक्कम, चेन्नै	22.02.2007 22.02.2010	21.02.2010 21.02.2013
6	डॉ. आर.एस. राणा, अध्यक्ष जैव संबंध डी - 45 इन्द्रप्रस्त अपार्टमेंट, सेक्टर - 14 रोहिणी, नई दिल्ली - 110 025.	22.02.2010	21.02.2013
7	डॉ. उपेन्द्र धर, 11 एस.बी.आई. अपार्टमेंट, सामने आयशर स्कूल, सेक्टर -46, फरीदाबाद -121 002 हरियाणा	22.02.2010	21.02.2013
8	डॉ. के.एम. बुजरबरूआ, उपकुलपति असम कृषि विश्वविद्यालय, जोराहट - 785 013	22.02.2010	21.02.2013
9	डॉ. दर्शन शंकर, सलाहकार, एफ.आर.आई. एचज्ञटी., अध्यक्ष, आयुर्वेद एवं एकीकृत औषधि संस्थान (आ.ए.ओ.सं.) 74/2 जरकंडे कावल पोस्ट, अत्तूर, वाया येहलंका, बेंगलूरु - 560 064.	22.02.2010	21.02.2013

सचिव:-

क्र सं.	नाम	अवधि	
		से	तक
1	श्री. सी. अचलेन्द्र रेड्डी (भा.व.से.)	12.03.2009	कार्यरत

4 प्राधिकरण की बैठकें

वर्ष 2009-10 के दौरान प्राधिकरण की तीन बैठकें आयजित की गई जिनमें निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-

प्राधिकरण की चौदहवीं बैठक

प्राधिकरण की चौदहवीं बैठक दिनांक 21 जुलाई 2009 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। जिसमें इनके लिए अनुमोदन दिए गए (1) जैव विविधता प्राधिकरण के अध्यक्ष पद के लिए पात्रता के मानदण्ड (2) जैव विविधता धरोहर स्थलों के प्रबंधन और चयन के लिए मॉडल दिशानिर्देश (3) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का प्रतीक चिन्ह (4) सामान्य व्यापार वस्तुओं के रूप में कुछ जैविक संसाधनों को छूट (5) तकनीकी आवेदन पत्रों के निपटान के लिए नई प्रक्रिया / कार्यविधि (6) जाति जैव विविधता पंजीयन (जा.जै.पं.) का मॉडल और (7) भारतीय जैव विविधता सूचना प्रणाली (भा.जै.सू.प्र.) पर विशेषज्ञ समिति की स्थापना।

बैठक के दौरान निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-

- तेरहवीं बैठक के उपरान्त, सभी राज्यों में राज्य जैव विविधता बोर्डों प्राधिकरण की और कुछ राज्यों में जैव विविधता प्रबंधन समितियों की स्थापना पर विचार किया गया, जैव विविधता संसाधनों की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण संबंधित राज्य जैव विविधता बोर्ड के माध्यम से राज्य जैव विविधता बोर्डों और जैव विविधता प्रबंधन समितियों से परामर्श कर रहा है। भारतीय और विदेशी आविष्कारकों और सार्वजनिक क्षेत्रों से आवेदन पत्रों का निपटान करने के लिए वहाँ बड़ा दबाव है। इस लिए यह निर्णय लिया गया है कि राज्य जैव विविधता बोर्ड और जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ एक महिने (30 दिन) के अन्दर अपनी सहमित दे और यदि यह प्राप्त नहीं होती है तो यह समझ लिया जाएगा कि जैव संसाधनों की अभिवृद्धी में राज्य जेव विविधता बोर्डों / जैव विविधता प्रबंधन समितियों को कोई आपत्ति नहीं है। आवेदन पत्रों को निपटाने के लिए अधिनियम में दिए निर्धारित समय सीमा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
- यह निर्णय लिया गया कि अभिवृद्धि, पेटेंट अनुसंधान परिणामों का हस्तांतरण और अन्य पार्टी हस्तांतरण और हितलाभों के बारे में विशेषज्ञ समिति एक साथ मिलकर निर्धारण करेगी।
- वन और पर्यावरण मंत्रालय के वित्तीय सलाहकार से एक रूपता के लिए वित्तीय समिति गठित करने का निर्णय लिया गया, एक राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का और एक वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के संबंधित प्रभाग का प्रतिनिधित्व करेगी। उप-समिति प्राधिकरण को वित्तीय निवेश से जुड़े मुख्य वित्तीय मामलों संस्तुत करेगी।

प्राधिकरण की बैठक में उपस्थित होकर अनुगृह किया। भारत सरकार के वन और पर्यावरण मंत्रालय के विशेष सचिव श्री. बी.एस. परशीरा ने परिसंवाद में भाग लिया। प्रो. माधव गाडगिल ने भारतीय जैव विविधता सूचना प्रणाली पर प्रस्तुति दी। माननीय मंत्री महोदय ने भारतीय जैव विविधता सूचना प्रणाली के सृजन की प्रशंसा की और इस परियोजना को शुरू करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का सुझाव दिया। माननीय मंत्री द्वारा दी गई अभ्युक्तियाँ निम्न हैं :-

- यह निर्णय लिया गया है कि जैव विविधता प्रबंधन समिति के गठन की प्रक्रिया सामान्य की जाए और इनकी स्थापना चरणबद्ध की जाए जैसे पंचायत समितियों / संयुक्त वन प्रबंधन समितियों / पारिस्थिकीय विकास समितियों को जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ बनाया जाए। यह प्रस्ताव

रखा गया कि जैव विविधता प्रबंधन समितियों का प्रारंभिक रूप में समिति स्तर पर बनाया जाए।

- प्रायोगिक परियोजना के रूप में अधिनियम में उदधृत हितलाभ सहभागिता और शुल्क संग्रह के लिए लोगों को शिक्षित करने के लिए एक दक्षिण में और दूसरा उत्तर में दो राज्य अपनाए गए। जैविक संसाधनों की अभिवृद्धि के लिए पंचायत / जैव विविधता प्रबंधन समिति शुल्क लगा सकती है।

प्राधिकरण की पंद्रहवीं बैठक:

29 अक्तूबर 2009 को नई दिल्ली में प्राधिकरण की पंद्रहवी बैठक आयोजित की गई। विचार के लिए निम्नलिखित अंकन थे। (1) आवेदन पत्रों की प्रक्रिया के लिए अभिवृद्धि और हितलाभ पर विशेषज्ञ समिति द्वारा 12 वीं बैठक की सिफ़ारिशें (2) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण और चीए.आर.आई./भ.कृ.अ.प. की पहली अन्तरपृष्ठ बैठक और दिनांक 10-11 सितंबर 2009 में कोलकत्ता में हुई राज्य जैव विविधता के सदस्य सचिवों की छठीं बैठक की प्रक्रिया का पुनरीक्षण।

प्राधिकरण की सोलहवीं बैठक:

19 मार्च, 2010 को चेन्नै में प्राधिकरण की सोलहवीं बैठक आयोजित की गई। इसके विचारार्थ निम्नलिखित विषय थे: (1) हितों के संघर्ष की घोषणा (2) राष्ट्रीय जैव विविधता बोर्ड निधीय समर्थन में बढ़ोतरी (3) बी.टी. बैंगन और सामान्य वस्तु व्यापार पर अधिसूचना पर मामले उठाना (4) मॉडल अनुबंधों में संसोधन (5) राष्ट्रीय जैव विविधता निति में स्वैच्छिक अंशदान की स्वीकृति (6) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण और राज्य जैव विविधता बोर्डों द्वारा रायल्टी के रूप में प्राप्त आय पर कर कटौति और (7) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के विनियम 2006 (अधिकारियों और कर्मचारियों भर्ती एवं सेवा शर्तों) के अन्तर्गत प्रावधानों का संसोधन।

5 विशेषज्ञ समितियाँ

जैव विविधता अधिनियम की धारा 13 के अनुसार प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित समितियाँ गठित की गई हैं :-

1. राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण में प्राप्त आवेदन पत्रों की प्रक्रिया के लिए समान हितलाभ सहभागिता के निर्धारण के लिए विशेषज्ञ समिति:-

प्राधिकरण के विचार विमर्श और सिफारिशों के लिए विभिन्न आवेदकों के निवेदन विशेषज्ञ समिति में रखे जाते हैं। यह समिति एक स्थायी समिति है और जब भी आवश्यकता होगी इसका समय-समय पर पुनर्गठन किया जाएगा। इस प्रकार इस विशेषज्ञ समिति की 12 बैठकें हो चुकी है।

2. "भारतीय जैव विविधता सूचना प्रणाली" (भा.जै.सू.प्र.) पर परियोजना की स्थापना के लिए विशेषज्ञ समिति:-

जैविक संसाधनों और संबंधित परंपरागत ज्ञान को जैव विविधता पंजीयन और इलेक्ट्रॉनिक आकड़ों पर आधारित सुदृढ़ प्रबंधन और संपोषित प्रयोगों के लिए जैव विविधता नियम 12 का उपनियम (XIII) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण को डेटाबेस बनाने और सूचना व प्रलेखन प्रणाली के सृजन के लिए आवश्यक कदम उठाने का प्रावधान करता है। तदनुसार प्रो. माधव गाडगिल की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। समिति की बैठक हुई और यह निर्णय लिया गया कि विभिन्न संस्थाओं/संगठनों/अभिकरणों

के विद्यमान डेटाबेस को भा.जै.वि. सू.प्र. के पोर्टल से जोड़कर महा डेटाबेस तैयार किया जाए।

3. जैव विविधता धरोहर स्थलों के चयन और प्रबंधन के नियम तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति:-

जैव विविधता धरोहर स्थलों की घोषणा और प्रबंधन के लिए जैव विविधता बोर्ड मार्गदर्शिका और नियम बनाए। तदनुसार एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई और दिनांक 19-02-2009 में हुई बैठक में विशेषज्ञ समिति द्वारा आदर्श दिशा निर्देश तैयार किए गए जो व्यापक रूप से परिचालित और कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं. कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं। विभिन्न विशेषज्ञों / अभिकरणों / रा.जै. बोर्डों से प्राप्त टिप्पणियों पर विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया जाएगा और सिफारिशें प्राधिकरण के विचार के लिए प्रस्तुत की जाएँगी।

4. जैव विविधता संपन्न क्षेत्रों का अभिप्रयोग, दुरुपयोग और उपेक्षा के लिए सुधारक उपाय लिए विशेषज्ञ समिति:-

जैव विविधता अधिनियम 2002 के अनुच्छेद 36 (2) के अधीन यदि केन्द्र सरकार को विश्वास है कि कोई क्षेत्र जैव विविधता का धनी जैविक संसाधनों और उसके प्राकृतिक आवास अधिप्रयोग, दुरुपयोग और उपेक्षित है तो संबंधित राज्य सरकार को तुरंत सुधारात्मक उपाय करने के निर्देश जारी कर सकती है, उस राज्य सरकार को तकनीकि और अन्य सुविधाएँ जहाँ तक संभव हो और आवश्यक हो देगी। वन और पर्यावरण मंत्रालय के पूर्व अतिरिक्त वन महा निदेशक श्री. जी.के. प्रसाद की अध्यक्षता में इस उद्देश्य के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई है। समिति की दो बैठकें हो चुकी हैं और दिशा निर्देश तैयार किए जा चुके हैं।

5. संगठन संरचना प्रशासन चलाने, लेखा तैयार करने और जैव विविधता प्रबंधन समितियों के अन्य मामलों के बारे में मार्गदर्शन तैयार करने के लिए कार्यदल (विशेषज्ञ समिति) :-

भारत भौगोलिक, राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से एक बहुत और विशाल देश है, इस प्रकार जैव विविधता प्रबंधन समितियों की स्थापना और प्रबंधन के लिए एक रूपता संभव नहीं है। इस प्रकार अधिनियम और नियमों के अधीन दिया गया संगठन विस्तृत समय में लागू किया जा सके। श्रीमती गायत्री रामचन्द्रन (सेवा निवृत) भारतीय प्रशासनिक सेवा की अध्यक्षता में इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई हैं।

6. जैव विविधता अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए अधिकारियों और विभिन्न पण्यधारकों को न्यायिक सामाजिक और तकनीकी पहलुओं पर प्रशिक्षण के मापदण्ड तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति :-

नियम 12 (ix) यह कहता है कि जैव विविधता के संरक्षण और इसके अवयवों के संपोषित प्रयोग के लिए लगे हुए व्यक्तियों के लिए प्राधिकरण उनके प्रशिक्षण की योजना बना सकता है। तदनुसार श्री. टी.सी. जेम्स, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा संगठन, नई दिल्ली के नेतृत्व में एक विषेषज्ञ समिति गठित की गई है।

7. कृषि जैव विविधता पर विशेषज्ञ समिति का पुनर्गठन:-

जैव विविधता अधिनियम 2002 के अनुच्छेद 13 (1) के अनुसार कृषि जैव विविधता के व्यवहार के लिए रा.जै.प्रा. एक समिति का गठन कर सकता है और जैव विविधता अधिनियम 2002 के अनुच्छेद 13 (2) के अनुसार रा.जै.प्रा. अधिनियम के अधीन विभिन्न कर्त्तव्यों के निवेदन के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन कर सकता है। तदनुसार 2005 में कृषि जैव विविधता पर एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी, जोकि अक्तूबर 2009 में डॉ. आर.बी. सिंह की अध्यक्षता में पुनर्गठित की गई। कृषि जैव विविधता से संबंधित मामलों पर विचार विमर्श के लिए जनवरी 2010 में समिति की बैठक हुई।

6 जैव विविधता का संपोषण और संरक्षण

1. राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा रा.जै.प्रा. के अन्य अधिकारियों का निम्नलिखित किया कलापों जैसे संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, प्रशिक्षण इत्यादि आयोजित करने में सहभागिता और सहयोग देना।

- 22 मई 2009 में एन.बी.पी.जी.आर, नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष मनाया गया संवर्धन सामग्री के रूप में रा.जै. प्राधिकरण ने एक फिल्म "Deadly neighbours - A world of Invasive Alien species" का निर्माण किया। दिनांक 22 मई, 2009 को रा.जै.प्रा. ने राष्ट्रीय स्तर पर एन.बी.पी.जी.आर के सहयोग से "आक्रामक एलियन जाति" पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया। आक्रामक एलियन जाति का प्रबंधन नामक लेख भी स्मृति चिन्ह के रूप में विमोजित किया गया। रा.जै.प्रा. के अध्यक्ष ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।
- भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद में 17-19 जुलाई 2009 को प्रतियोगी और सहयोगी लाभ की रणनीति के लिए बौद्धिक संपदा को काम में लाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें रा.जै.प्र. के सचिव ने भाग लिया।
- श्री. वेंकटश्वरा विश्वविद्यालय तिरुपति में 27 जुलाई 2009 को पर्यावरण प्रदूषण, परिस्थिकी और मानव स्वास्थ्य विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय परिसंवाद का आयोजन किया गया।
- फिक्की द्वारा नई दिल्ली में 13 जुलाई 2009, 9 , सितंबर, 2009 और 21 अक्तूबर, 2009 में परंपरागत ज्ञान के संरक्षण के लिए सूई जेनरिस प्रणाली पर कार्यदल की बैठक हुई।
- 10-11 सितंबर, 2009 को कोलकत्ता में राज्य जैव विविधता बोर्डों के सदस्य सचिवों की राष्ट्रीय स्तर की चौथी बैठक आयोजित की गई।

- 1 अक्तूबर, 2009 को लयोला कॉलेज में पर्यावरण संरक्षण 2009 विषय पर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया।
- 8 अक्तूबर, 2009 को दिल्ली में संपोषित कृषि पर्यावरण स्वयंसेवी कार्रवाई द्वारा एफ.ए.ओ. के कार्यान्वयन के लिए आचरण संहिता का विकास पर एक कार्यशाला के दौरान नस्ल उद्धारक पुरस्कार दिया गया।
- 12 अक्तूबर, 2009 को मद्रास विश्वविद्यालय चेन्नै के पादप शास्त्र में अग्रिम अध्ययन के लिए केन्द्र पर फफूँदी का वर्गीकरण विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला में उद्घाटन वक्तव्य दिया।
- 13 अक्तूबर, 2009 को नई दिल्ली में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान तथा अन्य द्वारा आयोजित "पारिस्थिति की अर्थशास्त्र और जैव विविधा विषय पर आयोजित संगोष्ठी में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के सब ने भाग लिया।"
- 25 अक्तूबर, 2009 को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, चेन्नै के अधिकारियों अध्ययन मंडल और कर्मचारियों को जैव विविधता अधिनियम के कार्यान्वयन विषय पर विशेष संबोधन दिया।
- 25 नवम्बर, 2009 को वन और पर्यावरण मंत्राल। पर्यावरण भवन में "तीन राज्यों के लिए औषधीय पौधों की जैव विविधता का संपोषित प्रयोग और संरक्षण को मुख्यधारा से जोड़ना" विषय पर ए.उब्लू पी 2009-2010 के 3 उत्पाद के लिए उप–समूह की बैठक की गई।
- 29 नवंबर, 2009 को पर्यावरण भवन, नई दिल्ली में यूनेस्को द्वारा विश्व जैव विविधता धरोहर परियोजना (वि.जै. ध.प.) की संचालन समिति की बैठक हुई।
- 26 नवंबर, 2009 को गिंडी वाल उद्यान चेन्नै में ट्री फाउण्डेशन द्वारा सामुद्रिक जैव विविधता संरक्षण जागृति मेला आयोजित किया गया, और फलीप्पर फेस्ट 09 के दौरान इसे संबोधित किया गया।
- 12 दिसंबर, 2009 को के.च.अ.स. चेन्नै में प्रेसीडेंसी कॉलेज और डूस्का चेन्नै चैप्टर द्वारा "जीव विज्ञान के उभरते और विलीन होते क्षेत्र" पर राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान जैव विविधता सत्र का आयोजन किया गया।
- दिनांक 15 से 18 दिसंबर 2009 को टोकियो जापान में "2010 के बाद के लिए परंपरागत रणनीति योजना का अद्यतीकरण" के बारे में पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व एशिया के लिए क्षेत्रीय कार्यशाला आयोजित की गई।
- दिनांक 18 दिसंबर 2009 को आई.एस.पी.जी.आर और एन.बी.पी.जी.आर द्वारा अभिवृद्धि एवं हितलाभ सहभागित तंत्र के बारे में पादप जननिक संसाधनों के प्रबंध में अभिनव वैश्विक विकास पर राष्ट्रीय परिसंवाद किया गया।
- दिनांक 20 दिसंबर 2009 को श्री राधा माधव सेवाश्रम चेरिटेवल ट्रस्ट मथुरा द्वारा गौशाला उद्घाटन समारोह के दौरान क्षेत्रीय नस्लों का अनुरक्षण के लिए रणनीति पर संबोधन सत्र के दौरान अतिथि सत्कार किया गया।
- दिनांक 21 दिसंबर 2009 को पी.पी.वी. और एफ.आर.ए. द्वारा एन.ए.एस.सी. कांप्लेक्स नई दिल्ली में "कृषि जैव विविधता के उष्ण क्षेत्र किसानों के अधिकार और अन्तर्राष्ट्रीय विधान" पर एक सत्र आयोजित किया गया।
- दिनांक 5 जनवरी, 2010 को एम.एस.एस.आर.एफ. केरला द्वारा जलवायु परिवर्तन का एक युग में कृषि जैव विविधता का प्रभावी प्रबंधन पर राज्य स्तरीय परामर्श का तकनीकी सत्र आयोजित किया गया।
- दिनांक 7 जनवरी, 2010 को तिरुवनन्तपुरम में "जैव विविधता और संयोपित विकास" पर भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 97 वें पूर्ण अधिवेशन के दैरान विशेष सत्र का आयोजन किया गया।

- दिनांक 21 जनवरी, 2010 को केन्द्रीय समुद्र मत्स्य अनुसंधान संस्थान कोची द्वारा "असहाय समुद्र स्तनधारी कार्यशाला" आयोजित की गई।

- दिनांक 19 फरवरी 2010 को लोखित फाउंडेशन देहरादून द्वारा जो.वी.पंत कृषि और तकनीकी विश्व विद्यालय पंत नगर में भोजन और स्वास्थ्य सुरक्षा पर एक कार्यशाला आयोजित की गई।
- दिनांक 23 फरवरी, 2010 को ए.टी.आर.ई.ई. बेंगलूर द्वारा जैन विविधता संरक्षण के लिए भारत में प्रगामी वर्गीकरण विज्ञान पर राष्ट्रीय परामर्श आयोजित किया गया।
- दिनांक 5 मार्च 2010 को एफ.आर.एल.एच.टी. बेंगलूर में "तीन भारतीय राज्यों के लिए संरक्षण का मुख्य प्रवाह और औषधीय पौधों की जैव विविधता का संपोषित प्रयोग" विषय पर भारत सरकार – जी.ई.एफ. यू.एन.डी.पी. परियोजना के लिए पी.एस.सी. की दूसरी बैठक आयोजित की गई।
- दिनांक 14 मार्च 2010 को चेन्नै में ट्री फाउंडेशन द्वारा सैटेलाइट टैग लगे कछुओं को वापस इंजम्बाक्कम बीच में छोड़ने का कार्यक्रम आयोजित किया गया।

2. जागृति अभियान

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने नीति निर्माताओं वैज्ञानिकों, जनता और स्कूल एवं कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए विभिन्न सम्मेलनों, कार्यशालाओं, संरक्षण मेले, परिसंवाद, राष्ट्रीय संगोष्टीयों, नीति वार्ताओं और राष्ट्रीय परामर्श में भाग लिया एवं आयोजन भी किया। दिनांक 22 नवंबर 2009 और 15 जनवरी 2010 को राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के सचिव ने भारतीय वन सेवा के प्रविक्षार्थियों और राज्य वन सेवा के प्रशिक्षुओं के लिए "जैव विविधता अधिनियम 2002 का कार्यान्वयन" पर एक वक्तव्य दिया। दिनांक 24 मार्च 2010 को राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के तकनीकी अधिकारी ने ईडनगार्डन बैप्टीस्ट विद्यालय, पेरम्बूर चेन्नै के विद्यार्थियों के लिए भारत के जैव विविधता और इसका संरक्षण विषय पर एक वक्तव्य दिया। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष के परिपेक्ष में जैव विविधता का महत्व विषय पर प्रकाश डाला।

3. राज्य जैव विविधता बोर्डों की स्थापना :–

भारत के 24 राज्यों में राज्य जैव विविधता बोर्डों की स्थापना की जा चुकी है। अर्थात दस राज्यों, आंध्रप्रदेश, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटका, मध्यप्रदेश, मणिपुर, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और महाराष्ट्र भी अधिनियम में दिए गए विशिष्ट नियमों के अनुसार अधिसूचित किए गए हैं।

4. प्रबंधन समितियों की स्थापना :–

देश के 14 राज्यों आंध्रप्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरला, गोवा, नागालैंड, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब, मिजोरम और त्रिपुरा में क्षेत्रीय निकायों द्वारा अब तक 31,542 जैव विविधता प्रबंधन समितियों की स्थापना की गई है (जिनमें से 3,969 जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ मध्य प्रदेश की ग्राम सभाओं में विकासाधीन है।

जैव विविधता प्रबंधन समितियों और जाति जैव विविधता पंजीयन की तैयारी निम्न है:–

क्रम सं.	राज्य	गठित कुल जै.यप्र.स.	तैयार जा.जै.पं.
1	आंध्र प्रदेश	18	5
2	कर्नाटक	3,287	89
3	केरल	200	74
4	त्रिपुरा	04	
5	पश्चिम बंगाल	21	13
6	मध्य प्रदेश *	27,712	50
7	गोवा	5	-
8	हिमाचल प्रदेश	2	-
9	पंजाब	31	
10	मिजोरम	234	
11	गुजरात	11	
12	उत्तर प्रदेश	01	-
13	मणिपुर	06	
14	नागालैंड	10	
15	उत्तराखण्ड	-	139
	योग	31,542	370

** 50 जिला पंचायतों, 313 जनपद पंचायतों 23,043 ग्राम पंचायतों, 237 नगर पंचायतों, 14 नगर निगमों, 86 नगर पालिका परिषदों और 3,969 ग्राम सभाओं (विकासशील) में जै.प्र.समितियों की स्थापना की गई है।*

5. जैव विविधता धरोहर स्थल :-

सभी धरोहर स्थलों के प्रबंधन और संरक्षण के लिए राज्य सरकारों को निय बनाने चाहिए। कर्नाटक सरकार ने बेंगलूर जिले के देवनहल्ली तालुक के नल्लूर स्थान को इमली जैव विविधता धरोहर स्थल घोषित किया है यह देश का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल है।

अधिसूचना की प्रक्रिया में चिह्नित जैव विविधता धरोहर स्थलों का विवरण निम्नलिखित है :-

राज्य का नाम	चिह्नित (चरण 1)	प्रक्रिया में (चरण 2)	अधिसूचना (चरण 3)
कर्नाटक अधिसूचित 1 प्रक्रिया में : 3	विश्वविद्यालय में नेत्राणी	कडुर तालुक में होगेरखान, गांधी कृषि केन्द्र, कृषि विज्ञान केन्द्र, भक्तला तालुक द्ववीय	नल्लूर गाँव में इमली का बाग
उत्तराखंड चिह्नित : 15	टोन मण्डल की संद्रा कोरागा और सिंगतुर रेंज, उत्तरकाशी वन क्षेत्र का डोडीतल और कल्याणी क्षेत्र, पौडी में दूधारोली मस्तिफ पिथौरागढ़ में कालूमणि चोटी, पिथौरागढ़ में अंतांसी, मंदाकिनी, गोवोउास पिथौरागढ़ में समदेवा क्षेत्र, नैनीताल में किलबुरी क्षेत्र, चमौली में दसौली और मंदाकिनी क्षेत्र उधमसिंह नगर में तुर्मरिया बैरेज		
पंजाब डिह्नित : 3	हरिके बंजर भूमि, कंजली बंजर भूमि, रोपड़		
मणिपुर चिह्नित : 19	चिंगखै नदी, मकलांग, इरिल और इंफाल के लोकचाऊ आवाह क्षेत्र, शिरोल, जीरी मकरू आवाह क्षेत्र, बंनिग, पुमिलेनपुर कंगखुई और तंगलोन की गुफाएँ, बंदरमियाइ, तिंगकै, सिजॉल, बरक नदी मोंडुम महांदेव, तेनजिंग पहाड़ी, तुजीसंगबीनदी, मयमार के 3 कि.मी. सटी हुई, सुगनु के पास नुंगसुम क्षेत्र, उखरूल में कचाओपुंग कैलम क्षेत्र		
आंध्र प्रदेश चिह्नित : 1	अनन्तपुरम का वीरापुरम्		
पश्चिम बंगाल चिह्नित : 1	पुराना कनकदुर्गा मंदिर		
हिमाचल प्रदेश चिह्नित : 8	देवता साहित महेश्वरजी चगान तहसील निचर जिला किन्नूर / देवी जागरण, पुजारली शिमला जिला / मंशा माता में भरणा शिमला जिले / पावसी देवता में मुनिश, शिमला जिले में भोलर / आदिशकित माता शिमला जिले में कचेरी, शिमला जिले में माता मंगला काली, देव वेन अलोह चमकीना पनेह मनैला, जिला कांगड़ा		

6. संकटापन्न किस्मों की अधिसूचना :-

अनुच्छेद 38 के अनुसार केन्द्र सरकार को संबंधित राज्य सरकार से विचार-विमर्श करके किसी किस्म को संकटापन की श्रेणी में अधिसूचित कर सकती है और उसके संग्रह पर रोक लगा सकती है। और उन नस्लों को बचाने के लिए आवश्यक कदम उठा सकती है। कुछ पौधों और जानवरों को हिमाचल प्रदेश, केरल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मिजोरम, उड़ीसा, मेघालय, पश्चिम बंगाल और गोवा सरकार ने संकटापन चिन्हित और अधिसूचित किया।

7 अभिवृद्धि एवं हितलाभ सहभागिता

1. अनुमोदन की प्रक्रिया

प्राधिकरण द्वारा जैव विविधता अधिनियम की धारा 3, 4, 6 और जैव विविधता नियम 14, 17, 18, 19, 20 के अनुसार जैविक संसाधनों का भारत से बाहर अधिगमन का अनुमोदन दिया जाता है। जनता / निजी क्षेत्र और विदेशी राष्ट्रों से जैव संसाधनों और संबंधित परंपरागत ज्ञान का अधिगमन के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों का अनुमोदन निम्न दर्शित प्रक्रिया के अंतर्गत दिया जाता है।

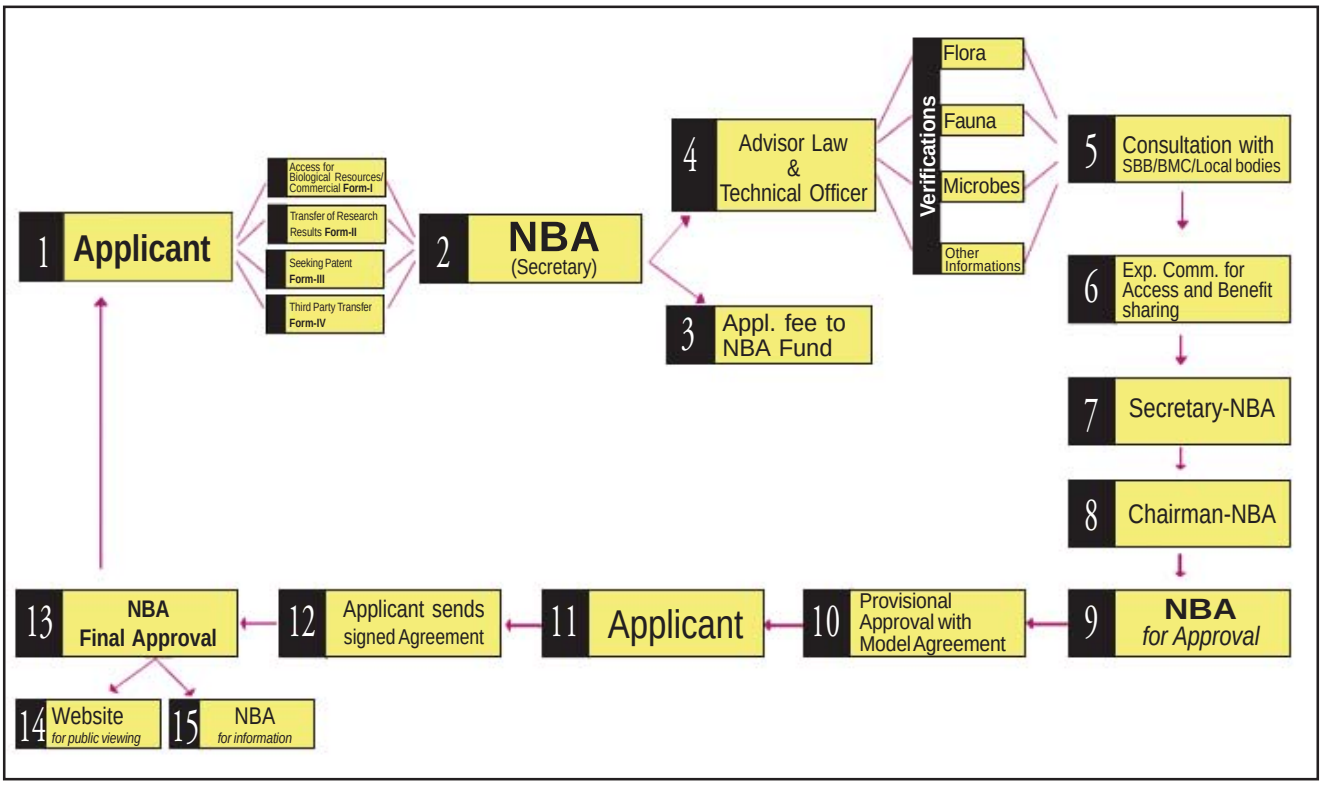

प्राधिकरण द्वारा अभिवृद्धि और हित लाभ सहभागिता पर गठित विशषज्ञ समिति द्वारा निवेदन पर विचार किया जाएगा और मामले दर मामले उपयुक्त समिति द्वारा सिफारिश के साथ प्राधिकरण की बैठक में अंतिम निर्णय के लिए विमर्शित किए जाएंगे। इस प्रकार जैव संसाधनों की अभिवृद्धि / संबंधित ज्ञान और हितलाभ सहभागिता से संबंधित 503 आवेदन पत्र राष्ट्रीय जैव

विविधता प्राधिकरण को प्राप्त हुए। जैविक संसाधनों की अभिवृद्धि और संबंधित परंपरागत ज्ञान के लिए निवेदन के मामले निम्नलिखित रूपों में हितलाभ सहभागिता तंत्र लागू करने के लिए जैविक संसाधनों / आनुवंशिक संसाधनों की अभिवृद्धि वाणिज्यकृत की गई।

फार्म	श्रेणी	2004 तक प्राप्त आवेदन पत्र
फार्म I	जैविक संसाधनों और संबंधित परंपरागत ज्ञान की अभिवृद्धि	88
फार्म II	वाणिज्य उद्देश्य के लिए विदेशी राष्ट्रों, कंपनियों, अप्रवासी भारतीयों को अनुसंधान परिणामों का हस्तातंरण	21
फार्म III	बौद्धिक संपदा अधिकार	362
फार्म IV	जैविक संसाधनों की अभिवृद्धि और संबंधित परंपरागत ज्ञान का अन्य पार्टी को अस्तांतरण	32
	कुल योग	**503**

2. राज्य जैव विविधता बोर्ड और जैव विविधता प्रबंधन समिति जैव विविधता अधनियम के अनुच्छेद 41 (2) के अनुसार, जैविक संसाधनों के प्रयोग और ज्ञान जो ऐसे संसाधनों से संबंधित हों जिसका क्षेत्र जै.प्र.सं. के क्षेत्राधिकार में आता हो उसके बारे में कोई भी निर्णय लेते समय रा.जै.प्रा. और रा.जै.बो., जै.प्र.स. से परामर्श करेंगे।

प्राधिकरण की 13 वी बैठक के बाद अधिक्तर राज्यों में जै.प्र.सं. समिति गठित करने के बारे में विचार करेगा जैव विविधता के संसाधनों की अभिवृद्धि के लिए रा.जै.प्रा. में रा.जै. बोर्ड और जै.प्र.स. से परामर्श करना शुरू कर दिया है। अभिवृद्धि के निवेदन के लिए निम्नलिखित रा.जै. बोर्डों से सम्मति प्राप्त हो चुके है। आंध्रप्रदेश (2), त्रिपुरा (2), कर्नाटक (3), प.ब. (9) और तमिलनाडु (2)।

3. वर्ष 2009-10 के दोरान रा.जै.प्रा. द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों का विवरण निम्न प्रकार है।

विवरण	प्राप्त	अनुमोदित	प्रक्रिया अधीन	बंद	हस्ताक्षरित कराएं (2009-2010)	हस्ताक्षरित कराएं 2009-10 से पूर्व प्राप्त आवेदन पत्र
फार्म I (अनुसंधान वाणिज्य के लिए अभिवृद्धि)	23	6	16	1	2	–
फार्म II (अनुसंधान परिणामों का हस्तांतरण)	11	–	11	–	–	1
फार्म III (बौद्धिक संपदा अधिकार)	97	10	87	–	3	6
फार्म IV (अन्य पक्ष हस्तांतरण)	11	2	9	–	1	–
योग	**142**	**18**	**123***	**1**	**6**	**7**

** आवेदको से प्रतीक्षित सूचना के लिए आवेदन पत्र भी शामिल हैं।*

4. प्राप्त रॉयल्टी :

राज्य जैव प्राधिकरण को करार हस्ताक्षर करने के लिए निम्नलिखित रॉयल्टी प्राप्त हो चुकी है।

क्र. सं.	कंपनी का नाम	फार्म	कुल राशि प्राप्त (₹ लाख में)
1	पेप्सी को इंडिया होलडिंग प्रा. लि.	I वाणिज्य के लिए अभिवृद्धि IV अन्य पक्ष	7.79 29.57
2	बॉयो इंडिया बायोलोजिकल (बा.इ.बा.) कंपनी हैदराबाद	I वाणिज्य के लिए अभिवृद्धि	0.53
		कुल योग	**37.89**

5. दिनांक 31.03.2010 तक रा.जै.प्रा. द्वारा दिए गए पेटेंट :-

क्र.सं.	आवेदक का नाम और आवेदन सं.	खेज़ का विवरण
1	रा.जै.प्रा. / तक आवेदन/9/129 श्री. पी.ए. मुरली	श्वास गड़बड़ जैसे पुरानी फुफसवासी अवरोधक बीमारी और ब्रोकाइटिस पौधौ के सक्रिय अवयवों और अर्क का हर्बल मिश्रण है।
2	रा.जै.प्रा. / तक आवेदन/9/118 अनिल कुमार वैद्य	अस्थमा, तीक्ष्ण ब्रोंकाइटिस और फेफड़ं की बीमारी के लिए एक हर्बल।ड ॉ. मिश्रण तैयार करना।
3	रा.जै.प्रा. / तक आवेदन/9/157 डॉ. पोलोक कुमार मुखर्जी	यकृत रक्षण क्रिया और उस उत्पाद में वृद्धि के लिए हर्बल तैयार करना।
4	रा.जै.प्रा. / तक आवेदन/9/171 श्री. अमीन ज्योति	मैथी के बीजों से एंटीस्ट्रोगनिक फाइटो स्टीरोल अर्क।
5	रा.जै.प्रा. / तक आवेदन/9/185 श्री. डी.एस. प्रभाकर	स्तनधारियों में डायविटीस के लिए केसाल्पिना बोन्डू की गिरी से औषधीय मिश्रण।
6	रा.जै.प्रा. / तक आवेदन/9/208 मैजर्स बोस संस्थान	अन्नोना शुल्क के बीजों से एक नया मेन्नोज बाइडिंग इन्सेकिससाइउल लेक्टिव अलग करना और उसके तैयार करने की प्रक्रिया।
7	रा.जै.प्रा. / तक आवेदन/9/100 श्री. मनीष सौरास्ट्री	प्राकृतिक हर्बल त्तवों के प्रयोग के लिए प्राकृतिक केटेनर का निर्माण जिसमें मिश्रण संबंधी खोज और उसके संयोजन की प्रक्रिया तैयार की जा सके।
8	रा.जै.प्रा. / तक आवेदन/9/205 डॉ. श्रीमती गीता पांडुरंग पवार	चार औषधीय पौधो द्वारा सर्प विषरोधी एक आयुर्वेदिक दवा।
9	रा.जै.प्रा. / तक आवेदन/9/229 प्रो. डॉ. एस.के. नायक	पोली प्रोपाइलेन (पी.पी.) का हाइब्रिड मिश्रण, प्राकृतिक और सिंथेटिक फाइबर, और कम लागत का पाइन ए पल की पत्तियों का फाइबर (पी.ए.एल.एफ.) आधारित पोलीप्रोपाइलेम मिश्रण को राईशए के फाइबर के साथ मिश्रण करके व्यवहार में सुधार लाकर एक अभियाक्रिक संपति के परिणाम स्वरूप कम मूल्य और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना।
10	रा.जै.प्रा. / तक आवेदन/9/230 प्रो.डॉ. एस.के. नायक	प्राकृतिक फाइबर (पी.ए.एल.एफ.) पाइनएप्पल लीक फाइबर को थर्मोप्लास्टिक मैट्रिक के साथ मिश्रण करके रियोलोजिकर प्रक्रिय विकसित करना।
11	रा.जै.प्रा. / तक आवेदन/9/131 श्रीमति कल्पना भूपेन्दर काटकर	वायुताजगी के रूप में औषधीय पौधों को मिलाकर वायु शुद्ध करने का एक मिश्रण बनाना।

6. बौद्धिक संपदा अधिकार के संबंध में उठाए गए उपाय:-

जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 18.4 के अनुसार विधि कक्ष स्थापित करने के लिए पहल करनी है, जिसमें भारत से बाहर का कोई देश भारत से कोई जैविक संसाधन प्राप्त करने या उस जैविक संसाधन के बारे में भारत से कोई ज्ञान प्राप्त करने के लिए बौद्धिक संपदा के विरोध के लिए आवश्यक कदम उठाए जा सके। परंपरागत ज्ञान और जैव संसाधनों पर बौद्धिक संपदा अधिकार का संरक्षण में रा.जै.प्रा. सहयोग करेगा और भाग लेगा।

8 भारत – यू.एन.डी.पी. परियोजना

जैव विविधता अधिनियम के कार्यन्वयन के लिए सांस्थानिक / संस्थागत संगठनों को मजबूत बनाना

प्रचालन क्षेत्र : यह परियोजना मध्यप्रदेश और झारखण्ड राज्य में प्रचालन में है। इस परियोजना के लिए मध्य प्रदेश में होशंगाबाद, रीवा और बालाघाट जिले तथा झारखण्ड में हज़ारीबाग और लातेहर जिले चिह्नित किए गए हैं।

मध्य प्रदेश

झारखंड

परियोजना काल : 3 वर्ष (2009 - 2012)
परियोजना बजट : सं.रा.अ. जालर 1.18 करोड़ (यू.एन.डी.पि. द्वार निधिबद्ध)

उद्देश्य : विभिन्न स्तर पर संस्थागत स्तर को मजबूत करना और प्राकृतिक संसांधनों के प्रबंध में संगठित, सहयोगिता और प्रोत्साहित तरीके से व्यवहारिक परिवर्तन लाना।

राज्य जैव विविधता बोर्ड और जैव विविधता प्रबंधन समितियों को क्षमता निर्माण जागृति और शिक्षा, डेराकोस और नेटवर्किंग के माध्यम से संगठित और सहयोग करके जैव विविधता अधिनियम के कार्यनावयन में कठिनाइयों को उजागर करने में यह परियोजना मदद करेगी। दो राज्यों में अग्रमायी परियोजना के रूप में पहल की गई है जो भारत के जैव विविधता बोर्ड की मजबूति में साँचे के रूप में कार्य करेंगी।

कार्ययोजना :

लक्ष्य - 1 : जैव विविधता अधिनिय के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए किसी राष्ट्र, राज्य क्षेत्रीय संस्थाओं की संस्थागत क्षमता की अभिवृद्धी करना।

लक्ष्य - 2 : जैव संसाधनों और परिस्थितिकी के संरक्षण (स्वस्थाने और पूर्व स्थाने) के लिए राष्ट्रीय, राज्य और क्षेत्रीय संस्थानों में समझ बढ़ाना।

लक्ष्य - 3 : जैव विविधता अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय, राज्य और कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय, राज्य और क्षेत्रीय संस्थानों के बीच ज्ञान का आदान–प्रदान करना।

परियोजना प्रबंधन इकाई की गतिविधियाँ (प.प्र.इ.)

परियोजना प्रारंभ : दिनांक 15 जून 2009 को डॉ.एम.सी. आर मा.स.वि. संस्थान हैदराबाद में परियोजना प्रारंभ पर बैठक हुई। भारत सरकार, वन और पर्यावरण मंत्रालय के अपर सचिव श्री. बी.एसं. परशीरा ने बैक की अध्यक्षता की और डॉ. पी.एल. गौतम, श्री. ए.के. गोयल, जॉ. सुजाता अरोरा, श्री. सी.ए. रेड्डी, डॉ. बालकृष्ण पिशुपति और मध्य प्रदेश और झारखण्ड के सदस्य सचिवों ने बैठक में भाग लिया। श्री. बी.एस. परशीश ने जैव विविधता प्रबंधन समितियों को स्थापना और जाति जैव विविधता पंजीयत की तैयारी और जैव विविधता प्रबंधन समितियों की स्थापना की आवश्यकता पर प्रकाश डाला और राज्य सरकारों की जिम्मदारी का वर्णन किया। जैव विविधता अधिनियम के कार्यन्वय के लिए मध्य प्रदेश और झारखंड को मॉडल के रूप में सुझाया गया।

परियोजना पुनरीक्षण और योजना बैठक : दिनांक 08.12.09 को रा.जै.प्र. चेन्नै में श्री.पी.एल. गौतम, राष्ट्रीय परियोजना निदेशक की अध्यक्षता में परियोजना पुनरीक्षण ब योजना की बैठक संपन्न हुई। इसमें यू.एन.डी.पी. की कु. लायनचावी, रा.जै.प्रा. के सचिव, मध्य प्रदेश और झारखण्ड के सदस्य सचिव, रा.जै.प्र. के स्टाफ और परियोजना कार्मिकों ने भाग लिया। विचार विमर्श और निर्णयों के आधार पर विभिन्न परियोजनाओं की जिम्मेदारी और भूमिका विर्धारित की गई और विस्तृत कार्ययोदना तैयार की गई।

परियोजना प्रबंधन समिति की बैठक (प.प्र.स.) : मार्च 2010 तक प.प्र.स. की निम्नलिखित तीन बैठके हो चुकी है:

1. दिनांक 9 जुलाई, 2009 को रा.जै.प्रा. चेन्नै में।
2. दिनांक 23 दिसंबर 2009 को रा.जै.प्रा. चेन्नै में।
3. दिनांक 10 फरवरी 2010 को केन्द्रीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान (के.कृ.इं.सं.) भोपाल में।

परियोजना संचालन समिति की बैठक (प.सं.स.) : दिनांक 22 फरवरी 2010 को पर्यावरण भवन, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, केन्द्रीय कार्यक्रम परिसर, नई दिल्ली में परियोजन संचालन समिति की पहली बैठक आयोजित की गई।

स्टाफ प्रशिक्षण : दिनांक 10 व 11 फरवरी को नई दिल्ली में यू.एन.डी.पी. द्वारा स्टाफ को प्रशिक्षण दिया गया। झारखण्ड के परियोजना समन्वयक श्री. सैबल के. डे और श्रीमती पी.उमा परियोजना प्रबंधन इकाई की वित्त सहायक ने इस प्रशिक्षण में भाग लिया।

झारखण्ड में प्रगति

अभिविन्यास बैठक : दिनांक 14 सितम्बर 2009 को राँची में झारखण्ड के मुख्य सचिव श्री. शिव बसंत की अध्यक्षता में परियोजना अभिविन्यास बैठक आयोजित की गई। यू.एन.डी.पी. की डॉ. प्रीति सोनी और डॉ वेंकटरामन, परियोजन प्रबंधक ने प्रस्तुति दी,सके बाद डॉ.पी.एल. गौतम, राष्ट्रीय परियोजना निर्देशक

ने अपनी अभ्युक्ति दी। परियोजना का कार्यान्वयन परियोजना दस्तावेज का कार्यान्वयन परियोजना दस्तावेज के आधार पर चलाने की सहमति हुई।

कार्यशाला का आयोजन : दिनांक 15 सितंबर 2009 को ए.टी.आई सम्मेलन कक्ष राँची, झारखण्ड में क कार्यशाला प्रारंभ की गई। झारखण्ड के महा महिम राज्यपाल श्री. के. शंकरनारायणन इसके मुख्य अतिथि थे। इस समारोह में श्री. बिलफ्रेड लाकरा, झारखण्ड के महामहिम राज्यपाल के सलाहकार, झारखण्ड सरकार के मुख्य सचिव, रा.जै.प्रा. के अध्यक्ष एवं यू.एन.डी.पी. के राष्ट्रीय निदेशक ने भाग लिया।

परियोजना की गतिविधियाँ :

- जागृति अभियान के लिए दिनांक 24 जनवरी 2010 को हजारीबाग जिले के जालिमा गाँव में एक कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें राज्य जैव विविधता बोर्ड और वन विभाग के अतिरिक्त लगभग 700 गाँव वालों, विश्वविद्यालय के स्थानीय विशेषज्ञ और गैर सरकारी संगठनों क्षेत्रीय विद्यालयों के विद्यार्थीयों, सामाजिक कार्यकर्त्ताओं और मीडिया प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

सम्मिलित गतिविधियाँ :

- ✓ पेड़ों पर राखी बांधना ;
- ✓ विद्यार्थियों के बीच प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता ;
- ✓ ध्वजा प्रदर्शन और फिल्मांकन शो ;
- ✓ क्षेत्रीय विशेषज्ञ और गाँव वालों द्वारा प्रशिक्षण ;
- ✓ जैव विविधता के संरक्षण के आधार पर क्षेत्रीय ग्रामीणों द्वारा काव्य, गायन एवं संस्कृतिक कार्यक्रम ;
- ✓ पुरस्कार वितरण।

- दिनांक 13 फरवरी को लातेहर जिले में एक और कार्यशाला आयोजित की गई। जैव विविधता अधिनियम, अन्तर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष और जाति जैव विविधता पंजीयन तैयारी के आधार एक कार्यशाला का व्याख्यात्मक सत्र चलाना था। जैव विविधता पर आधारित संस्कृत कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया।
- दो परियोजना जिलों हजारीबाग और लातेहर में क्रमशः दिनांक 20 मार्च 2010 और मार्च 26, 2010 को जाति जैव विविधता पंजीयन की तैयारी पर प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण में ई.डी.सी. सदस्य, वन कर्मचारी और ग्रामिणों ने भाग लिया। प्रशिक्षण में निम्नलिखित विषयों पर प्रकाश डाला गया, जैव विविधता के बारे में सामान्य जानकारी जैव विविधता अधिनियम और उसका महत्व, संपोषित प्रयोग, जैव विविधता का संरक्षण और समान हितलाभ सहयोगिता और जाति जैव विविधता पंजीयन तैयार करना इत्यादि।

मध्य प्रदेश राज्य में प्रगति

अभिविन्यास बैठक : दिनांक 13 अगस्त 2009 को भोपाल में मध्य प्रदेश सरकार के मुक्य सचिव की अध्यक्षता में परियोजन अभिविन्यास बैठक आयोजित की गई जिसमें राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों और यू.एन.डी.पी., रा.जै.प्रा. और वन और पर्यावरण मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने बाग लिया। राज्य जैव विविधता बोर्ड के सदस्य सचिव श्री. ए.के. जैन, परियोजना प्रबंधक डॉ. के वेंकटरामन और यू.एन.डी.पी. की लियानचावी ने अपनी प्रस्तुति दी। इसके बाद विचार विमर्श किया गया। मुख्य सचिव ने परियोजना में उत्कट अभिलाषा व्यक्त की और इसके कार्यान्वयन का निर्णय लिया गया।

कार्यशाला का आयोजन : दिनांक 15 अक्तूबर को आर.सी.वी. पी. नरोहना प्रशासनिक अकादमी भोपाल में एक कार्यशाला आयोजित की गई। वन, जैव विविधता और जैव तकनीक के माननीय मंत्री श्री. राजेन्द्र शुक्ला जी इसके मुख्य अतिथि थे। राष्ट्रीय परियोजना निदेशक श्री. पी.एल. गौतम ने समारोह की अध्यक्षता की। राज्य के प्रतिनिधियों, रा.जै.प्रा. और यू.एन.डी.पी. द्वारा परियोजना का विवरण प्रस्तुत किया गया। राज्य सरकार ने परियोजना के कार्यान्वयन के लिए पूर्ण सहयोग देना सुनिश्चित किया।

परियोजना की गतिविधियाँ:

- तीन परियोजना जिलों में नियमित आधार पर शिक्षा, जागृति और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। विद्यालय के बच्चों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किए गए।

  दिनांक 16 जनवरी, 2010 को नवोदय विद्यालय, पोवरखेड़ा, होशंगाबाद में,

  दिनांक 26 फरवरी, 2010 को नवोदय विद्यालय, पोवारखेड़ा, होशंगाबाद में

- कार्यक्रम योजना, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण सहित विषयों पर नेटवर्क के साझेदारों के लिए एक कार्यशाला आयोजित की गई।

  * मध्य प्रदेश राज्य के वन और कृषि विभाग और अन्य पुण्य धारकों के सहयोग से बालाघाट में तीन और होशंगाबाद में एक कार्यशाला आयोजित की गई।
  * दिनांक 26 एवं 27 मार्च 2010 को सरोजनी नायडु महाविद्यालय और संत हिरदाराम महाविद्याल के पादप एवं प्राणिशास्त्र विभाग के प्राध्यापकों और विद्यार्थियों के लिए जाति जैव विविधता पंजीयक तैयारी के लिए अभिविन्यास पर एक कार्यशाला ओयोजित की गई।
  * दिनांक 19 मार्च 2010 को मढ़ाई होशंगाबाद जिले में एक दिन की कार्यशाला आयोजित की गई।

- राज्य में जैव संसाधनों को प्रयोग करने वाली औद्योगिक इकाइयों के प्रलेखन की भारतीय वन प्रबंधन संस्थान को एक अध्ययन सौंपा गया।

- जैव विविधता घरोहर स्थलों के प्रलेखन के लिए फील्ड सर्वेक्षण प्रगति पर है – भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, बी.एस.आई, टी.एफ.आर.आई, एस.एफ.आ.आई, वन, कृषि और पशुचिकित्सा विभाग द्वारा जै.ध.स्थ. को घोषित करने के प्रस्ताव सुझाए गए हैं।

- जैव विविधता पर एक पंप्लेट और एक पुस्तिका हिन्दी में प्रकाशित हो चुकी है। मध्य प्रदेश की जैव विविधता पर एक वृत चित्र तैयार हो चुका है और विज्ञान व तकनीकी परिषद मध्य प्रदेश की सहायता से डिजिटल जैव विविधता मानचित्र तैयार किया जा रहा है।

- आकाशवाणी द्वारा "चलती रहे जिंदगी" एक कार्यक्रम प्रसारित किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष के लिए 10 जनवरी 2010 को एक सीधा फोन करने का कार्यक्रम किया गया।

- कैपीटल परियोजन प्रशासन के सहयोग से दिनांक 5 जनवरी 2010 को एकांत पार्क भोपाल में सचिव, जैव विविधता और जैव तकनीक विभाग द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष (अ.जै.ब. 2010) का प्रारंभ किया गया।
- दिनांक 11 जनवरी 2010 को पं. खुशीलाल शर्मा राजकीय आयुर्वेद कॉलेज, भोपाल में अं.जै.व. 2010 के प्रारंभ का स्मरणोत्सव मनाने के लिए एक संगोष्ठी आयोजित की गई।

- नव निर्वाचित क्षेत्री निकाय के प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण में जैव विविधता के मामलों को सम्मिलित करने के लिए महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (म.गां., रा.ग्रा.वि.सं.) के साथ विचार विमर्श चल रहा है।
- जिला स्टेडियम होशंगाबाद में गणतन्त्र दिवस समारोह के दौरान होशंगाबाद की जैव विविधता की चलझांकी निकाली गई जिसे समारोह का प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ।

9 विनियम एवं अधिसूचनाएँ

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एवं राज्य सरकारों की सिफारिश पर भारत सरकार ने निम्नलिखित अधिसूचनाएँ जारी की गई :–

क्र.सं.	आदेश/ अधिसूचना का शीर्षक	अधिसूचना की हिथि	संदर्भ
1	पौधों और पशुओं की प्रजातियों जो हिमाचल प्रदेश राज्य में विलोपन के कगार पर हैं।	17.03.2009	एस.ओ. 783(ई)
2	पौधों और पशुओं की प्रजातियों जो केरल राज्य में विलोपन के कगार पर हैं।	15.04.2009	एस.ओ. 997(ई)
3	पौधों और पशुओं की प्रजातियों जो उत्तर प्रदेश राज्य में विलोपन के कगार पर हैं।	15.04.2009	एस.ओ. 998(ई)
4	पौधों और पशुओं की प्रजातियों जो उत्तराखण्ड राज्य में विलोपन के कगार पर हैं।	15.04.2009	एस.ओ. 999(ई)
5	पौधों और पशुओं की प्रजातियों जो मिज़ोरम राज्य में विलोपन के कगार पर हैं।	30.09.2009	एस.ओ. 2524(ई)
6	पौधों और पशुओं की प्रजातियों जो उडिसा राज्य में विलोपन के कगार पर हैं।	30.09.2009	एस.ओ. 2525(ई)
7	पौधों और पशुओं की प्रजातियों जो मेघालय राज्य में विलोपन के कगार पर हैं।	30.09.2009	एस.ओ. 2526(ई)
8	जैव विविधता अदिनियम धारा 40 के अंतर्गत सामान्यतः व्यापार पण्यों के जैविक संसाधन अधिसूचित किए गए।	26.10.2009	एस.ओ. 2726(ई)
9	प्रोधों और पशुओँ की प्रजातियों जो गोवा राज्य में विलोपन के कगार पह हैं।	31.03.2010	एस.ओ. 770(ई)
10	पौधों और पशुओं की प्रजातियों जो पश्चिम बंगाल में विलोपन के कगार पर हैं।	31.03.2010	एस.ओ. 769(ई)
11	राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति।	15.02.2010	एस.ओ. 389(ई)

10 प्राधिकरण का वित्त एवं लेखा विवरण

31 मार्च 2010 को समप्त वित्त वर्ष के लिए प्राप्तियाँ एवं भुगतान

(Amount in ₹)

Receipts	Current Year 2009-10	Previous Year 2008-09
I. Opening Balances:		
a) Cash in hand	3,000	3,000
b) Bank Balances:		
(i) Current A/c	50,88,229	27,84,306
(ii) In Deposit A/c	18,25,000	7,50,000
(iii) Savings A/c	–	–
II. Grants Received: (For Authority A/c)		
a) From Govt. of India	2,87,91,742	2,86,09,000
b) From State Govt.	–	–
c) From other Sources	–	19,875
III. Income and Investments from		
a) Earmarked / Endowment Funds	–	–
b) Own Funds (Other Investments)	–	–
IV. Interest received		
a) On Bank deposits	2,10,358	65,811
b) Loans, Advances, etc.	–	–
V. Other incomes:		
Application Fees	3,99,170	2,05,252
Royalty	30,09,990	7,79,624
Administrative & Service charges recd.	38,981	–
Miscellaneous Incomes	8,879	800
Sale of Newspapers	172	590
VI. Amount Borrowed	–	–
VII. Other Receipts:		
Earnest Money / Security Deposit recd. from Contractors	1,40,000	20,00,000
Transfer from NBA. Authority A/c to NBA.Fund A/c	–	–
Encashment of Fixed Deposit	–	–
GEF.Project A/c	16,45,890	–
UNDP.Project A/c	51,87,600	–
Total	**4,63,49,011**	**3,52,18,258**

Payments	Current Year 2009-10	Previous Year 2008-09
I. Expenses:		
a) Establishment Expenses	85,44,559	38,36,868
b) Administrative Expenses	1,39,61,749	97,65,734
II. Payment made towards Funds for Various Projects	14,40,783	41,76,325
III. Investments and Deposits made		
a) Out of Earmarked / Endowment funds	–	–
b) Out of Own Funds (Rent & Telephone Deposits etc.)	8,02,600	7,500
IV. Expenditure on Fixed Assets & Capital Work-in-Progress		
a) Purchase of Fixed Assets	–	4,60,596
b Advance paid for purchase of Car	–	–
c) Expenditure on Capital Work-in-progress	64,07,820	6,45,794
V. Refund of Surplus money/ Loans		
a) To the Govt. of India	–	–
b) To the State Govt.	–	–
c) To other providers of funds	–	–
VI. Finance charges (Interest)	25,899	9,212
VII. Other Payments		
Grants to State Biodiversity Boards	5,00,000	94,00,000
Transfer from NBA. Authority A/c to NBA. Fund A/c	–	–
Refund of Sponsorship amount to SBI.Ch-6	1,00,000	–
GEF.Project A/c	16,13,966	–
UNDP.Project A/c	49,27,468	–
VIII. Closing Balances		
a) Cash in hand	5,000	3,000
b) Bank Balances:		
(i) Current A/c	45,201	50,88,229
(ii) In deposit A/c	21,25,000	18,25,000
(iii) Savings A/c	55,56,910	–
c) GEF.Bank A/c	31,924	–
d) UNDP.Cash & Bank A/c	2,60,132	–
Total	**4,63,49,011**	**3,52,18,258**

Income and Expenditure Account for the year ended 31st March, 2010

(Amount in ₹)

INCOME			Schedule No.	Current Year	Previous Year
Income from Sales/Services			12	–	–
Grants/Subsidies	*	2,87,91,742	13	* 2,16,87,001	2,86,28,875
Less:- Purchase of Fixed Assets / Assets during the year	(-)	71,04,741			
Fees/Subsidies			14	3,99,170	3,47,293
Income from Investments (Income on Invest, from earmarked/endow. Funds transferred to Funds)			15	–	–
Income from Royalty, Publication etc.			16	30,09,990	7,79,624
Interest Earned			17	1,89,283	1,18,472
Other income			18	48,032	1,902
Increase/(decrease) in stock of Finished goods and works in-progress			19		
TOTAL (A)				**2,53,33,476**	**2,98,76,166**
EXPENDITURE					
Establishment Expenses			20	89,66,474	41,98,295
Other Administrative Expenses etc.			21	1,72,62,137	1,10,43,840
Expenditure on Grants, Subsidies etc.			22	5,00,000	94,00,000
Interest paid			23	25,899	9,212
Depreciation (Net Total at the year-end-corresponding to Schedule 8)				15,08,200	1,96,949
Loss on Sale of Office Equipment (Paper Shredding Machine)			4,021		
TOTAL (B)				**2,82,66,731**	**2,48,48,296**
***Balance being Excess of Expenditure over Income (A-B) transferred to Capital Fund**				(29,33,255)	50,27,870

Balance Sheet as at 31st March, 2010

(Amount in ₹)

CORPUS / CAPITAL FUND AND LIABILITIES	Schedule No.	Current Year	Previous Year
Capital Fund	1	1,43,18,976	88,79,871
Reserves and Surplus	2	–	–
Earmarked / Endowment Funds	3	–	–
Secured Loans and Borrowings	4	–	–
Unsecured Loans and Borrowings	5	–	–
Deferred Credit Liabilities	6	–	–
Current Liabilities and Provisions	7	25,52,159	6,76,180
TOTAL		**1,68,71,135**	**95,56,051**
ASSETS			
Fixed Assets	8	77,90,748	8,17,656
Investments - From Earmarked / Endowment Funds	9	–	–
Investments - Others	10	21,25,000	18,25,000
Current Assets, Loans, Advances Etc.,	11	69,55,387	69,08,292
Miscellaneous Expenditure (To the extent not written off or adjusted) Deferred Revenue Expenditure not Written off during 2008-09	24	–	5,103
TOTAL		**1,68,71,135**	**95,56,051**

11 वार्षिक योजना 2010-11

1. वर्ष 2010-11 में चार बैठके आयोजित करना और बैठक की कार्यसूची का कार्यान्वयन करना।
2. राष्ट्रीय जैव विविधता प्रधिकरण के संदर्शन और आवश्यक सहयोग से सभी संघशासित क्षेत्रों में जैव विविधता परिषद/निकाय और सभी राज्यों में राज्य जैव विविधता बोर्ड के संगठन को प्रोजेक्ट करना।
3. राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं का मॉनिटर करना।
4. कार्यशालाओं का आयोजन, जागृति सृजन, क्रियाकलापों का विस्तरण, अनुसंधान निकास इत्यादि को प्रायोजित करना।
5. सूचना तंत्र के माध्यम से जाकृति पैदा करना – पारिस्थितिकी प्रणाली और जैव विविधता पर पाँच वृतचित्रों के निर्माण का प्रस्ताव।
6. भारत के विभिन्न राज्यों में जैव विविधता प्रबंधन समितियों के संगठन को प्रोत्साहित करना।
7. विभिन्न पुण्य धारकों के लिए वैज्ञानिक सम्मेलन और जाकृति कार्यक्रम आयोजित और प्रायोजित करना।
8. जाति जैव विविधता पंजीयन का प्रलेखीकरण करना।
9. कार्यालय भवनों के लिए भूमि विकास और भवन निर्माण के लिए भूमि का अधिग्रहण करना।
10. अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष 2010 उपयुक्त तरीके से मनाना।
11. भारतीय जैव विविधता सूचनांक प्रणाली चरण – 1 का संरचना और कार्यन्वयन, ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण/आवेदन पत्रों की मानिटरिंग और प्रक्रिया, करार एवं निधि प्रवाह, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण और राज्य जैव विविधता बोर्डों के बीच सहलग्नता विकास इत्यादि, इस उद्देश्य के लिए विशेषज्ञ समितियों द्वारा सिफारिशें की जाती हैं।
12. उच्च प्रबंधन स्तर पर हमेशा अद्तन सूचना उपलब्ध करने के लिए और रा.जै.प्रा. के साथ सहभागिता में सूचना प्रणाली को सुप्रवाही बनाना और कार्यालय प्रशासन और वित्तीय प्रक्रिया निविघ्नता से कार्यान्वयन करने के लिए एकीकृत सूचना प्रबंध प्रणाली का स्वचालन और सरलीकरण करना।
13. अभिवृद्धि और हितलाभ सहभागिता मार्गदर्शिका बनाना और उसका कार्यान्वयन करना।
14. कार्यदल विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुसार जैव विविधता के अधीन दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत जैव विविधता प्रबंधन समिति और संबंधित मामलों के लिए उचित मॉडल सुझाना और कार्यान्वयन करना।
15. विशेषज्ञ समिति द्वारा दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राइज़ राज्य जैव विविधता बोर्ड और जैव विविधता प्रबंधन समितियों द्वारा राष्ट्रीय जैव विविधता निधि का प्रयोग करने के लिए दिशानिर्देश बनाना।
16. जैव विविधता के धनी क्षेत्रों के अधिप्रयोग, दुरुपयोग और उपेक्षा द्वारा संकटापन्न के लिए दिशानिर्देश बनाना और सुधारक उपाय करना।

12 राज्य जैव विविधता बोर्डों के कार्यक्रम एवं क्रियाकलाप

1. अधिसूचित राज्य जैव विविधता बोर्ड :

अब तक 24 राज्यों में राज्य जैव विविधता बोर्ड स्थापित किए गए हैं.... कर्नाटक, गोवा, मध्यप्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब, केरल, अरुणाचल प्रदेश, नागालेंड, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, छत्तीसगढ़, मणिपुर, सिक्किम, गुजरात, उत्तराखड़, आंद्रप्रदेश, उत्तरप्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु, झारखंड, त्रिपुरा एवं उड़ीसा उसी भांति जैव विविधता अधिनियम 2002 को कार्यान्वित करने हेतु पहल कर रही है। भारत के केन्द्रशासित प्रदेशों में जैव विविधता परिषद गठित करके जैव विविधता प्रबंधन समिति द्वारा अनुवांशिक एवं कार्यान्वित कर रही है।

2. रा.जै.वि. बोर्ड को वित्तीय सहायता प्रदान करना :

राष्ट्रीय जैव विविधता बोर्ड की प्रथम बैठक में निर्णय लिए गए आधार पर यह प्राधिकरण एक बार सहायता अनुदान ₹ 10 लाख स्थापनाहेतु एवं राज्य जैव विविधता बोर्ड निर्माण हेतु देती है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2009-10 के दौरान तमिलनाडु, जैव विविधता बोर्ड को ₹ 5 लाख प्रथम अनुदान के रूप में भुगतान किया गया है। अब तक राष्ट्रीय जैव विविधता बोर्ड ने निर्माण सुविधा बढ़ाने हेतु राज्य जैव विविधता बोर्ड एवं जैव प्रबंधन समिति को ₹ 249 लाख का अनुदान दिया है। (प्रति जैव विविधता समिति ₹ 50 हजार)

3. जैव विविधता बोर्डों के क्रियाकलाप :

3.1. आंध्र प्रदेश

जैव चोरी से संबंधित मामलों पर बोर्ड द्वारा कम करने के कदम उठाए हैं। बोर्ड सफलतापूर्वक विदेशी नागरिकों के खिलाफ मामले दर्ज कर टसोटयुला मकडियों का जैव चोरी में शामिल विशाखापटनम और अनंतपुर जिलों आंद्रप्रदेश और मलेशिया के खिलाफ सोना मसुरी के संबंध में अरेड पार्क विवाद के मामले पर कार्रवाई की जा रही है। इस दिशा में जैव विविधता बोर्ड ने भी एक दो आयामी रणनीति प्रारंभ की है।

i. जैव चोरी की रोकथाम के लिए पहली रणनीति यह अपनानी चाहिए कि जिसका उद्देश्य मौखिक परंपरागत ज्ञान के साथ वर्तमान अनपढ़ और नंगे पैर वालों के अनुभवी वरिष्ठ नागरिकों महानदी जैव विविधता प्रबंधन समिति करतुल जिले ने पहली बार वीडियों रिकार्डिंग दस्तावेज की निर्मित की है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के सहयोग से सूचना प्रोद्योगिकी (आई.आई.आई.टी.) के वनस्पति डाटाबेस के साथ उसी के लिए हैदराबाद, आंध्र प्रदेश वन विभाग प्रगति पर है। उसमानियाँ आई.पी.आर. सेल विश्वविद्यालय को कार्य सौंपा गया है और मौखिक पारंपरिक ज्ञान को विश्व बौद्धिक संपदा के लिए डाटाबेस संगठन की वेबसाइट के साथ जौड़ा गया है।

ii. जैव चोरी के खिलाफ दूसरी उपचारात्मक रणनीति यह है कि न्यूज लैटर द्वारा बोर्ड जागरूकता पैदा करके हितधारकों से अनुरोध कर रहा है कि जैव चोरी के मामले में रिपोर्ट दर्ज करें ताकि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। वीरपुरम ग्राम पंचायत अनतपुर ने एक संकल्प प्रस्तुत करके अनुरोध किया है कि धार 37 के तहत साईट (1) (क) जैव विज्ञान विविधता

अधिनियम 2002 के तहत वीरपुरम एक जैविक धरोहर के रूप में घोषित करें। इस अधिनियम के तहत इस क्षेत्र को जैव विविधता साईट के रूप में राज्य सरकार के राजपत्र में अधिसूचित करें इसके अलावा अन्य साईटों को भी अधिसूचित करें और जैव विविधता धरोहर साईट घोषित करने की प्रक्रिया में जैव विविधता पार्क की स्थापना की है। उसका भी काम प्रगति पर है। जहाँ तक जैविक स्त्रोत उपयोगिता बनाए रखने का अर्थ है बोर्ड ने जैविक मात्रा का आकलन करने का प्रयास करते हुए संसाधनों का विभिन्न ऐजेंसीयों द्वारा उपयोग किया जा रहा है, जैसे हर्बल इकाई, बीज उद्योग एवं अन्य उद्योगों के रूप में आंद्रप्रदेश के रूप में जैव प्रोद्योगिकी कंपनियों में एवं जैव विविधता अधिनियम 2002 के प्रपत्र 1 में विवरण प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है। जैव प्रबंधन समिति महानदी ने ₹ 3 करोड़ की अधिक राशि फीस के रूप में मल्टीनेशनल कंपनी से इक्कट्ठा की थी जो बेक्टीरिया की जैव चोरी के आरोप में था उसे सुलझाया गया। बेसीलस थरंगीगसीस बोर्ड पेय जल कंपनी के विरुद्ध कार्रवाई शुरू कर रही है जो हर्बल कोला तैयार कर रही है वह पारंपरिक ज्ञान के हमडिबस एस पी के आधार पर कर रही है। दक्षिणी आंध्रप्रदेश में जैविक विविधता अधिनियम 2002 के तहत पहला जैव चोरी का मामला जर्मन राष्ट्रीय डॉ मार्क कलार्क बागगार्टनर एवं उसके स्थानीय सहयोगी श्री वेंकट रेड्डी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बोर्ड का प्रस्ताव है कि लाइन विभाग में स्टाफ स्तर के कर्मचारियों पर जैव चोरी रोकथाम हेतु पहल कर रही है। स्व सहायता समूह को रिपोर्ट एवं जैव चोरी से निवारक हैतु एवं जैव चोरी को पकड़ने के लिए जैव चोरी की स्कॉड स्थापना के अधिकार दिए गए है। लोगों के लिए जैव विविधता रजिस्टर महानन्दी गांव के लिए तैयार किया गया है। इसके अलावा कई क्षमता निर्माण गतिविधियों स्तर बुद्धिशीलता, प्रशिक्षण के रूप में कार्यशालाओं एवं सम्मेलनों का आयोजन किया गया है। बोर्ड द्वारा मामलों में हितधारकों को जागरूक करने के लिए जैव विविधता और इसके संरक्षण से संबंधित हैं।

प्रयोग हेतु एक मामले में जैविक बटवारे के लाभ के लिए संसाधनों अर्थात "नीम" एक स्थानीय कंपनी के निर्यात नीम पत्ते की शुरू की गई है। बी.एम.सी. में महबूब नगर पहुँच गया है। इससे अवगत हुआ कि इससे साझातंत्र को लाभ होगा।

3.2 छत्तीसगढ़

जैव विविधता संरक्षण के कारण छत्तीसगढ़ राज्य की उच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। वर्ष 2009-10 में राज्य सरकार सद्वारा उनकी गतिविधियों चलाने के लिए जैव विविधता बोर्ड द्वारा ₹ 20 लाख दिया गया और जो ₹ 5 करोड़ जैव विविधता उपक्रम के लिए दिया गया था। उस वन के अंदर संरक्षण उपायों के लिए पूरी तरह से उपयोग किया गया है। जैव विविधता अधिनियम 2002 एवं जैव विविधता नियम 2004 के आवश्यकतानुसार स्थानीय निकाय के स्तर बी.एम.सी. स्थापित किया जाए और जनता जैव विविधता रजिस्टर में वांछनीय सत्र की प्रक्रिया प्रगति पर है। उन्नकोंडा गांव एवं जगदलपुर वन प्रभाग द्वारा समुदाय आधारित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के माध्यम से कटधुरा में 9364.653 हेक्टर क्षेत्र को कवर किया गया है। यू.एन.डी.पी. की सहायता से उपरोक्त क्षेत्र का संरक्षण के माइक्रो प्लान का सर्वेक्षण किया जा रहा है। इसके बावजूद राज्य में इस सर्वेक्षण में स्वस्थानी और बगल में जैव विविधता के पूर्व स्वस्थानी प्रचार कर रही है। एन.डब्लू.एफ.पी. आधारित आजीविका गतिविधियां हर्बल स्वास्थ्य देखभाल और विपणन एम.एफ.पी. कलेक्टरों के लिए बेहतर कीमत के लिए एन.जब्लू.एफ.पी. आरंभ किया गया है। इसी तरह छत्तीसगढ़ औषधीय पादप बोर्ड ने पहल की है। औषधीय पादप विविधता के संरक्षण और यू.एन.डी.पी. की सहायता से सतत प्रयोग करें। उसपर एक एलीबेरी औषधीय संबंधित साहित्य और पौधो की इ औषधीय पोधों वनस्पतिक सेट किया गया है। पारंपरिक चिकित्सा को एवं वेदों पर एक डेटाबेस तैयार किया गया है। 2600 पौधों का रोपण एसपेरगुस रेकोमोस की *Emblica officinalis* के 10000 पौधों *Tinospora cordifolia* के 10000 Cutting 10000 *Vetiveria zizinoides* वितरित करने का काम शुरू किया गया है।

राज्य की समृद्ध जैव विविधता आदिवासियों और आजीविका के अवसरों के लिए जो जंगल के आसपास रहते हैं अनुमानित ₹ 1200 करोड़ का लाभ राज्य के लोगों को समृद्ध जे विविधता द्वारा प्रदान किया गया है। गैर लकड़ी वन की उत्पाद की कमाई करने के लिए काफी खुराक आदिवासियों और अन्य कमजोर वर्गों को वर्ष 2009-10 में ₹ 100 करोड़ की राशि के मजदूरी के रूप में वितरित की गई तेंदुपत्रा Pluckers और अधिक से अधिक ₹ 108 करोड़ होने की उम्मीद है। जो बीनस के रूप में वितरित की गई है।

3.3. गुजरात

गुजरात जैव विविधता नियम सरकार द्वारा अधिसूचित किया। गुजरात खबरदार अधिसूचना संख्या WLP/2003/1777/2009(45) की / (भाग द्वितीयडब्ल्यू) दिनांक 18.02.2010 विभिन्न संवर्गों में आठ पदों के बोर्ड में सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए बोर्ड के प्रयासों के साथ गुजरात की। वनों के प्रधान मुख्य संरक्षक के पद का अधिकारी है जो बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है।

इस वर्ष के दौरान, दस बि.एम.सी., चार जिलों अर्थात में गठन किया गया। पंचमहल में सात और एक तपती में। नर्मदा और जूनागढ़ जिले। IYB के भाग के रूप 2010 सात जागरूकता शिविरों सात में आयोजित की गई छह वैज्ञानिकों को शामिल जिलों को कवर स्थानों, गैर सरकारी संगठन, भारत सरकार, अधिकारियों और गावों सरपंचों और जनता।

3.4. हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश के जैव विविधता, अवधारणा नोट पर स्थिति रिपोर्ट का एक एकीकृत संरक्षण हेतु मसौदा भागीदारी लंबे समय तक जैव विविधता के संरक्षण और टिकाऊ विकास के लिए विकास कार्यक्रम, भागीदारी इको पर्यटन योजना और बेहतर आजीविका और जैव विविधता के संरक्षण के लिए प्रबंधन है। हिमाचल प्रदेश में जैव विविधता संरक्षण से संबंधित निधियों के लिए तीन व्यापक परियोजना प्रस्ताव थे डॉ अर्चना गोडबोले। मानद निदेशक, एप्लाइड पर्यावरण रिसर्च परामर्श के साथ तैयार फाउंडेशन, पुणे, महाराष्ट्र।

जैव विविधता प्रबंधन समितियों द्वारा तैयार की क्षमता निर्माण के बारे में एक पुस्तिका और यह पाया गया कि बहुत उपयोगी हो सकता है। यह दो नामतः पंचायतों के प्रदर्शन क्षमता में स्पष्ट किया गया था। ग्राम पंचायत, झुकाला (बिलासपुर जिले) और ग्राम पंचायत, खतनोल राज्य में (शिमला जिला) जा.जै.पं. पर एक भागीदारी कार्यशाला वनस्पतियाँ और दस्तावेजीकरण के तरीकों का ब्यौरा आयोजित किया गया एक क्षेत्र और उपयोग और जैव संसाधनों के दुरूपयोग के जीव। जा.जै.पं. प्रक्रिया में चयनित शुरू किया गया है बी.एम.सी. के राज्य में गठन सहित पंचायतों। बोर्ड "विषय जैव विविधता एलियन की और आक्रमण पर अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया नारा प्रतियोगिता के रूप में विभिन्न गतिविधियों के आयोजन द्वारा 11 मई" को 2009, प्रजाति और निबंध प्रतियोगिता लेखन। जैव विविधता दिवस 1693 पारिस्थितिकी के द्वारा स्थापित क्लबों के माध्यम से मनाया गया विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण के लिए राज्य परिषद। विषय "जैव विविधता पर लाइव बहस विदेशी प्रजातियों के आक्रमण" दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से जैव विविधता दिवस का आयोजन किया गया था। शिमला और आसपास के इलाकों में से अधिक 40 स्कूलों द्वारा मनाया गया। राज्य परिषद द्वारा जैव विविधता पर एक प्रदर्शनी आयोजित की गई थी। साल के दौरान संग्रह ₹ 88 करोड़ की राशि मजदूरी के रूप में वितरित की गई थी। राज्य में बड़े पैमाने पर लाख की खेती शुरू की गई है जो देश में प्रथम स्थान पर पाया गया है। अन्य MFR का संग्रह जैसे :– महुआ फूल, पत्ते, Bauhinia, शहर आदि इमली स्थानीय लोगों की आय में प्रमुख हिस्सा है।

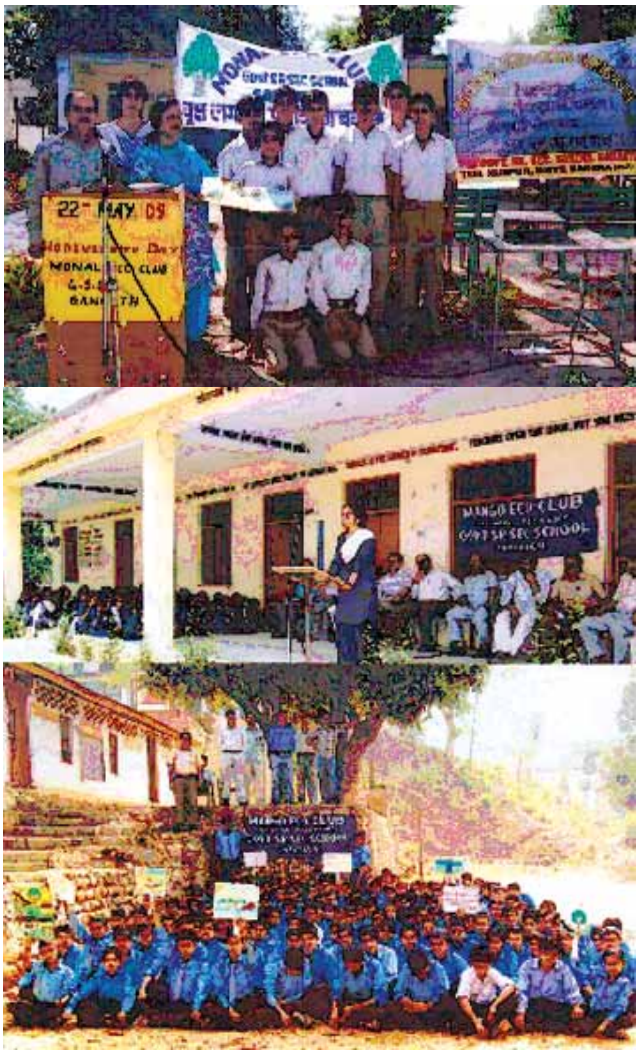

3.5 झारखंड

झारखंड जैव विविधता बोर्ड शुरू कर दिया है यू.एन.डी.पी. परियोजना भारत को अपनाने के लिए लागू "जैव विविधता अधिनिय कार्यान्वित करने के लिए संस्थागत ढांचे को मजबूत बनाना जो सितंबर 2009 में प्रारंभ हुई थी वह 2012 तक चली। झारखंड के मुख्य सचिव श्री. शिव बसंत की अध्यक्षता में 14 सितंबर 2009 की परियोजना ओरिएंटेशन बैठक आयोजित की गई थी। "झारखंड के माननीय राज्यपाल द्वारा इस परियोजना को 15 सितंबर 2009 से लांच किया गया था। प्रारंभ में यह परियोजना हजारी बाग एवं लातेदार जिलों में लागू की जाएगी। ग्रामीणों एवं पर्यावरण विकास समितियों (प.वि.स) के लिए इन जिलों में जा.जै.पं. प्रशिक्षण आयोजित किए गए है। जैविक विविधता पर जागरूकता सामग्री प्रकाशित की गई एवं विभिन्न कार्यशालाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रम में वितरित की गई। झारखंड जैव विविधता बोर्ड की बैठक 4 दिसंबर 2009 को आयोजित की गई।

3.6. कर्नाटक

कर्नाटक जैव विविधता बोर्ड (क.जै.बो.) जैव विविधता प्रबंधन समितियों का गठन जिला, तालुका और ग्रामपंचायत स्तर पर किया है। वर्ष 2009-10 में 1328 जैव प्रबंधन समितियों का गठन किया गया। कर्नाटक जैव विविधता बोर्ड देवनहल्ली तालुका में जैव विविधता अधिनियम धारा 38 के अधीन नलुरु इमली ग्रोन स्थान निरासत के रूप में घोषणा की है। लगभग 22 हेक्टर के एक क्षेत्र में 300 इमली के पेड़ हैं। ये बहुत पुराने पेड हैं। कार्बन डेटिंग के अनुसार इन पेड़ों की उम्र 410 वर्ष आंकी गई है। इसी तरह, उत्तर कन्नड में 20 हेक्टर नेतरानी कोरल रीफ द्विप अरबी समुद्र में (18 कि.मी.) भटकल तट के पश्चिम लगभग 11 नौटिकल मील, चिकमंगलूर में होगरेकन एवं कृषि विज्ञान जी के वी के बेंगलूर ने जैव विविधता विरास्त स्थान पहचान लिया है।

विभिन्न जिलों के ग्राम पंचायत स्तर पर पीपल्स जैव विविधता रजिस्टर लेकर एन.जी.ओ./विभाग/विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/एवं अन्य ज्ञानी व्यक्तियों से तकनीकी सहायता सहित बी.एम.सी. द्वारा मसौदा तैयार किया जा

रहा है। रा.जै.प्रा. द्वारा जो प्रपत्र जारी किया गया है। जा.जै.पं. कन्नड एवं अंग्रेजी में तैयार किए हैं।

पहचान करने हेतु कार्रवाई शुरू की गई है और 100 का एक क्षेत्र घेराबंदी 200 हेक्टर 13 शुष्क मुख्य वन क्षेत्र उपलब्धता के आधार पर और प्रजातियों के संरक्षण के लिए जो कर रहे हैं जिन जिलों में गिरावट आयी है जैसे :– बेंगलूर (नि), बागलकोट, बेल्लारी, बीदर, बीजापुर, चामराजनागर, चित्रदुर्ग, कोलार, गुलबर्गा, कोप्पल।

रायचूर, मंडया और तुमकूर। उप वन संरक्षक (प्रादेशिक) है। इस परियोजना को लागू कर रहे हैं। इस क्षेत्र को पूरी सुरक्षा दी जा रही है। इन क्षेत्रों में कोई फसल नहीं है। इन क्षेत्रों की जो गतिविधियाँ हैं जैसे अग्नी सुरक्षा, देशी प्रजातियों, मिट्टी और पानी की बुवाई, संरक्षण तक काम हॉल में किया गया है। इन्वेंटरी और जैव विविधता के सतत विकास के लिए प्रलेखन एवं मार्गदर्शन हेतु पर्यवेक्षक केंद्र खोला जाएगा। इस तरह से जैव विविधता पर नजर रखी जायेगी और बदलाव के लिए पहचान की जाएगी उपचारात्मक उपयों की योजना बनाई जा रही है।

रा.जै.प्रा. की वित्तीय सहायता से एक कार्यक्रम शुरू किया गया है जैव संसाधनों की जानकारी जैव उद्योग से उपयोग करके कर्नाटक की भागीदारी के साथ भारतीय चिकित्सा संघ के निर्माता (पंजीकृत) एवं कर्नाटक युनानी चिकित्सा एसोशिएशन बोर्ड एक दो साल के अध्ययन हेतु उत्तर कन्नड जिले के पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विज्ञान के लिए केंद्र प्रायोजित है पहले चरण (इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस), लागत पर बेंगलूर के 40 लाख रुपए, अन्य जिलों को कवर किया जाएगा चरणबद्ध तरीके से पश्चिमी घाट में।

राज्य के लिए जैव विविधता एटलस की जा रही है अनुसंधान के लिए अशोक ट्रस्ट में द्वारा योजना बनाई पारिस्थितिकी और पर्यावरण पर योजना बनाई जिसकी लागत बेंगलूर 18 महीनों में ₹ 35.96 लाख की।

कर्नाटक जैव विविधता बोर्ड ने निर्माण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रही है। जैव विविधता का सम्मान और जागरूकता पारंपरिक ज्ञान सहित संबंधित मुद्दों जैव विविधता और प्रलेखन प्रबंधन योजना है। 2009-10 में लगभग 40 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों और सलाहकार कार्यशालाओं पर आयोजित किए गए जैव विविधता के संरक्षण के विभिन्न पहलुओं और निरंतर उपयोग और पारंपरिक ज्ञान, जै.प्र.स., वैज्ञानिकों के लिए जैव संसाधनों की चोरी, पर्यावरणविदों, वन रेंज अधिकारी, गैर सरकारी संगठनों,संबंधित विभागों के अधिकारी, सार्वजनिक आदि।

3.7 केरल

केरल जैव विविधता बोर्ड द्वारा मार्च, 2010 में 200 बी.एम.सी. गठित किए थे। 39 पंचायतों, 14 कार्यशालाएँ आयोजित किए थे। पंचायत अध्यक्षों एवं सचिवों के लिए बी.एम.सी. गठन एवं जा.जै.पं. के दौरान वर्ष 2009-10 में 14 जिलास्तर पर कार्यशालाएँ आयोजित किए थे। वर्ष के दौरान 15 पंचायतों में PBR का काम पूर्ण हो चुका है। PBR कार्य की समीक्षा की गई है जो संतोषजनक नहीं है। जिसमें मुख्यतः कार्मिक क्षेत्र स्तरपर आंकड़े एकत्र करने की कमी रही है। अतः यह निर्णय लिया गया कि जा.जै.पं. की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए जिला स्तर पर JFR की भर्ती की जाए। पी.बी.आर. की गतिविधियों का मूल्यांकन/ निगरानी हेतु एक समिति गठित की गई है।

मछली की विविधता का आकलन वेम्बानाड झील के साथ बोर्ड द्वारा किया गया था ATREE, क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान के साथ स्टेशन RARS (केरल की कृषि विश्वविद्यालय, कुमरकम 27-26 के दौरान मई, 2009 भौतिक और रासायनिक पैरामीटरों झील का भी विश्लेषण किया गया।

इस बैठक से मदद मिलेगी कि जैव संसाधनों की रणनीति वृद्धि) और संरक्षण प्रबंधन के झील जिस पर स्थानीय मछुआरों अपनी आजीविका के लिए निर्भर हैं।

आर्द्रभूमि जैव विविधता संरक्षण पर एक परियोजना थी कोले झीलों में अप्रेल में 2009 शुरू की वेलियमकोड और मारनचेरी के पास पड़ी मलप्पुरम जिले में पंचायतों

क्षेत्र के बारे में 200 हेक्टेयर शामिल हैं। परियोजना का उद्देश्य था :– आर्द्रभूमि प्रबंधन (1) जैव विविधता को बढ़ाना और लंबे समय तक संरक्षण सुनिश्चित करना (2) सतत प्रयोग के आर्थिक लाभ के लिए संसाधनों आर्द्रभूमि स्थानीय लोगों, जैव विविधता को सुनिश्चित करने संवर्धन और विषाक्त में परिवर्तन के प्रदर्शन (3) खाद्य जाल में विभिन्न स्तरों के दौरान प्रबंधन प्रथाओं।

एक कृषि जैव विविधता परियोजना में स्थानीय पंचायत के सहयोग से कृषि विभाग, Padasekhara Samithy और स्थानीय किसानों अगस्त, 2008 में शुरू किया गया था। परियोजना एक मई को बाटरशेड में शुरू किया गया था। Padetti गाँव में लगभग 160 हेक्टेयर भूमि का विस्तार पालक्काड जिले और मुख्य उद्देश्य प्रदर्शित करने के लिए गया था कि कैसे एक जैव विविधता कृषि पारिस्थितिकी तंत्र प्रयोग से पर्यावरण के अनुकूल हस्तक्षेप करते हुए बढ़ाया जा सकता है। इस परियोजना के भाग के रूप में निम्नलिखित वैज्ञानिक अध्ययनों से यह आउटसोर्स किए गए :–

1) तुलनात्मक फ्लोरा मुख्य रूप से जड़ी बूटियों और जैविक और रासायनिक खेती में जड़ी बूटी पारितंत्रों
2) विविधता और समुदाय की संचना जमीन में आवास अर्थोपोडस रासायनिक और जैविक खेती के क्षेत्र Bentic पशुवर्ग और मृदा रसाय के
3) अध्ययन जैविक और रासायनिक खेती क्षेत्रों में
4) होमस्टीड जैव विविधता संवर्धन।

विभाग के साथ साथ के.रा.जै.बो. कृषि गवर्नमेंट केरल के एक राष्ट्रीय आयोजन जीएम फसलों पर कार्यशाला :– उनके गुण और 02/03 फरवरी 2010 के दौरान सरकारी गेस्ट हाउस तिरुवनन्तपुरम कार्याशाला में माननीय मुख्य मंत्री केरल श्री. वी.एस. अच्युतानंदन उद्घाटन किया और माननीय कृषि मंत्री श्री. मुल्लाक्करा रत्नाकरन, अध्यक्षता किया। और माननीय वन एवं वन्य जीव मंत्री पंजाब श्री. टीकशन सूद ने भाग लिया । और माननीय कृषि मंत्री मध्यप्रदेश श्री रामकृष्णा कुसमरिया भी उपस्थित थे। तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश, दिल्ली राज्य, हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधित्व किया।

डॉ. देविदंर शर्मा, डॉ. वन्दना शिव, डॉ. पुष्पा एम. भार्गव, डॉ. जी.पी.आई. सिंह, डॉ. जी.वी. रामांजनेयेलु, श्री. टी. विजयकुमार, डॉ. नम्मालवार और डॉ. पी.वी. सतीश पर बात की थी गुण और जी एम फसलों का दोष प्रतिभागियों को शामिल वैज्ञानिकों से कृषि विश्वविद्यालयों, गैर सरकारी संगठनों, योजनाकरों और कृषि अधिकारी उपस्थित थे। मान्यता प्राप्त बैठक जीएम फसलों, खासकर कि बीटी बैंगन

जाएगा जैव विविधता पर गंभीर प्रभाव पड़ता है, बीज पर अग्रोबायोडायवरसिटी किसान के नियंत्रण भोजन सुरक्षा और लोगों के स्वास्थ्य और भार की हल व्यावसायिक खेती की अनुमति नहीं होनी चाहिए। बीटी बैंगन और अन्य जीएम फसलों, जब तक किसी भी तरह से संदेह से परे साबित नहीं है।

वन और पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार ने पश्चिम घाट क्षेत्र के संरक्षण और कार्यकल्प और भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अधिसूचनाओं के कार्यान्वयन के लिए प्रभावी उपाय सुझाने के लिए पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पेनल (प.घा.पा.वि.पे.) गठित किया गया है। केरला राज्य जैव विविधता बोर्डे के अध्यक्ष को प.घा.पि.वि.पे. का सदस्य नियुक्त किया गया है। दिनांक 31 मार्च 2010 को ए.टी.आर.ई.ई. बेगलूर में विशेषज्ञ पेनल की पहली बैठक हुई जिसमें डॉ. वी.एस. विजयन ने भाग लिया।

दिनांक 22 मई 2009 को केरल विश्वविद्यालय के जलचर और मत्स्य विभाग के संयुक्त तत्त्वाधान में कारियवट्टम परिसर में अन्तर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष आयोजित किया

गया। संगोष्ठी की विषयवस्तु जैव विविधता औंगर आक्रामक एलियन प्रजातियों था।

दिनाक 12 दिसंबर 2010 को एर्णाकुलम में न्यायपालिका के लिए जैव विविधता के संरक्षण पर एक जागृति कार्यक्रम आयोजित किया गया। दिनांक 29 सितंबर 2009 को मलप्पुरम जिले के मलप्पुरम मं मोडिया वालों के लिए एक दिवसीय संगोष्ठी आयोजित की गई।

प्रतिवर्ष 11-12 नवम्बर को बाल पारिस्थितिकी कांग्रेस मनाने के लिए वार्षिक विषय़ घोषित किया गया है। तिरुवनन्तपुरम के सामाजिक कृषि जैव विविधता केन्द्र,

एम.एस.एस.आर.एफ. वेनाद को "हरित संस्था" ऐर हिन्दु समाचार पत्र के श्री के.एस. सुधी वरिष्ट संवाददाता को "हरित मीडिया व्यक्ति"।"

3.8. मध्य प्रदेश

राज्य के वन विभाग के बाहर दोनों वन और राजस्व की पी बी आरस के प्रीपेरेशन गाँवों वन क्षेत्रों में स्थित है। 867 वन क्षेत्रों और 233 राजस्व का पी बी आरस गाँवों पीबीआरस के नमूने प्रस्तुत किया गया है। एमपीएसबीबी करने के लिए तैयार है।

मध्यप्रदेश की जैव विविधता का एटलस में वन प्रजाति विविधता दिखाने और गैर वन क्षेत्रों और जंगली और घरेलू वनस्पति और सभी 50 जिला में से प्रत्येक तहसील में पशुवर्ग मध्य प्रदेश मध्य को सौंपा गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रदेश परिषद (एमपीसीओएसटी) भोपाल संबंधित विभागों से आवश्यक आंकडे थे अर्थात खरीद, वन विभाग, कृषि विभाग, बागवानी विभाग, पशुपालन विभाग और मत्सय पालन विभाग।

बारह अनुसंधान और प्रलेखन परियोजनाओं साथी थे। विभिन्न संस्थानों के साथ लिया और संबंधित अंतरिम अंतिम रिपोर्ट / नहीं है गया एमपीएसबीबी द्वारा प्राप्त की। जागरूकता पीढ़ी की संख्या कार्यक्रम इस तरह के उत्सव के रूप में 2009 मोगली का आयोजन किया गया और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया। वर्ष के दोरन कई जिलों, साप्ताहिक रेडियो जैव विविधता पर बातचीत प्रसारित कर रहे थे और एक छोटा मध्य जैव विविधता पर वृत्तचित्र प्रदेश हकदार "जैव विविध जीवन का जाल है" दिसंबर 2006 के बाद से ले लिया है। इन समाचार पत्र के लिए भेजा गया था। सभी संबंधित सरकारी विभागों उपक्रमों / विश्वविद्यालयों, जिला कलेक्टरों, बीएमसीज आदि।

बोर्ड ने भाग लिया और स्टाल प्रदर्शित बेंगलूर में मध्य प्रदेश बायो 2009, 18-20 जून 2009 से बेंगलूर में आयोजित और बोर्ड की गतिविधियों का प्रदर्शन किया। एक पर दस्तावेजीकरण दिन प्रशिक्षण कार्यशाला पीपुल्स जैव विविधता रजिस्टर की का आयोज किया गया था वन विभाग के 32 प्रभागों के फील्ड स्टाफ के लिए।

2010 जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया गुरु गोविंद पर एकान्त 2010 उत्सव का आयोजन करके सिंह पार्क भोपाल और विभिन्न प्रतियोगिताओं के लिए चित्र

वन विभाग के 32 मंडलों के स्टाफ के लिए जाति जैव विविधता पंजीयन का प्रलेखन पर एक दिवसीय कार्यशाला ओयोजित की गई।

प्रश्नोत्तरी और प्रकृति निशान में स्कूल के बच्चों द्वारा आयोजित की गई थी।

राष्ट्रीय कार्य पर योजना के अनुरूप जैव विविधता के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा तैयार एमपी. राज्य जैव विविधता

बोर्ड हर परिकल्पना में एक जैव विविधता पार्क विकसित करने के लिए मध्य प्रदेश के जिला इस लाइनप्रस्तावों में थे। सभी जिलों से आमंत्रित किया। छह प्रस्तावों जैव विविधता पार्क इंदोर, सागर से प्राप्त किए, उज्जैन, रीवा शहडोल, देवास और स्वीकृत किए गए और पहली किस्त जारी की गई। जैव विविधता ग्वालियर जिलें में पार्क राज्य के वन विभाग के माध्यम से प्रगति पर है।

सर्वात्तम जैव विविधता गार्डन के लिए उद्यान की भूमिका में बनाने के बारे में अवेयरनेस जैव विविधता के पूर्व स्वस्थानी संरक्षण, सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए गए थे। कंपिटीशन का आयोजन अपने जिलों में सार्वजनिक निजी/ बगीचे के चयन के लिए सर्वोत्तम जैव विविधता रही है। ₹ 5000 पुरस्कार राशि के रूप में प्रत्येक जिला कलेक्टर को भेजा गया था।

आदेश में रेत पौधों संसाधनों को बढ़ाने के लिए, नर्सरी भोपाल, रीवा में स्थापित किया गया है और जबलपुर रेत पौधों के वृक्षारोपण उठाया नर्सरियों के माध्यम से शुरू की गई है सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियाँ।

इनके अलावा, कॉलेज के छात्र शामिल किए गए थे। अपने परिसर में उपलब्ध कराने के द्वारा रेत संयंत्रों स्थापना में वित्तीय सहायता प्राइज़ राज्य जैव विविधता बोर्ड और नर्सरी की स्थापना रेत संयंत्र शुरू किया गया है।

जैव विविधता के समृद्ध वनस्पति से क्षेत्रों की पहचान की (बीएसआई) भारतीय पादप सर्वेक्षण और भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (जेड.एस.आई) को घोषित किया जा रहा है। इन जैव विविधता विरासत स्थलों के रूप में संभावित क्षेत्रों का मूल्यांकन कर रहे हैं।

जैव विविधता के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया गया प्रबंधन समितियों के सदस्य और तकनीकी सहायता समूह पर जागरूक करने के लिए इंदोर में 2010/09/09 पर जैव विविधता, उज्जैन पर 2010/01/29, 2010/02/20 पर छिंदवाड़ा, सागर 2010/06/03 पर 2010/03/18 पर और खरगोन एनबीए से 25,000.00 का अनुदान दिया गया है को वितरित प्रत्येक जिला स्तर पंचायत है बीएमसी बुनियादी सुविधाओं के लिए प्रत्येक को दिया गया।

जैव विविधता अधिनियम / पर एक कार्यशाला बौद्धिक संपदा अधिकार पर आयोजित की गई थी। नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी (एनएलआइयू) भोपाल पर एक विस्तृत एक्पलेनेटरी नोट जैव विविधता अधिनियम, 2002 बायोलॉजिकल विविधता नियम, 2004 और मध्य प्रदेश जैव विविधता नियम, 2004 और बौद्धिक संपदा अधिकार दिया गया है। एनएलआइयू द्वारा तैयार किया गया है।

राज्य के वन विभाग को कहा गया है योजना में काम करने में जैव विविधता के मुद्दों को शामिल मध्य प्रदेश के सभी वन प्रभागों के। इस से पहले, राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों की कार्यशाला वन विभाग और राज्य वन अनुसंधान संस्थान का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला की राज्य के वन विभाग को उचित कार्रवाई हेतु सिफारिश की गई है।

सभी संबंधित राज्य के विभागों ने अनुरोध किया है कि उनकी नीतियों में जैव विविधता के साथ साथ मुझे कार्यक्रमों/ योजनाओं को शामिल करें।

"पर का सुद्धीकरण एक यूएनडीपी परियोजना संस्थागत संरचना को लागू करने के लिए जैव विविधता अधिनियम तीन में शुरू" किया गया था चुनिंदा जिलों अर्थात होशंगाबाद, रीवा और 15 अक्तूबर 2009 को बालाघाट।

3.9. मणिपुर

मणिपुर सरकार ने गठित मणिपुर राज्य जैव विविधता बोर्ड (एमबीबी) विभिन्न सरकार से अभ्यावेदन के साथ विभागों और विशेषज्ञता के अन्य क्षेत्रों से जैव विविधता के साथ

संबंध है। वर्तमान में श्री. डीपूनिया एस. चीफ की अध्यक्षता सचिव मणिपुर सरकार ने ले लिया। बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में 2009/06/30 पर अधिक 2009-2010 के दौरान बोर्ड की तीन बैठकें आयोजित की गई।

मणिपुर के संशोधित गजट अधिसूचना जैव विविधता नियम, 2008 जारी किया गया है इस वर्ष के दौरान नियम के अलावा मणिपुर जैव विविधता बोर्ड बनाया है। वित्तीय और प्रशासनिक दिशानिर्देश बोर्ड के सुचारू संचालन को बढ़ावा देना। 26-11-2009 राज्य के अनुमोदन के बाद मणिपुर की सरकार दिशा निर्देश जारी किए हैं। मणिपुर में अपने पांचवें राज्य जैव विविधता बोर्ड बैठक का निर्णय लिया है सब डिवीजनल कि प्रादेशिक वन अधिकारियों के लिए नोडल अधिकारी होंगे। स्थानीय निकायों में बीएमसीज का संविधान उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत जागरूक और शिक्षित करने के लिए प्रावधानों पर ऐसे सभी क्षेत्र स्तरीय वन अधिकारी जैविक, जैव विविधता अधिनियम, 2002 की विविधता नियम, 2004 और मणिपुर बायोलाफजिकल विविधता नियम, 2008 और उद्देश्यों पर भी, नीतियों और एमबीबी, एक प्रशिक्षण के कार्यक्रमों कार्यशाला 28 अक्टूबर 2009 को आयोजित किया गया। कार्यशाला जंगल की भूमिका पर प्रकाश डाला जैव विविधता संरक्षण में संसाधनों के साथ ही कर्तव्यों और नोडल अधिकारियों की जिम्मेदारियों मणिपुर के जैव विविधता प्रबंधन के विशेष संदर्भ में आज तक छह बीएमसीज की गई। द्वारा गठित मणिपुर में अलग स्थानीय निकार्यों को ध्यान में रखते राज्य, पांच में स्थानीय निकायों के विभिन्न प्रकार प्राइज़ यानी, घाटी के लिए गाँव) पंचायत तीन, ब्लॉक पंचायत, जिला परिषद (पहाडियों के लिए और दो (गाँव का अधिकार है और जिला परिषद (कर दिया गया है गठन में बोर्ड ने मंजूरी दे दी। इसकी बैठक 25-01-2010 पर आयोजित की। बाद में और अधिक बीएमसीज के गठन के बारे में राज्य को सक्रिय किया जा रहा है।

आदेश में भावी पीढ़ी के लिए टी.के. बनाए रखने के लिए, जैव चोरी से लड़ने और जैव पूर्वेक्षण भविष्य एमबीबी एक बड़ी पहल के लिए लिया एफआरएलएचटी के प्रलेखन के साथ जुडे जैव विविधता और स्थानीय स्वास्थ्य का संवर्धन मणिपुर में परंपराओं। इसके बाद, एमबीबी पुरोद्धार के लिए फाउंडेशन से संपर्क किया। स्थानीय स्वास्थ्य (एफआरएलएचटी) परंपरा, बेंगलूर की, परियोजना तैयार करने के लिए काम लेने के लिए दस्ताबेजीकरण और पुनः सशक्त स्थानीय स्वास्थ्य की सहयोग के साथ स्थानीय परंपराओं वैज्ञानिक संगठनों, वैज्ञानिकों और गैर सरकारी संगठनों।

अधारभूत सर्वेक्षण में प्रशिक्षण हकदार परियोजना प्रलेखन, तेजी से आकलन और पदोन्नति के चयनित स्थानों में स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा मणिपुर "एफआरएलएचटी" द्वारा किया गया तीन घटकों की है, अर्थात क्षमता निर्माण एक वैज्ञानिक ढंग से टी.के. का दस्तावेजीकरण, और स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा का मूल्यांकन दस्तावेज में प्रशिक्षित द्वारा किया जा रहा है। स्थानीय समुदायों के प्रतिनिधियों और समुदाय के एक परिसंपत्ति के रूप में रहना, हालांकि, प्रलेखन दो प्रतिबंधित होगा या केवल तीन समुदायों परियोजना की जा रही है। आयुष मंत्रालय के विभाग द्वारा वित्त संपोषित स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सरकार भारत अन्य समुदायों के प्रतिनिधियों इस परियोजना के तहत प्रशिक्षिण तैयार किया जाएगा सहायता से अपनी खुद की परियोजनाओं आयुष विभाग को अलग से भेजा जाएगा।

आयुषविभाग, स्वास्थ्य मंत्रालय और परिवार कल्याण परियोजना को मंजूरी दी है और जारी "एकआरएलएचटी" को पहली किस्त के रूप में 3 लाख, बेंगलोर, की दिशा में पहले कदम के रूप में परियोजना के कार्यान्वयन के एक प्रशिक्षण कार्यशाला संयुक्त रूप से "एफआरएलएचटी" द्वारा आयोजित की गई। राज्य वन विभाग, सरकार मणिपुर और 24 सितंबर को मणिपुर एसबीबी और 25, 2009 का प्रलेखन पर इंफाल में पारंपरिक ज्ञान के साथ जुडे जैव विविधता और स्थानीय स्वस्थ्य के पुनरोद्धार मणिपुर में परंपराओं यह एक प्रदान" की विचार विमर्श के लिए सभी महत्वपूर्ण अवसर पर के पहलुओं को व्यावसायिक रूप से औषधीय महत्वपूर्ण इस क्षेत्र के पौधे और बाहर काम करने के लिए व्यापक रणनीति और एक कार्य योजना के लिए इसकी पूरी क्षमता के लिए इस क्षेत्र का विकास। कार्यशाला में 53 प्रतिनिधियों ने भाग लिया पारंपरिक चिकित्सकों का प्रतिनिधित्व करने, नागरिक समाज अपुनबा मणिपुर मेअबा मेअबी जैसे समूहों फुरूप चिकित्सा विज्ञान के रीजिनल इंस्टिट्यूट (आरआई) इंफाल, जैव संसाधनों के संस्थान और स्थायी (आईबीएसडी) विकास, इंफाल, राज्य वन विभाग, मणिपुर विश्वविद्यालय इस परियोजना के अगले चरण शुरू करने के लिए है। दस्तवेजीकरण, एमबीबी एक

क्रेता विक्रेता का भी आयोजन किया पर फरवरी 22 और 23, इम्फाल में 2010 में जैव संसाधनों कं संस्थान के सहयोग से और सतत विकास (आईबीएसडी) करने के लिए एक लिंक मंच की सुविधा आयोजित जैसे किसान स्थानीय औषधीय और सुंगधित संयंत्र अत्पादकों, उद्यमी, प्रतिनिधियों की आयुष के साथ उद्योंगों का उपयोग फार्मेक्सिल, डाबर जैसे जैव संसाधनों, हिमालय, प्राकृतिक उपचार, सेंचुरी उत्पादों, श्री धनवंत्री हर्बलस, हर्बल रिसर्च कंसोर्टियम, नंदन बॉयोमेडिक्स, एलन लेबोरेटरीज लिमिटेड आदि मिलना था। जैव संसाधनों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए बॉयोरिसोर्स आधारित औद्योगिकरण, क्षमता प्राथमिक में स्थानीय उत्पादकों का निर्माण औषधीय और सुगंधित पौधों के प्रसंस्करण थेरेपी अपनी उपज का मूल्य बढ़ाने जो बारी में सुरक्षा मानको को और बेहतर बनाने के दवाओं के प्रभाव। इस प्रकार बढ़ती है कि खेती वाणिज्यक महत्वपूर्ण जैव संसाधनों, एक टिकाऊ आजीविका प्रदान स्थानीय समुदायों को राज्य के "राजस्व हरी" को बढावा देती है।

3.10. मिजोरम

मिजोरम जैव विविधता का मसौदा नियम 2008 सरकार को भेज दिया गया है। फरवरी 2010 में शामिल करने के बाद सदस्यों की टिप्पणियाँ। बोर्ड की बैठक थी 21 अप्रैल 2009 को और मुद्दों पर चर्चा ऐसे जैव चोरी, राज्य की सूची में जैव विविधता और बीएमीज और संविधान जा.जै.पं. आदि किए गए थे। बोर्ड है उनके राज्य में 234 जा.जै.प्र.स. गठन किया है। हालांकि, इन बीएमसीज को पुनः में संरचित किया जाना है नए दिशा निर्देशों के अनुरूप।

संरक्षित क्षेत्र के लिए एक दो दिन ट्रेनर प्रशिक्षण प्रबंधकों 28-29 अक्तूबर के दौरान आयोजित किया गया था, 2009 ई और एफ विभाग में। आइजोल में सम्मेलन हॉल विभिन्न विषयों पर जैव विविधता सहित संरक्षण, उच्च मूल्य के संयंत्रों और राज्य में जैव विविधता क्षेत्र। अंतर्राष्ट्रीय 2010 जैव विविधता का वर्ष पर शुरू किया गया था। 25-2-2010 माननीय मंत्रीद्वारा पर्यावरण एवं वन, मिजोरम, और अध्यक्ष, एमबीबी और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस या 22 मई 2009 पर चंपई पर मनाया। विषय इनवेसिव एलियन पर चिम्पई जिलेमें प्रजाति से संबंधित विभागों लाइन के रूप में कृषि विभाग और उप जिले के आयुक्त, जिला कृषि अधिकारी ने संसाधन के रूप में उतारा था। व्यक्ति और लक्षित दर्शकों में किसान एवं छात्रों को शामिल किया गया था।

55 वें नेशनल वाइल्डलाइफ वीक 2009 था सभी क्षेत्रीय वन प्रभागों में राज्य हाइलाइटिंग के महत्व को दशाते हुए जैव विविधता मनाया गया।

खोजें :

(क) के शाधकर्ताओं मिजोरम युनिवर्सिटी एक नई खोज की प्रजाति मेगोफाइरिड में ढ़ क की जीनस लेप्टोलेलेक्स टमडिल से मिजोरम के आर्द्रभूमियों, एल टमडिल, नया प्रजातियों, कोनजीनरस के साथ तुलना किया गया था, भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों से इस इंटरनेशनल में प्रकाशित हुआ था। पत्रिका 2406 जूटेक्सा : 57-68 दिनांक (2010) 23-3-2010 एक अतिरिक्त करने के लिए

(ख) भारतीय तितली जीव : इलाइमिनियास ओबनुबिला यानी, इवान पालमफ्लाई अखरोट, हे जींगपुई में पाया दक्षिणी मिजोरम में वन्यजीव अभयारण्य, प्रजातियों पहले से रिकार्ड किया गया है। मुख्य रूपसे रंगोग और फुकेतसे में दक्षिणी (पिनरत्ना) थाईलेंड और आमतौर पर वितरण के रूप में दिया है एस म्यांमार और थाईलैंड (इनायोशी) एस।

3.11. पंजाब

पंजाब जैव विविधता बोर्ड ने अपना तीसरा आयोजित श्री की अध्यक्षता में बैठक की। प्रकाश सिंह बादल, माननीय मुख्यमंत्री, 3 फरवरी को पंजाब, 2010 ।

पीबीबी 8 बीएमसीज और जिले में टीएसजीज गठित स्तर एसएएस नगर, फतेहगढ़ साहिब, होशियारपुर, लुधियाना, तरनटार्न, भटिंडा, फिरोजपुर, अमृतसर के उपबंधों के अनुसार जैव विविधता अधिनियम, 2002 ।

पीबीबी के सदस्य सचिव टास्क फोर्स के सदस्य विशेषज्ञ समिति के लिए के रूप में नांमित किया गया था। संरचनाओं का निर्माण, प्रशासनचल रहा है और खातों को बनाए रखने के दिशा निर्देशों की तैयारी और अन्य संबंधित जैव विविधता प्रबंधन समितियों से संबंधित मामलों, एनबीए द्वारा गठित की है।

एक शीर्षक परियोजना "इंवेस्टोराइजिंग" इंडस्ट्रीज़ पंजाब में जैव विविधता का शोषण में शामिल किया गया है। "पंजाब जैव विविधता बोर्ड द्वारा इस के लिए विशिष्ट उद्योगों के एक डेटाबेस का उपयोग विकसित करने में मदद करेगा। जैव संसाधनों, जैव संसाधनों का विवरण सामान्य रूप से कारोबार उत्पादों को छोडकर उपयोग किया और असंगठित क्षेत्रों में जैव विविधता आधारित आजीविका के बारे में जानकारी। इस कार्यक्रम के द्वारा वित्त पोषित है एनबीए।

पीबीबी 4 चंडीगढ़ साइंस (चेसकोन) कांग्रेस जिसके दौरान आयोजित की गई थी। 16-20 मार्च, 2010 पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ में और जैव विविधता पर प्रदर्शन विभिन्न पोस्टर पंजाब, जैव विविधता अधिनियम और छात्र शोधकर्ताओं और आम जनता में जागरूकता के लिए भाग लिया।

अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस (2009) 22 मई 2009 को विषय जैव विविधता और पर मनाया गया। इनवेसिव एलियन प्रजाति अनेक जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए।

3.12. सिक्किम

राज्य जैव विविधता बोर्ड का पुनर्गठन कार्य प्रगति पर है निम्नलिखित है, जो पदों के सृजन का मुद्दा एस बी बी सिक्किम, विशेषज्ञ समिति की सूचना एस बी बी सिक्किम और कुछ सहायता के तहत कर्मचारियों के लिए अधिनियम और नियमों के संशाधन करने के लिए ले जाया जा रहा है।

जैव विविधता के डाटाबेस के निर्माण चल रहा है और सभी रेंज अधिकारियों की जांच का कार्य दिया जाता है पीबीआर ड्राफ्ट के नेपाली अनुवाद सदस्य सचिव के माध्यम से एसबीबी डॉ घनश्याम शर्मा द्वारा तैयार की वनस्पतियों और पशुवर्ग की प्रजातियों की धमकी दी की सूची संकलित की गई है।

जैव विविधता पर दोनों अतीत और वर्तमान सिक्किम में अध्ययन किया जा रहा है। क्षमता निर्माण कार्यक्रमों संकलित किया गया है और कार्यशालाओं संवेदीकरण, जागरूकता

और प्रशिक्षण की जैव विविधता से संबंधित के लिए आयोजित की गई। स्थानीयपर्यावरण गैरसरकारी संगठनों और अन्य विभागों, मीडिया, आदि के साथ सिक्किम और संरक्षण के मुद्दों पर विचार किया जा रहा है।

सिक्किम जैव विविधता बोर्ड सहयोग साथ टीएमआई भारत के रूप में पर्यावरण गैर सरकारी संगठनों बेहतर पर्यावरण के लिए और समाज में जन जागरूकता के लिए कार्यक्रम के बारे में जैव विविधता तक पहुँच है, और लाभ साझा करना और इसके खामडोंग, सिंगताम, मध्य में निरंतर उपयोग पेंनडम और आसपास के गाँवों और स्थानीय लघु समितियाँ का गठन किया।

बोर्ड दो क्षेत्र गाइड के साथ प्रकाशित किया है सहयोग में विस्तार सेरंग तस्वीरें भारत अर्थात (बीएसआई) का वानस्पतिक सर्वेक्षण के साथ :

i. सिक्किम – 1 के मशरूम : बारसे एक प्रकार का फल अभयारण्य द्वारा डॉ कनाड दास और

ii. फर्नस और फर्न द्वारा सिक्किम के सहयोगी डॉ. एस. खोलिया

दोनों किताबें वन दौरान जारी किए गए दिसंबर 2009 और पर शताब्दी समापन अंतर्राष्ट्रीय प्रकार काफल महोत्सव और मार्च 2010 अप्रैल में माननीय द्वारा सम्मेलन सिक्किम डॉचामलिंग के पवन मुख्यमंत्री समिसकसि. एत और पुस्तक जैव विविधता शीर्षक राज भवन के असद के माध्यम से डॉ जारी किया गया था रहमानी, निदेशक बीएनएसएस।

अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2009 था मनाया शामिल वन, कृषि / होर्टि / फलोरी विभाग एएचएलएफ और वी विभाग एस,ईडीसीज और कुछ स्थानीय गैर सरकारी संगठनों को उजागर इनवेसिव एलियन प्रजाति और सरकारी विभागों की भूमिका अपने प्रबंधन में या व्यक्तियों और संस्थाओं और नियंत्रण। एक बैठक में आयोजित किया गया था। वन सम्मेलन एक सत्र पर सहित हॉल, सिक्किम विरोधी द्वारा आवारा और जंगली कुत्ते नियंत्रण मुद्दे रेबीज और पशु स्वास्थ्य संगठन सारा (पशु विभाग के प्रभाग पालन, पशुधन मत्सय और पशु चिकित्सा सेवा) एएचएलएफ और वन (एसएसबीबी स्थानीय आयोजन जैव विविधता के विशेषज्ञों के साथ शोधकर्ताओं बैठक संकलित, संपादित और एनसीबीएस, बेंगलूर से वन शताब्दी स्मारिका प्रकाशित की। यह आयोजित दोप्रमुख वन सैनेटेनरी मोबाइल शारंस पर फोटो प्रदर्शनी, पूर्वी सिक्किम और युमतेंग उत्तरी सिक्किम के सहयोग से है तिब्बतोलोजी डॉ अन्ना की नामग्याल संस्थान बालिक्ची–डेनजोनगप्पा, मानव विज्ञानी। यह सहायता प्रदान की सौ बरस तितली दुर्लभ की मान्यता में विदूषक सिमब्रीन्थ या सिलाना और सौ बरस का पेड़ चेरी ब्हाइट। यह भी के संगठन में मदद की "विरासत ट्री के लिए शिकार" ।

बोर्ड की तैयारी के लिए शुरू की है अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव और एक प्रकार का फल सम्मेलन अप्रैल 2010 में आयोजित होने वाला है।

3.13. तमिलनाडु

तमिलनाडु जैव विविधता बोर्ड या बॉयोलॉजिकल की धारा 22 के अधीन गठित विविधता अधिनियम अध्यक्षता में 2002 तमिलनाडु खबरदार के माननीय मंत्री की जीओ. एम.ए.न. 38 / एफआर 5 / 08 दिनांकित 2008 / 04 / 29 तमिलनाडु जैव विविधता की पहली बैठक बोर्ड, अपसमिति के गठन को मंजूरी दे दी है की अध्यक्षता में प्राचार्य एवं मुख्य वन संरक्षक के चीफ वन्यजीव वार्डन पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित

- तमिलनाडु मसौदा नियम तैयार करना सरकार के लिए जैव विविधता बोर्ड स्वीकृति और अधिसूचना।
- पदों की पहचान के लिए आवश्यक तमिल नाडु जैव विविधता
- विरासत स्थलों के बाहर पहचान तमिलनाडु में वन क्षेत्रों
- जैव विविधता प्रबंधन का गठन स्थानीय निकायों के स्तर पर समिति
- पीपुल्स जैव विविधता की तैयारी रजिस्टर।

तमिलनाडु के संशाधित मसौदा नियम जैव विविधता बोर्ड तैयार किया गया है और भेजा स्वीकृति औरसूचना के लिए सरकार को। सरकार 8 पदों की मंजूरी दी है। अधिसूचना जीओ.एमएस. न. 38 / एफआर 5/09 के लिए 2009/ 05/14 दिनांकित तमिलनाडु जैव विविधता बोर्ड के कार्यालय में सांत्वना औपरेटर के पद को भरा गया था और अन्य पदों को चाहते हैं नहीं भरा जा सकता है। वन विभाग में अतिरिक्त स्टाफ की सरकार को संशोधन अनुसार सरकार के आदेशों को भरने के लिए रिक्तियों या दूसरे से प्रतिनियुक्ति हस्तांतरण के माध्यम से विभागों। जैव विविधता का संविधान स्थानीय के स्तर पर प्रबंधन समिति निकायों प्रगति पर है।

कार्रवाई करने के लिए लिया जा रहा है एनजीओ के माध्यम से 5 बीएमसीज का गठन, एम एस स्वामीनाथन रिसर्च

फाउंडेशन, चेन्नै और काम प्रगति पर है। कार्रवाई करने के लिए 3 बीएमसीज गठन के माध्यम से लिया जा रहा है निजी संस्था है और कार्य प्रगति पर है। संकट में पड़ी प्रजातियों की सूची तैयार करके अनुमोदन के लिए भारत सरकार को भेजा है। तमिलनाडु सरकार की सूची को मंजूरी दी है पौध और पशु प्रजातियों की संकट में हैं।

उप समिति की पहचान की है एक महत्वपूर्ण तमिलनाडु और आगे के विवरण, में पवित्र ग्रोव के रूप में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण प्रति निर्देश कर रह हैं। एकत्र हुए तमिलनाडु जैव विविधता बोर्ड का उपयोग करने के लिए 11 आवेदन प्राप्त हुए है। जैविक संसाधनों, तीन आवेदन किया गया, अस्वीकार कर दिया और आठ जांच के दायरे में हैं।

विश्व जैव विविधता दिवस मनाया गया। 22 मई 2009 संयुक्त रूप से विभाग के साथ अन्ना विश्वविद्यालय में पर्यावरण एक संगोष्ठी का विषय था इनवेसिव "एलियन प्रजाति" और प्रख्यात वैज्ञानिकों को आमंत्रित किया गया उद्धार व्याख्यान दिए। एक रैली और कार्यशाला थी रामनाथपुरम में साथ संयुक्त रूप से आयोजित मन्नार बॉयोस्फीयर रिज़र्व ट्रस्ट की खाडी और एक आक्रामक विदेशी प्रजातियों पर बुकलेट द्वारा जारी किया गया था उस पर रामनाथपुरम जिले के कलेक्टर दिन पर इनवेसिव "एलियन प्रजाति एक" कार्यशाला थी पुलिस के जिला अधीक्षक द्वारा अध्यक्षता की।

सदस्य सचिव संयुक्त भाग लिया है। 10 मई 2009 को राज्य के सदस्य सचिवों की बैठक जैव विविधता कोलकत्ता बोर्ड में हुई।

3.14. त्रिपुरा

त्रिपुरा जैव विविधता बोर्ड के शासी निकाय (त्रि.जै.वो.) को तीन बार बैठक हुई। जिसमें विचार विमर्श किया गया। त्रि.जै.बो. की सरकारी वेबसाइट को अंतिम रूप दिया जा चुका है जिसका शीघ्र ही लोकार्पण किया जाएगा। वेबसाइट का पता: www.tripurabiodiversityboard.in है। चार जिलो में मोहनपुर, जिरानिया, डुकली, बिशलगढ़, मेलागढ़, खोवई और बोकाफा नाम से चार खंडो में सात प्रबंधन समितियँ गठित की गई। जैव विविधता घटकों के आविष्कार (लागत 6 करोड) को त्रिपुरा में जापान अन्त्राष्ट्रीय निगम एजेंसी और त्रि.जै.बो. के बीच समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप दिया और हस्ताक्षर के लिए वचनबंध किया।

त्रिपुरा से जैव विविधता के शासी निकाय बोर्ड (टीबीबी) की अधिकारिक वेबसाइट है अंतिम रूप दिया और शार्टली दि वेबसाइट लांच होगा पता है.... एक अक्टूबर कवर – दिसंबर 2009 है और दूसरे को कवर जनवरी से मार्च 2010 । इससे क्षेत्र का दौरा करने के लिए और पर्यटन लिया विभिन्न सम्मेलनों और बैठकों में भाग लेने के जैव विविधता संरक्षण के साथ जुडे मुद्दों पर है।

3.15. उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड की तीसरी बैठक दिनांक 8 दिसंबर 2009 को हुई और इसमें अनेक मुख्य निर्णय लिए गए। लखीमपुर खेड़ी जिले में सैदापुर देवकाली में एक जैव विविधता प्रबंधन समिति गठित की और जाति जैव विविधता पंजीयन तैयार किया।

दिनांक 22 मई 2009 राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालय परिसर लखनऊ में जैविक विविधता (अं.जै.दि. 2009) पर अन्तर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। इसी प्रक्रिया में "आक्रामक एलियन प्रजातियाँ" विषय पर एक दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें अनेक विभागों विभिन्न वैज्ञानिक विशेष और विभिन्न पण्यधारकों जिसमें गैर सरकारी संगठन भी शामिल है लगभग 300 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

उ.रा.जै.बो. ने वर्ष 2009-10 में दो अनुसंधान परियोजनाओं को संरक्षण दिया। पहली "लखनऊ और उसके आस–पास के क्षेत्र में सब्जियों की प्राचीनता और पुष्प उत्पादन में जैव विविधता का प्रलेखन और मानचित्र सर्वेक्षण "है और दूसरी आधार भूत सर्वेक्षण और नवविकासित कुकरैल वन की सूक्ष्म जैव विविधता का मान चित्रण"।

"उत्तर प्रदेश के प्राचीनतम और अल्प प्राचीनतम पौधों की जैव विविधता और आक्रामक एलियन प्रजातिया 2009" नामक दो पुस्तकें प्रकाशित की गई। दो ई–समाचार अक्तूबर से दिसंबर 2009 तक और दूसरा जनवरी से मार्च 2010 तक के समाचारों के निकाले गए। (http://www.upsbdb.org) इसमें जैव विविधता के संरक्षण के बारे में विभिन्न फील्ड विजिट और दौरे जो सहभागियों द्वारा विभिन्न संम्मेलनों और बैठकों में भाग लेने के लिए किए गए।

3.16. पश्चिम बंगाल

पश्चिम बंगाल जैव विविधता बौर्ड पूरा के सफल कार्यान्वयन के दूसरे वर्ष जैव विविधता अधिनियम, 2002 और अन्य अधिनियम, नियम और सूचनाएं संबद्ध प्रोफेसर ए.के. शर्मा के मार्गदर्शन में अध्यक्ष और श्री. देबल रे सदस्य सचिव।

दो जैव विविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी) थे 2009 के दौरान गठित 2010 एक के तहत द्वितीय पंचायत समिति – (पी एस) बसीरहत पर जिला उत्तर 24 परगना और

जियागंज में अन्य जिला अंतर्गत अजीमगंज नगरपालिका मुर्शिदाबाद। वर्ष के दौरान, 21 बीएमसीज किया गया है राज्य में गठन किया है।

पीपुल्स जैव विविधता रजिस्टर की तैयारी (पीबीआर) व्यायाम प्रगति के तहत पहले से ही था के अंतर्गत उपरोक्त दो बीएमसीज इस साल गठन किया है। बसीरहत तहत पीबीआर व्यायाम–द्वितीय पी एससपर कोहलापोटा ग्राम (जीपी) जियागंज में पंचायत और अजीमगंज नगर पालिका में किया गया था। स्थानीय कॉलेजों की पहल के माध्यम से पिछले वर्ष इसके अलावा, बोर्ड तैयारी शुरू कर दी है सागर द्वीप के 3 जी पी एस और 5 बच्चों पर पीबीआर की के अनुदान के माध्यम से नगर पालिका मध्यमग्रामउसी के लि विभिन्न गैर सरकारी संगठनों को परियोजना। अन्य निसे विस्तार तीन और को प्रदान की गई थी। परियोजनाओं के लिए पहले से ही पीबीआर अभ्यास में शामिल में दस्तावेजीकरण की प्रगिया को पूरा करने के उनके वर्ष के दैरान पूरे पीबीआर संबंधित जीपीज की पीबीआरस और तैयार करने के उनके वर्ष के दौरान पूरे पीबीआर संबंधित जीपीज की पीबीआरस और तैयार करने के लिए बीएमसीज इसके अलावा दो विश्वविद्यालयों में, 2 नगर पालिकाओं ससात कालेजों, 6 स्कूलों और राज्य में 5 गैर सरकारी संगठनों भी इसी तरह के अभ्यास में शामिल थे, जैसे तीन पचास पीबीआरस पर किया गया है आज तक शुरू जीपी और नगर पालिका का स्तर।

पश्चिम बंगाल जैव विविधता बोर्ड मनाया अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2009 परिवेश भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन, साल्ट लेक सिटी, 22 मई, 2009 को कोलकत्ता, पोस्टरों की एक प्रदर्शनी अनुसंधान द्वारा तैयार पश्चिम बंगाल जैव विविधता बोर्ड के विद्वान था। परिवेश भवन में स्थापित की। एक छोटी बंगाली फिल्म आदिवासी अनुष्ठानों पर जैव विविधता के संरक्षण में था दिन के दौरान भी जांच की।

बोर्ड को जिम्मेदारी सौंपी गई थी 4 राज्य जैव विविधता बोर्ड की व्यवस्था की कोलकत्ता में एनबीए की समीक्षा बैठक की। विभिन्न राज्य बोर्डों के तत्वाधान में मुलाकात कोलकत्ता में एनबीए। विभिन्न मुद्दों से संबंधित अधिनियम में अपनी प्रासंगिकता के कार्यान्वयन विश्व व्यापार संगठन और ट्रिप्स और की वर्तमान परिदृश्य उसके उत्पन्न होने, पयोग और लाभ बांटने के मुद्दे तंत्र के साथ तालमेल अन्य भारतीय प्रासंगिक कानून और में विशिष्ट भूमिकाओँ में परिभाषित कार्यान्वयन की प्रक्रिया में चर्चा की गई। 10-11 सितंबर 2009 के दौरान बैठक पार्क होटल में कोलकत्ता में आयोजित की गई थी।

एक के लिए जैव विविधता बीच तालमेल कायम करने की कोशिश में अधिनियम, 2002 और पादप विविधता एवं संरक्षण की किसान अधिकार अधिनियम, 2001 पश्चिम बंगाल जैव विविधता के सहयोग से बोर्ड विधान चंद्र कृषि और विश्वविद्यालय कृषि विभाग, पश्चिम की सरकार बंगाल के लिए किसान विभिन्न प्रकार प्राप्त चलाया 23 विभिन्न पारंपरिक चावल के लिए पंजीकरण पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों से किस्म को पीपीवी करने के लिए और संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने से एफआर प्राइज़, नई दिल्ली, के भीतर निधारित समय पर की गई। 2009-10 के दौरान तीन बोर्ड बैठकें आयोजित की गई।

परिशिष्ट-1 राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के सदस्य

जैव विविथता प्रधिकरण अधिनियम की धारा 8 की उपधारा 4 के अंतर्गत प्राधिकरण के वर्तमान सदस्यों की नियुक्ति की गई :

अध्यक्ष : डॉ.पी.एल, गौतम, अध्यक्ष राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, चेन्नै (सं. 12, भाग – I खण्ड – 2 साप्ताहिक भारत के राजपत्र नई दिल्ली, मार्च 21-27, 2009 के पृष्ठ 291)

पदेन सदस्य दिनांक (17 जुलाई 2008 के पत्र सं. - 28-16/2008-CS-III MoEF)

क्र.सं.	पदेन सदस्य	के द्वारा प्रतिनिधित्व
1.	भारत सरकार के जनजाति मंत्रालय में संयुक्त सचिव या इसके समकक्ष स्तर का अधिकारी।	श्री. ए.के. श्रीवास्तव, निदेशक, जनजाति जनजाति मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
2.	भारत सरकार, वन और पर्यावरण मंत्रालय के अपर महानिदेशक (वन)।	श्री. पी.बी. गंगोपाध्याय, भा.न.से अपर महानिदेशक (वन) वन और पर्यावरण मंत्रालय, पर्यावरण भवन, नई दिल्ली।
3.	भारत सरकार के संयुक्त सचिव जो इस विषय को वन और पर्यावरण मंत्रालय में देखता हो।	श्री. ए.के. गोयल, भा.व.से. संयुक्त सचिव (के.से.) वन और पर्यावरण मंत्रालय, पर्यावरण भवन, नई दिल्ली।
4.	भारत सरकार के संयुक्त सचिव या इसके समकक्ष अधिकारी जो कृषि मंत्रालय के कृषि अनुसंधान और शिक्षा के विषय को देखता हो।	डॉ. एस.के. दत्ता उप महानिदेशक (फसल विज्ञान) भा.कृ.अ. परिषद, कृषि भवन, नई दिल्ली।
5.	भारत सरकार के संयुक्त सचिव या समकक्ष अधिकारी जो जैव प्रौद्योगिकी विभाग में इस विषय को निपटाते हो।	डॉ. रेणू स्वरूप, परामर्श दत्ता, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, के.का. परिसर नई दिल्ली।
6.	भारत सरकार के संयुक्त सचिव या समकक्ष अधिकारी जो समुद्र विकास विभाग में इस विषय को देखते हो।	श्री. पी. मदेश्वरन, निदेशक, भू–विज्ञान मंत्रालय, लोधी मार्ग, नई दिल्ली।
7.	भारत सरकार के संयुक्त सचिव या इसके समतुल्य अधिकारी जो कृषि एवं सहकारी विभाग के विषय को देख रहे हैं।	श्री. पंकज कुमार, संयुक्त सचिव (पादप संरक्षक) कृषि एवं सहकारी विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
8.	भारत सरकार के संयुक्त सचिव या इसके समकक्ष अधिकारी जो भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथई विभाग में इस विषय को देख रहे हों।	श्री. बी.एस. सजवान भा.व.से, मुख्य कार्यकारी अधिकारी राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड चन्द्रलोक भवन, नई दिल्ली।
9.	भारत सरकार के संयुक्त सचिव या इसके समकक्ष अधिकारी जो विज्ञान और औद्योगिकी विभाग में इस विषय को देख रहे हों।	डॉ. बी. हरिगोपाल, परामर्शदाता, विज्ञान और प्रौद्योकिकी विभाग, तकनीकि भवन, नई दिल्ली।
10.	भारत सरकार के संयुक्त सचिव या इसके समकक्ष अधिकारी जो विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग में इस विषय को निपटा रहे हों।	डॉ. नरेश कुमार, प्रधान, अ.एवं.वि. योजना प्रभार, विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, रफी मार्ग, नई दिल्ली।

दिनांक 15 **फरवरी** 2010 **को भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना सं–एस, ओ** 389 **(ई) के अनुसार गैर सरकारी सदस्य** :

1.	डॉ. एस. सुब्रमणियम 54, वी.जी.पी.सी. व्यू पार्ट – II, 2 मेन रोड, 5 वाँ क्रास स्ट्रीट पालवाक्कम, चेन्नै – 600 041.	22 फरवरी 2010 से पुनर्नियुक्ति
2.	डॉ. ए.के. घोष निदेशक, पर्यावरण एवं विकास केंद्र 329, जोधपुर पार्क, कोलकत्ता – 700 068.	21 फरवरी 2010 तक
3.	प्रो. राघवेन्द्र गडगकर जैविक विज्ञान केन्द्र भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलूर – 560 012.	21 फरवरी 2010 तक
4.	प्रो. अनिल गुप्ता भारतीय प्रबंधन संस्थान वस्त्रपुर, अहमदाबाद – 380 015. गुजरात	21 फरवरी 2010 तक
5.	प्रो. कदिरेसन प्राध्यापक समुद्रीय जीव विज्ञान, विज्ञान में उच्च अध्ययन केन्द्र अण्णामलै विश्वविद्यालय परंगापेट्टई – 608 502 तमिलनाडु	21 फरवरी 2010 तक
6.	डॉ. आर.एस. राना अध्यक्ष, जैव–लिंक डी – 43, इंद्रप्रस्थ अपार्टमेंटस् सेक्टर – 14, रोहिणी नई दिल्ली – 100 025	22 फरवरी 2010 तक
7.	डॉ. उपेन्द्रधर 11, एस.बी.आई. अपार्टमेंट्स् इचर स्कूल के नजदीक, सेक्टर – 46 फरीदाबाद – 121 002 हरियाणा	22 फरवरी 2010 तक
8.	डॉ. के.एम. बुजर बारुआ उप–कुलपति आसाम कृषि विश्वविद्यालय जीरहार – 785 013.	22 फरवरी 2010 तक
9.	डॉ. दर्शन शंकर सलाहकार – एफ.आर.एन.एच.टी अध्यक्ष आयुर्वेद संस्थान एवं इंटेग्रेटेड मेडिसिन (IAIM) 74/2, जरकबंडेकवल पोस्ट अत्तूर यलहंका मार्ग से बेंगलूरु - 560 064.	22 फरवरी 2010 तक

सचिव :

श्री. सी. अचलेन्दर रेड्डी (भा.व.से.)

परिशिष्ट-2 राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का संगठन चार्ट

राष्ट्रीय जैव विविधता का संगठन चार्ट

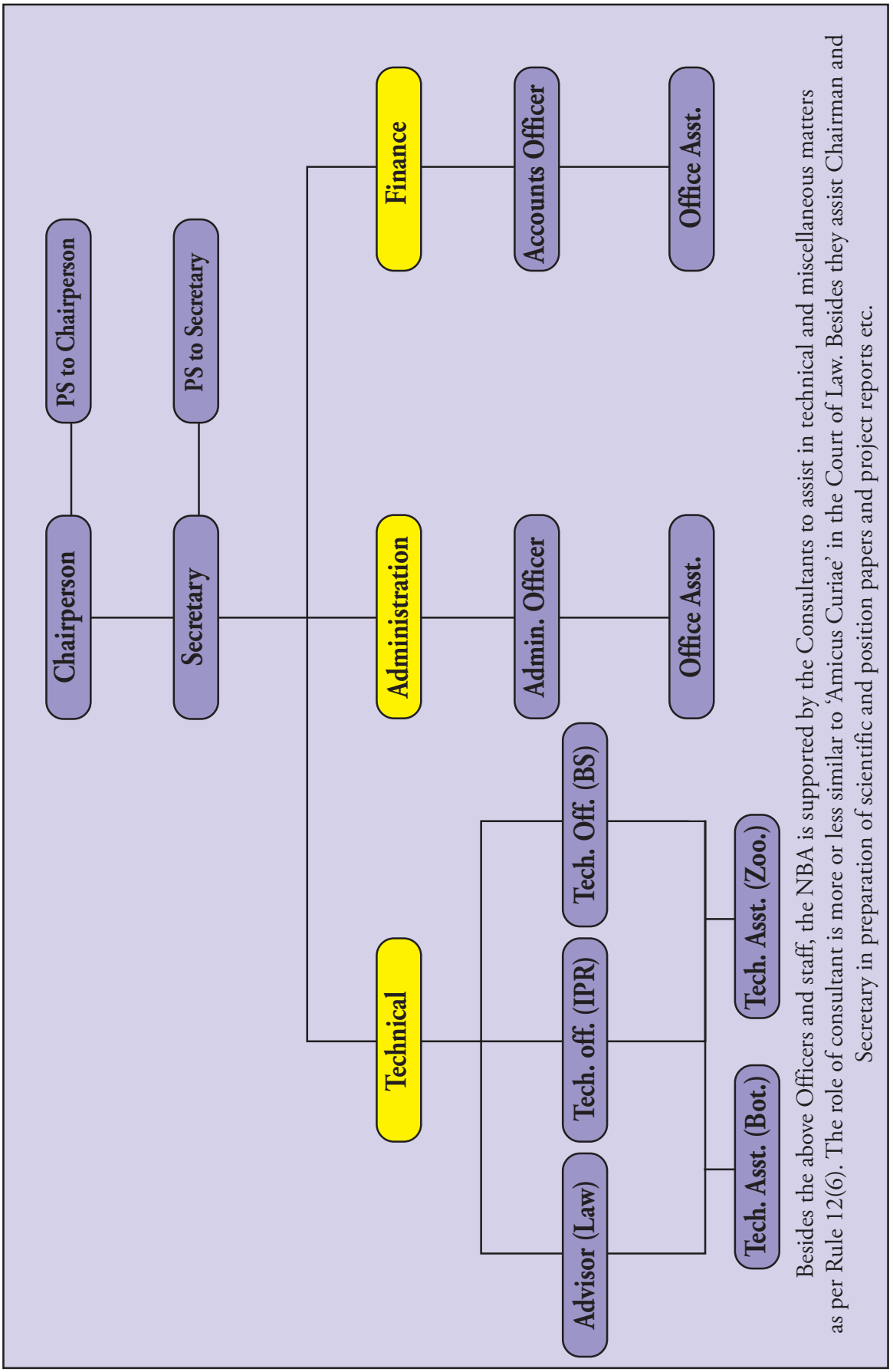

परिशिष्ट-3 राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्टाफ संख्या

पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	टिप्पणी
अध्यक्ष	1	1	–	
सचिव	1	1	–	
अध्यक्ष के निजी सचिव	1	1	–	
सचिव के निजी सचिव	1	1	–	
प्रशासनिक अधिकारी	1	1	–	
लेखा अधिकारी	1	1	–	
तकनीकी अधिकारी बौ.स.अ....1 फा.भा.अ...1	2	1	1	पद हेतु पात्रताशर्ता का संशोधनाधीन है।
सलाहकार (विधि)	1	1	–	
कार्यालय / कंप्यूटर सहायक	2	2	–	
तकनीकी सहायक	2	2	–	
आशुलिपिक "सी"	1	1	–	
आशुलिपिक "डी"	1	–	1	पद विज्ञापित किया जा रहा है।
चपरासी	1	1	–	दो बाहरी व्यक्ति काम कर रहे हैं।
योग	**16**	**14**	**2**	

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के अधिकारियों तथा स्टाफ की सूची

सं.	व्यक्ति	पदनाम
1.	डॉ. पी.एल. गौतम	अध्यक्ष
2.	श्री सी. अचलेंद्र रेड्डी	सचिव
3.	श्रीमती एस. पदमावती	प्रशासनिक अधिकारी
4.	श्रीमती लक्ष्मी शंकररामन	लेखा अधिकारी
5.	श्री आर. रमेश	अध्यक्ष निजी सचिव
6.	श्री चित्ररसु	सलाहकार (विधी)
7.	डॉ. के.पी. रघुराम	तकनीकी अधिकारी (हितलाभ सहभागिता)
8.	श्रीमती शांति जयराम	सचिव निजी सचिव
9.	श्री पी. आनन्द कुमार	तकनीकी अधिकारी (पादप विज्ञान)
10.	श्री पी. जयशंकर	तकनीकी अधिकारी (प्राणी शास्त्र)
11.	श्री डी. चेरियन	कार्यालय / कंप्यूटर सहायक
12.	श्रीमती एस. कांचना	कार्यालय / कंप्यूटर सहायक
13.	श्रीमती जी.एस. क्षीबा	आशुलिपिक ग्रेड सी
14.	श्री सुरेंद्र राम	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

राज्य जैव विविधता बोर्डों के अध्यक्ष व सचिव

सं.	राज्य	अध्यक्ष	सचिव
1.	आंध्र प्रदेश	डॉ. हंपय्या रलडोड्डी	डॉ. भास्कर रामन पूर्ति
2.	अरुणाचल प्रदेश	श्री तबोम बाय	श्री जी.एन. सिन्हा
3.	छत्तीसगढ़	श्री विक्रम असैन्दी	श्री एन.के. भगत
4.	गोवा	श्री अलेक्सियो सकेरिया	डॉ. जोसेफ एस.आर. डिसूजा
5.	गुजरात	श्री बी.एन. श्रीवास्तव	श्री एन.एस. यादव
6.	हरियाणा	केप्टन अजय सिंह यादव	श्री टी.एल. सत्यप्रकाश
7.	हिमाचल प्रदेश	श्रीमती आशा स्वरूप	डॉ. नगीन नन्दा
8.	झारखंड	श्री ए.के. सिंह	श्री एस.के. शर्मा
9.	कर्नाटक	कृष्णा पापर	श्री रमेश सी. प्रजापति
10.	केरल	डॉ. वी.एस. विजयन	श्री जी. राजीव
11.	मध्य प्रदेश	श्री भवानी वैद	श्री सुधीर कुमार
12.	मणिपुर	डी.एस. पुनिया	श्री बाला प्रसाद
13.	मिजोरम	श्री एच. रोहलुना	श्री एल.आर. टेंगा
14.	नागालैण्ड	माननीय वन मंत्री	श्री एलवर्ट सोलो
15.	ओडिसा	यु.एन. बेहरा	बी.पी. सिंह
16.	पंजाब	श्री प्रकाश सिंह बादल	डॉ. नीलिमा जेरात
17.	सिक्किम	डॉ. पवन चामलिंग	श्री एन.टी. भूतिया
18.	तमिलनाडु	श्री एन. सेल्वराज	श्री आर. गुणसेकरन
19.	त्रिपुरा	डॉ. एस.के. पंडा	डॉ. ए.के. गुप्ता
20.	उत्तराखंड	डॉ. बरफल	जयराज
21.	उत्तर प्रदेश	चंचल कुमार तिवारी	श्री पवन कुमार
22.	पश्चिम बंगाल	प्रो. अरुण कुमार शर्मा	श्री डेबाल राय

परिशिष्ट-4 राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के महत्वपूर्ण प्रकाशन

जैव विविधता अधिनियम 2002, नियमों 2004 और अधिसूचनाओं का सार–संग्रह।

आक्रामक एलियन प्रजातियों पर एक स्मरिका

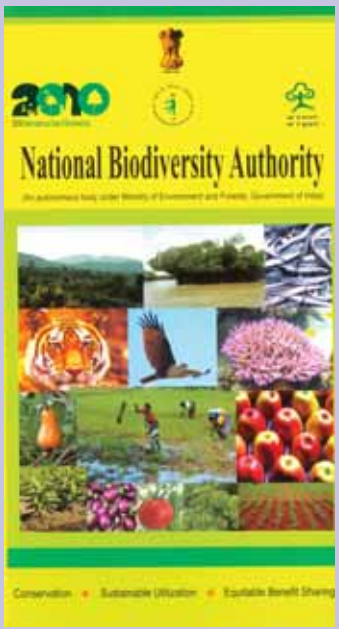

जैव विविधता प्राधिकरण पर उपलब्धि।

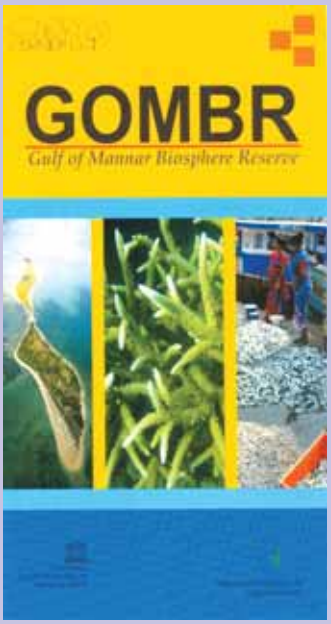

मन्नार की खाड़ी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र पर उपलब्धि।

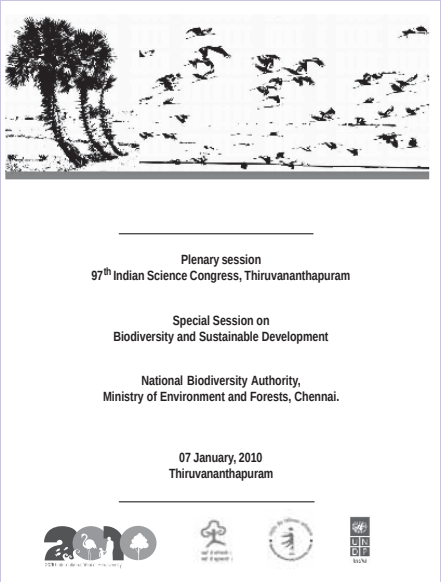

जैव विविधता और संपोषण विकास पर परिपूर्ण सत्र के लिए सार, दिनांक 7 जनवरी 2010 को केरल में हुई 97वी भारती विज्ञान काग्रेस।

आक्रामक एलियन प्रजातियों पर "खतरनाक पड़ौसी" नामक एक फिल्म।

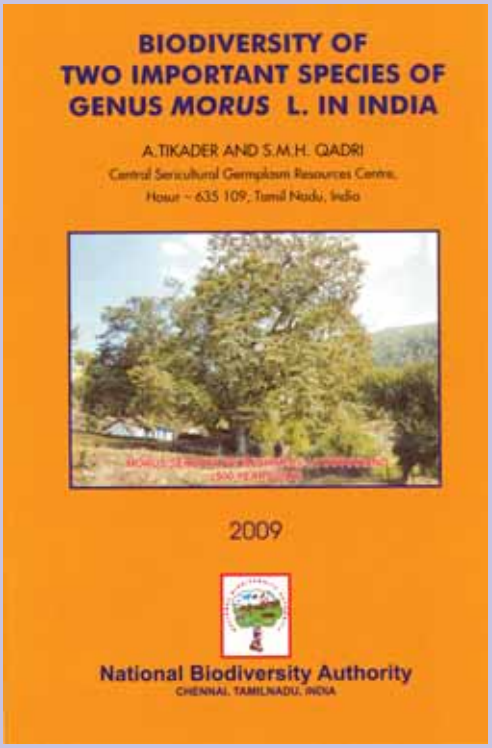

भारत में जेनस मरुस एल नाम की दो महत्वपूर्ण प्रजातियों की जैव विविधता पर प्रकाशन।

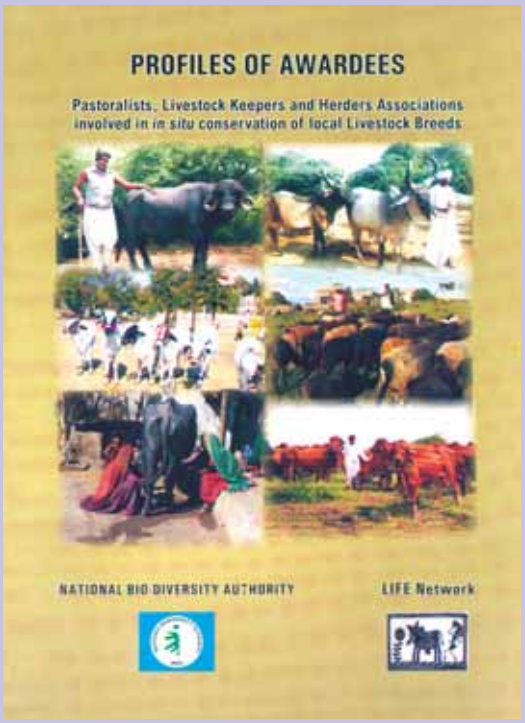

क्षेत्रीय जीव पालन–पोषण के वर्तमान संरक्षण में कार्यरत पशुपालकों पशुचारियों और गोवृंद समाज के पुरस्कृत पार्श्व चित्र।

परिशिष्ट-5 प्रशिक्षण/संगोष्टी/कार्यशालाओं इत्यादी के लिए सहयोग दिया

सं	संस्था	विषय–विस्तु
1.	लोयला कॉलेज, चेन्नै	दिनांक 19 से 22 मार्च 2008 तक "जैव विविधता और कृषि जैव विविधता संरक्षण मेला"
2.	एम.एस.एस.आर.एक, तरमणि, चेन्नै	वर्ष 2008-2009 के लिए जैव विविधता एवं कृषक अधिकार संबंध विधि निर्माण की क्षमता
3.	आंध्र प्रदेश जैव विविधता बोर्ड	दिनांक 23.08.2000 को जैविक चोरी और बौद्धिक संपदा अधिकार, जैव विविधता के लिए क्षमता निर्माण विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई
4.	भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण, दक्षिण परिमण्डल	दिनांक 11 व 12 सितंबर 2008 को जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 38 के कार्यन्वयन के लिए विषेषज्ञों के साथ संकटाधीन पादप किस्मों की राज्यवार अंतिक रूप देने के लि विचार–विमर्श
5.	कर्नाटक जैव विविधता बोर्ड	दिनांक 11 व 12 सिंतबर 2008 को जैव विविधता का शोषण करने वाले उद्योगों की सूची बनाना
6.	आंध्र प्रदेश जैव विविधता बोर्ड	वर्ष 2008 के छः महीनों में पश्चिम बंगाल में जैव विविधता का शोषण करने वाले उद्योगों की सूची बनाना
7.	पश्चिम बंगाल	वर्ष 2008 के छः महीनों में पश्चिम बंगाल में जैव विविधता का शोषण करने वाले उद्योगों की सूची बनाना
8.	विज्ञान एवं तकनीकी के लिए पंजाब राज्य परिषद	वर्ष 2008-09 में पंजाब में जैव विविधता का शोषण करने वाले उद्योगों की सूची बनाना
9.	कर्नाटक जैव विविधता बोर्ड	दिनांक 02.03.09 को कर्नाटक के जैव विविधता से संबंधित परंपरागत ज्ञान पर कार्यशाला का आयोजन
10.	मध्य प्रदेश जैव विविधता बोर्ड	वर्ष 2008 के छः महीनों में मध्य प्रदेश में जैविक प्रसाधनों पर आधारित उद्योगों का प्रलेखन
11.	केन्द्रीय रेशम–उत्पादन जीवाणु संसाधन केन्द्र केंद्रीय रेशम बोर्ड, होसूर तमिलनाडु	दिनांक 07 एवं 8 मार्च 2009 को "रेशम जैव विविधता संरक्षण विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला"
12.	लोयला कॉलेज, चेन्नै	08 से 10 जनवरी 2009 तक पर्यावरण के विकास के लिए मूल्यांकन और प्रबंधन संवेदन में आधुनिक प्रवृत्ति
13.	पर्यावरम संरक्षण और सामुदायिक विकास के लिए ट्रस्ट (ट्री) चेन्नै	20 व 21 जनवरी 2009 को जैव विविधता के संरक्षण के लिए विद्यार्थियों को व्यक्तिगत योजना बनाने के लिए शिखर सम्मेलन
14.	राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक ससाधन ब्यूरो करनाल	"वर्तमान एवं भुत से शिक्षा लेते हुए प्राणी जैव विविधता" पर दिनांक 12 व 13 फरवरी 2009 को राष्ट्रीय संगोष्ठी की गई
15.	भारतियार विश्वविद्यालय, कोयम्बतूर	दिनांक 09 से 12 फरवरी 2009 तक "कीटों की जैव विविधता : प्रबंधन और संरक्षण" पर वैज्ञिक उष्णता की अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस आयोजित की
16.	कृषि विज्ञान की तरक्की के लिए ट्रस्ट (टास) नई दिल्ली	दिनांक 10.4.2009 को "भारत में फार्म पशु अनुवांशिकी संसाधनों के संरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों को विचार विमर्श करने के लिए उन्मादी कार्यशाला" आयोजित की गई
17.	लोयला कॉलेज, चेन्नै	दिनांक 10 से 13 तक अनुसंधान प्रणाली विज्ञान, इलेक्ट्रानिक अनुसंधान औजार और जैव विविधता संरक्षण के लिए जैव तकनीकी औजारों के आधुनिक दृष्टिकोण रखना
18.	मुंबई प्राकृतिक इतिहास सोसाइटी, मुंबई	दिनांक 22.02.09 को "पाइंट केलीमर, रामसर स्थल : भूत, वर्तमान और भविष्य के संरक्षण और प्रबंधन" के बारे में
19.	कल्पवृक्ष पर्यावरण सक्सन समूह, पूणे	भारत में सामुदायिक संरक्षण की निर्देशिका का प्रकाशन

परिशिष्ट-6 राष्ट्रीय जैव प्राधिकरण नागरिकों का चार्ट

1. दृष्टी

भारत की समृद्ध जैविक विविधता जीवित रखते हुए संरक्षण एवं जनता की साझीदारी सहित ज्ञान को जोड़कर वर्तमान एवं अगली पीढ़ियों के भलाई के लिए लाभान्वित हिस्से की प्रक्रिया को सुनिश्चित करें।

2. मिशन

जैविक विविधता अधिनियम 2002 एवं जैविक विविधता नियमावली 2004 प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करना सुनिश्चित करे ताकि इसके घटक अच्छे उचित मात्रा में अनुवांशिक स्रोत से प्रयोग करते हुए मिल सके।

3. आदेश

भारतीय जैविक स्रोत सार्वभोम अधिकार को सुनिश्चित करें एवं जैविक स्रोत अथवा सहयोगी तत्वों के दुर्नियोजन पर निवारण करने हेतु सहयोग करें। संरक्षण नीति तैयार करें एवं जैविक स्रोत का उपयोग करते हुए घटकों को जीवित रखकर इसका उचित मात्रा में लाभ मिल सके।

जैविक विविधता अधिनियम 2002 के प्रावधानों के अनुसार सूत्रीकरण के मार्गदर्शन द्वारा गतिविधियाँ चलाएँ जैविक स्रोत के लिए अधिक मात्रा में सामग्री दें एवं पणधारों के पास पहुँचने एवं उचित मात्रा में इसका लाभ मिलना सुनिश्चित करें। भारत में कोई जैविक स्रोत अथवा उससे संबंधित, जैसे – भारतीय मूल के जैविक स्रोत पर अन्य देशों के व्यक्तियों पर बौद्धिक संपदा अधिकार द्वारा विरोध करने का उपाय करती है।

राज्य सरकार उनके जैव विविधता विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित को सलाह दी जाती है और धरोहर स्थलों को अधिसूचित करें और यह भी सुझाव दें कि उनके प्रबंधन का उपाय एवं जीवितोयोगी प्रयोग। उनके विशेष क्षेत्राधिकार के अधीन जो क्षेत्र आता है उन्हें जैव विविधता प्रबंधन समिति (जै.प्र.स.) के द्वारा जनता जैविक विविधता रजिस्टर (पी.बी.आर.) तैयार करके मार्गदर्शन तकनीकी एवं निर्माण समर्थन दें)

जैविक विविधता अधिनियम 2002 के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यकतानुसार ऐसे अन्य समारोहों का आयोजन करें।

4. स्टेक होल्डर्स – पणधारी

जैव ववधता एक बहु अनुशासनिक विषय है जिसके अंतर्गत विविधियाँ पहल एवं पणधारी आते हैं। स्टेक होल्डर्स के जैविक विविधता के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार संघ शासित प्रदेश पंचायत राज के संस्थान, सिविल सोसायटी संगठन, उद्योग, गैर–सरकारी संगठन, अनुसंधान एवं विकास संस्थान, विश्वविद्यालय एवं जनता।

5. प्रदान की गई सेवाएँ

संरक्षण को प्रोन्नत करना एवं जैव विविधता को जीवन उपयोगी बनाना।

राज्य जैव विविधता बोर्ड का समन्वयन एवं जैव विविधता प्रबंधन समिति, प्रायोजित अध्ययन एवं अनुकूली / प्रचालन जांच एवं अनुसंधान द्वारा तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराना एवं जो आवश्यक पाया गया आयोग का अध्ययन। जैव विविधता संरक्षण से संबंधित मामलों पर भारत सरकार की सलाह, जीवितों उपयोग एवं उनके घटक एवं जैविक स्रोत का लाभ का उचित मात्रा में हिस्सा।

भारत में जैविक स्रोत अधिक मात्रा में पाया जाना अथवा इससे संबंधित अनुसंधान का परिवर्तित परिणाम, बौद्धिक संपदा अधिकार प्राप्त करना, अनुसंधान हेतु अधिक मात्रा में जैविक स्रोत का अन्य पार्टी को परिवर्तित करना अथवा वाणिज्यिक उपयोग हेतु अथवा जैव सर्वेक्षण उपयोगिता हेतु।

सभी पणधारियों को जैव स्रोत के द्वारा अधिक मात्रा में देती है जिसका उचित मात्रा में हिस्सा लाभ होल्डर्स एवं उपयोग कर्ता हो। जैव विविधता संरक्षण पारदर्शी रूप में हो।

6. शिकायत रिड्रसल यांत्रिकी

सचिव, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के रिड्रेसल पब्लिक शिकायत, पदनाम का अधिकारी होता है और उनका पता इस प्रकार है:

सचिव
राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण
टॉयसेल बायो पार्क,
5 वाँ तल, तरमणि रोड,
तरमणि, चेन्नै – 600 113.
फोन : 044-2254 1071 ;
फैक्स : 044-2254 1074
ईमेल : secretary@nbaindia.in

7. नागरिकों एवं पणधारियों से अपेक्षा

जैव विविधता अधिनियम 2002 के प्रावधानों एवं उनके अधीन बनाए गए नियम को मान लिया जाए तो और आत्मसात करके संरक्षण की भावना से प्रो–उन्नत करके प्राकृतिक स्रोत एवं प्राकृतिक विधान का मान लिया जाए एवं रा. जैविक प्राधिकरण एवं एस.बी.बी. द्वारा चला जा रही गतिविधियों को सहयोग प्रदान करने से समस्त मानव जाति की रक्षा की जा सकती है।

परिशिष्ट-7 लेखापरीक्षा रिपोर्ट

Separate Audit Report of the Comptroller & Auditor General of India on the Accounts of National Biodiversity Authority, Chennai for the year ended 31 March 2010.

We have audited the attached Balance Sheet of National Biodiversity Authority, Chennai as at 31 March 2010 and Income & Expenditure Account / Receipts & Payments Account for the year ended on that date under Section 19(2) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971 read with 29(2) of Biological Diversity Act, 2002. These financial statements are the responsibility of the National Biodiversity Authority, Chennai's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This separate Audit Report contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc., Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules & Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects, etc., if any, are reported through Inspection Reports/CAG's Audit Reports separately.

3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An Audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

4. Based on our audit, we report that

i) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.

ii) The Balance Sheet and Income & Expenditure Account/Receipts & Payments Account dealt with by this report have been drawn up in the format approved by the Ministry of Finance.

iii) In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the National Biodiversity Authority, Chennai as required under Rule 29(2) of Biological Diversity Act, 2002

iv) in so far as it appears from out examination of such books.

v) we further report that

A Income & Expenditure Account

1. Grants to SBBs/ BMCs.

An amount of Rs.19,40,783/- has been released to SBBs/ BMCs during the year 2009-10, whereas only Rs.5.00 lakh has been depicted in Schedule 22 – Expenditure on Grants, subsidies, etc, the balance being depicted in Schedule 21 – Other Administrative Expenses, etc. as Funding for Project/ Awareness Programme.

This resulted in understatement of Expenditure on Grants and overstatement of Administrative Expenses to an extent of Rs.14,40,783/-.

B. Grants-in-aid

Out of the grants in aid of Rs.2.97 Crore received during the year, (including Rs.0.35 crore received in Mar'10) the organization could utilize a sum of Rs.2.97 crore leaving Nil balance as unutilized grant as on 31 March 2010.

C. Management letter

Deficiencies which have not been included in the Audit Report have been brought to the notice of the Chairman National Biodiversity Authority Chennai through a management letter issued separately for remedial/corrective action.

(v) Subject to our observations in the preceding paragraphs we report that the Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.

(vi) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes on Accounts, and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in Annexure to the Audit Report give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India.

a. In so far as it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs of the National Biodiversity Authority, Chennai as at 31 March 2010 and

b. In so far as it relates to Income & Expenditure Account of deficit for the year ended on that date.

For and on behalf of the C& AG of India

Principal Director of Audit
(Scientific Departments)

Place : New Delhi
Date : 23-12-2010

Annexure-I to Audit Report

1. Adequacy of Internal Audit System: The Internal Audit System was adequate.

2. Adequacy of Internal Control System : Adequate internal control system existed in National Biodiversity Authority, Chennai.

3. System of physical verification of fixed assets : Physical verification of fixed assets for 2009-10 have been conducted by NBA management and no material deficiencies were noticed during the verification.

4. System of physical verification of inventory: Physical verification of inventory has been conducted by NBA at reasonable intervals.

5. Regularity in payment of statutory dues : Though NBA had eight staff members covered under the New Pension Scheme, and were recovering the NPS contribution every month from them, NBA had neither registered with National Securities Depository Limited (NSDL) which was appointed as the Central Record Keeping Agency (CRA) nor deposited the contribution amounts to the NSDL, but was retaining the amounts in a separate bank account.

DIRECTOR (EA)

प्रयोग किए गए संक्षेपकों की सूची

आ.औ.नि.सं.	:	आयुर्वेदिक औषधि निर्माण संघ
जै.अ.	:	जैव विविधता अधिनियम
जै.प्र.सं.	:	जैव विविधता प्रबंध समिति
भा.वा.स.	:	भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण
भा.सं.नि.लि.	:	भारत संचार निगम लिमिटेंड
जै.सं.	:	जैविक विविधता समागम
वि.व और अ.प.	:	विज्ञान व औद्योगिक अनुसंधान परिषद
वि.व.अ.	:	जिला वन अधिकारी
म.रा.सं.	:	मनोनीत राष्ट्रीय संग्रह
वि.स.	:	विशेषज्ञ समिति
क्षे.प.स्वा.पु.सं.	:	क्षेत्रीय परंपरागत स्वास्थ्य के पुनर्वास के लिए संस्थापन
वि.जै.स.स.	:	विश्वव्यापी जैव विविधता सूचना सहायता
गु.पा.शि.व.अ.सं.	:	गुजरात पारिस्थितिकीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान
भा.कृ.अ.सं.	:	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान
भा.कृ.अ.प.	:	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
भा.जै.सू.के.	:	भारतीय जैव विविधता सूचना केंद्र
जै.अ.दि.	:	जैव विविधता अंतर्राष्ट्रीय दिवस
सू.जी.त.सं.	:	सूक्ष्म जीव तकनीकी संस्थान
बौ.सं.अ.	:	बौद्धिक संपदा अधिकार
भा.अ.सं.	:	भारतीय अंतरिक्ष संगठन
भा.व्या.व. (स.प्र.)	:	भारतीय व्यापार वर्गीकरण (समन्वय प्रणाली)
के.व.वि.	:	कर्नाटक वन विभाग
के.रा.जै.बो.	:	केरल राज्य जैव विविधता बोर्ड
स.म.म.दे.	:	समान मनस्क महाभिन्न देश
म.प्र.रा.जै.बो.	:	मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड
व.व.प.मं.	:	वन एवं पर्यावरण मंत्रालय
स.ज्ञा.	:	समझौता ज्ञापन
रा.जै.प्रा.	:	राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण
रा.प.अ.सं.ब्यू.	:	राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो
रा.पा.अ.सं.ब्यू.	:	राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो
रा.ह.फ.का.	:	राष्ट्रीय हरित फसल कार्यक्रम
सा.व्या.प.	:	सामान्य व्यापार पण्य
प.कृ.वि.	:	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय
जा.जै.पं.	:	जाति जैव विविधता पंजीयन
पा.कि.व कृ.अ.सं.	:	पादप किस्में संरक्षण व कृषक अधिकार प्राधिकरण
दु.सं.व जो.पौ.	:	दुर्लभ संकटापन्न और जोखिम पूर्ण पौधे
ओ.प्रा.इ.स.के.	:	ओरियोलोजी एवं प्राकृतिक इतिहास के लिए सलीम अली केंद्र
द.ए.ज.शै.बे.	:	दक्षिण एशिया जल–शैल बेड़ा
द.ए.स.प.का.	:	दक्षिण एशिया सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम
सं.शा.	:	संघ शासित
सं.रा.शि.वि.सं.सं.	:	संयुक्त राष्ट्र शिक्षा, विज्ञान एवं संस्कृति संगठन
सं.रा.प.का.	:	संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम
पं.बं.जै.वि.बो.	:	पश्चिम बंगाल जैव विविधता बोर्ड